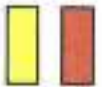


Old letter and Maps

SCHEDULE - B(ii)

17845.21 sq mt

17045.1 sq mt



M/S SHILPNAK HOUSING PVT. LTD.
M/S CITY LIFE SPACES PVT. LTD. (MUL)



For City Lifespaces Pvt. Ltd.
& Shilpna Housing Pvt. Ltd.

Signature
Srinivasan Srinivasan

Scale: 1:1000
Drawing by: Srinivasan Srinivasan

PROPOSED GROUP HOUSING FOR
M/S SHILPNAK HOUSING PVT. LTD.
AT KHASRA NO. 302, 304, 314, 315, 316, 317,
318, 325 AT VILLAGE - THUDA
TENSIL - THUDA, DISTT ALWARA (RAJ)

SITE PLAN

DATE	14-03-2014	WORKS
SHEET NO.	12	12
1/234	1	100



कार्यालय नगर विकास न्यास भिवाडी

क्रमांक 4590/16

दिनांक 31/8/16

भवन निर्माण अनुमति पत्र

श्री शिल्पकार हाउसिंग प्रा0 लि0

पता: ऑफिस नं0 207 जे.एम.डी. गलेरिया

सोहना रोड गुडगावां हरि0

विषय श्री शिल्पकार हाउसिंग प्रा0 लि0 जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अजय जिन्दल पुत्र स्व0 श्री गुरुशतम गुप्ता निवासी 801 टावर 12 ओरविड फ्लैट सेंक्टर 49 गुडगावां हरि0 द्वारा प्राप्त तथा तह0 निजात के ख0न0 302, 304, 214, 215, 216, 217, 218, 225 कुल 08 कुल रकबा 39029.70 वर्ग मी0 भूमि का आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) परियोजना के भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु।

सन्दर्भ:- आपका आवेदन पत्र दिनांक 04.04.2016

आपका आवेदन दिनांक 04.04.2016 द्वारा श्री शिल्पकार हाउसिंग प्रा0 लि0 जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अजय जिन्दल पुत्र स्व0 श्री गुरुशतम गुप्ता निवासी 801 टावर 12 ओरविड फ्लैट सेंक्टर 49 गुडगावां हरि0 द्वारा प्राप्त तथा तह0 निजात के ख0न0 302, 304, 214, 215, 216, 217, 218, 225 कुल 08 कुल रकबा 39029.70 वर्ग मी0 भूमि का आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) परियोजना के भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए हैं। उक्त भवन मानचित्रों को भवन मानचित्र समिति को 54वीं बैठक दिनांक 13.04.2016 में लिये गये निर्णयानुसार अनुमोदन कर भवन निर्माण को स्वीकृति प्रदान की जाते हैं -

- यह स्वीकृति जारी होने की तिथि से 5 वर्ष तक मान्य रहेगी।
- प्रस्तुत मानचित्रों अनुसार विकासकर्ता के आवासीय परियोजना को केंद्रित प्रस्तावित 45 मी0 सड़क से हैं पहुँच उपलब्ध है परंतु मानचित्रों में कोई पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं है। अतः मास्टर प्लान की प्रस्तावित 45 मी0 सड़क का निर्माण नहीं होने तक आवासीय परियोजना के पहुँच मार्ग हेतु प्रस्तावित 45 मी0 सड़क से 45 मी0 सड़क हेतु समर्पित भूमि में से परियोजना हेतु पहुँच मार्ग उपलब्ध कराना होगा।
- भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्रों एवं भवन विनियम 2013 के प्रबंधन के अनुसार हैं किया जायगा तथा भिन्न भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
- सर्वतः जमीन पर प्राप्त की गई अध्या तह0 के अनुसार प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त माने जाएगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जाएगा।
- मुखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविद्ग का कर्तव्य होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि स्वीकृति प्रपत्रित मास्टर प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप हैं कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, न्यास को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जाणकारी को पर भवन मानचित्रों को ही नहीं अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी न्यास में किसी भी प्रकार की अतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
- उक्त स्वीकृति के कारण यदि न्यास को किसी न्यायालय सहित अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कारणवश से कोई भी शर्त, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस बात को पूर्ण करने के लिए दायर होगा।
- न्यास की अभियान्त्रीकी शाखा द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण कर सत्यापन किया जायेगा।
- प्रत्येक लेवल तक निर्माण की सूचना संबंधित वास्तुविद से प्रमाणित कर न्यास को सूचित करेगी। सभी निर्माण पत्र जाने पर आगे निर्माण जारी रखा जाएगा अन्यथा अनुमोदित/प्रस्तुत मानचित्र (134 व 135 के प्रावधान में आने वाले प्रकरणों के लिए प्रस्तुत मानचित्र) के विपरीत निर्माण पत्र जाने पर संबंधित अधिकारण निरस्त अधिकारी द्वारा उक्त निर्माण रद्द करने की कार्यवाही की जाएगी।
- विकासकर्ता द्वारा प्रत्येक लेवल, जी-1 एवं समय समय पर निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में प्रावधान के तहत न्यास को दे जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माण द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को निरस्त स्पष्टा जायेगा।
- न्यास प्रत्येक भवन के लिए संबंधित उपयोग के अनुसार हो व्यवसाय में रहेगा।

11. स्थानी तकनीकी विज्ञान के निर्देशन में निर्माण कार्य करवाया जाये। यदि तकनीकी विज्ञान को मिला जाता है तो इनकी सूचना 45 मिनट के अन्दर स्थानीय प्रमाण-पत्र में न्याय का इलाका होना।
12. स्वीकृत मानचित्र नोट्स पर निर्माण पूर्ण होने तक निशुल्क स्थान पर दोड़ लगाकर इस पर साफ रूप से दर्शाने होंगे।
13. भवन परिसर में ही आगुन्तकों की पार्किंग करवाई जाये तथा आगुन्तकों हेतु निशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जाये मानचित्र में दर्शाये अनुसार भू-तल का उपयोग किया जायेगा।
14. भवन विनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप विकासकर्ता द्वारा भूकम्परोधी प्रावधान, अग्नि शमन हेतु प्रावधान, पिकलांगो हेतु प्रावधान आदि की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
15. भवन का कुर्सी तल, सड़क के तल से न्यूनतम 0.5 मीटर रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।
16. भूखण्डों पर निर्माण हेतु स्वीकृत साईट प्लान के अनुरूप सैट बेक्स व अन्य प्रावधान सुनिश्चित करने होंगे।
17. भूखण्ड में आन्तरिक विकास यथा जल वितरण, ड्रेनेज, सीवरेंज, सेपटिक टैंक, विद्युत वितरण, सड़कें, टेलीफोन लाईन, वर्षा जल संग्रहण, संरचना, स्नानागार, तथा रसोई के अवशिष्ट जल के शुद्धिकरण हेतु रिसाईकिलिंग की व्यवस्था आदि का प्रावधान किये जाने की समस्त जिम्मेदारी विकास कर्ता की होगी।
18. प्रस्तुत भवन मानचित्रों ने वर्षा जल संग्रहण संरचना एवं इस से संबंधित प्रावधानों की पालना भवन विनियम 2013 के प्रावधान अनुसार इसकी पालना सुनिश्चित के जाये।
19. अधिवास प्रमाण-पत्र भवन निर्माण होने के उपरान्त आवश्यक रूप से लिया जाना होगा।
20. पार्किंग का प्रावधान भवन विनियम, 2013 के अनुरूप रखा जाना होगा एवं जलन के तूफान/जर्क करने हेतु आवश्यक प्रावधान आवेदक/वास्तुविद द्वारा सुनिश्चित करने होंगे।
21. भवन विनियम 2013 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधान के अनुसार अग्नि शमन सुरक्षा संबंधित समस्त प्रावधान सुनिश्चित करने होंगे तथा इस बाबत संबंधित विभाग से अग्नि शमन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
22. EWS हेतु 60 sq LIG हेतु 30 कुल 90 प्लेट प्रस्तावित किये गये हैं। इन ईकाईयों का निष्पादन मुख्यमंत्री सन आवास योजना 2015 जारी निर्देशों एवं परिपत्रों के अनुसार किया जावेगा।
23. भवन विनियम 2013 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड, आई.एस. कोड के प्रावधान के अनुसार भूकम्परोधी भवन हेतु भवन संरचना डिजाइन की जाकर तदनुसार संरचनात्मक सुरक्षित भवन बनाये जाने की जिम्मेदारी आवेदक एवं वास्तुविद की होगी।
24. भवन मानचित्र जारी करने के उपरान्त अन्य शुल्क/प्रकाश शर्तें न्याय द्वारा लागू की जानी हैं तं विवेकपूर्वकता द्वारा यह शर्तें न्याय कोष में जमा करानी होगी।
25. भवन विनियमों में उल्लेखित अन्य सम्बंधित प्रावधानों की पालना विवेक कर्ता द्वारा की जावेगी।
26. विकासकर्ता द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रेडिंग कोड द्वारा न्याय शमन पर जारी गजटलाईन्स की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
27. पर्यावरण विभाग भारत सरकार की अभिनियमा एवं प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने तथा तदनुसार प्रावधान रखने की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

उपर वर्णित शर्तों एवं भवन विनियम के प्रावधानों के तहत अन्य कोड संबंधित शर्तों का पालना नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जावेगी।


वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्याय,
भिलाडी

सालान- भवन मानचित्र (34)

क्रमक: आयोजना/

प्रतिनिधि अधिशासी अभियान्ता, नगर विकास न्याय, भिलाडी का सूचनाएं एवं आदेशों कार्यवाही हेतु।

दिनांक:

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्याय,
भिलाडी

Revised letter and Maps

कार्यालय नगर विकास न्यास भिवाडी

क्रमांक 5410-11/17

भवन निर्माण अनुमति पत्र

दिनांक 01/09/17

मै० शिल्पकार हाउसिंग प्रा० लि०

पता:- ऑफिस नं० 207 जे.एम.डी. गलेरिया

सोहना रोड गुडगावां हरि०

विषय:- मै० शिल्पकार हाउसिंग प्रा० लि० जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अजय जिन्दल पुत्र स्व० श्री पुरुषोत्तम गुप्ता निवासी 801 टावर 12 ओरचिड फ्लैट सेक्टर 49 गुडगावां हरि० द्वारा ग्राम थडा तह० तिजारा के ख०न० 302, 304, 214, 215, 216, 217, 218, 225 कुल 08 कुल एकबा 35290.21 वर्ग मी० भूमि का आवासीय परियोजनार्थ संशोधित भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु।

सन्दर्भ:- आपका आवेदन पत्र दिनांक 07.02.2017

आपका आवेदन दिनांक 07.02.2017 द्व मै० शिल्पकार हाउसिंग प्रा० लि० जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अजय जिन्दल पुत्र स्व० श्री पुरुषोत्तम गुप्ता निवासी 801 टावर 12 ओरचिड फ्लैट सेक्टर 49 गुडगावां हरि० द्वारा ग्राम थडा तह० तिजारा के ख०न० 302, 304, 214, 215, 216, 217, 218, 225 कुल 08 कुल एकबा 35290.21 वर्ग मी० भूमि का आवासीय परियोजनार्थ संशोधित भवन मानचित्र हेतु प्राप्त हुए है। उक्त भवन मानचित्रों को भवन मानचित्र समिति की 57वी बैठक दिनांक 07.04.2017 में लिये गये निर्णयानुसार अनुमोदन कर भवन निर्माण की स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

01. यह स्वीकृति आवंटन पत्र/लीजडीड में उल्लेखित शर्तों के अध्याधीन, मूल स्वीकृति से अधिकतम 5 वर्ष हेतु मान्य होगी तथा पूर्व स्वीकृति की समस्त शर्तें मान्य होगी।
02. प्रस्तुत मानचित्रों अनुसार विकासकर्ता के आवासीय परियोजना को केवल प्रस्तावित 45 मी० सड़क से ही पहुँच उपलब्ध है वर्तमान में कोई पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं है। अतः मास्टर प्लान की प्रस्तावित 45 मी० सड़क का निर्माण नहीं होने तक आवासीय परियोजना के पहुँच मार्ग हेतु प्रस्तावित 60 मी० सड़क से 45 मी० सड़क हेतु समर्पित भूमि में से परियोजना हेतु पहुँच मार्ग उपलब्ध कराना होगा।
03. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्रों एवं भवन विनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
04. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जाएगा।
05. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति प्रचलित मास्टर प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, न्यास को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्राचीन न्यास में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
06. उक्त स्वीकृति के कारण यदि न्यास को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्राचीन उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
07. न्यास की अभियान्त्रीकी शाखा द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण कर सत्यापन किया जावेगा।
08. प्लिन्थ लेवल तक निर्माण की सूचना पंजीकृत वास्तुविद से प्रमाणित कर न्यास को सूचित करेंगे। सही निर्माण पाए जाने पर आगे निर्माण जारी रखा जाएगा अन्यथा अनुमोदित/प्रस्तुत मानचित्र (13.4 व 13.5 के प्रावधान में आने वाले प्रकरणों के लिए प्रस्तुत मानचित्र) के विपरीत निर्माण पाए जाने पर संबंधित अतिक्रमण निरोधक अधिकारी द्वारा अवैध निर्माण हटवाने की कार्यवाही की जाएगी।
09. विकासकर्ता द्वारा प्लिन्थ लेवल, जी+1 एवं समय समय पर निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से न्यास को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को निरस्त समझा जावेगा।
10. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।

11. स्वामी तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में निर्माण कार्य करवायेगा। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में न्यास को देनी होगी।
12. स्वीकृत मानचित्र मौके पर, निर्माण पूर्ण होने तक उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
13. भवन परिसर में ही आगन्तुकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगन्तुकों हेतु नि:शुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे मानचित्र में दर्शाये अनुसार भू-तल का उपयोग किया जावेगा।
14. भवन विनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप विकासकर्ता द्वारा भूकम्परोधी प्रावधान, अग्नि शमन हेतु प्रावधानो, विकलांगो हेतु प्रावधान आदि की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
15. भवन का कुत्ता तल, सड़क के तल से न्यूनतम 0.5 मी० रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।
16. भूखण्डों पर निर्माण हेतु स्वीकृत साईट प्लान के अनुरूप सैट बेक्स व अन्य प्रावधान सुनिश्चित करने होंगे।
17. भूखण्ड में आन्तरिक विकास यथा जल वितरण, ड्रेनेज, सीवरेज, सेप्टिक टैंक, विद्युत वितरण, सड़कें, टेलीफोन लाईन, वर्षा जल संग्रहण, संरचना, स्नानाघर, तथा रसोई के अवशिष्ट जल के शुद्धिकरण हेतु रिसाईकिलिंग की व्यवस्था आदि का प्रावधान किये जाने की समस्त जिम्मेदारी विकास कर्ता की होगी।
18. प्रस्तुत भवन मानचित्रों में वर्षा जल संग्रहण संरचना एवं इस से संबंधित प्रावधानो की पालना भवन विनियम 2013 के प्रावधान अनुसार इसकी पालना सुनिश्चित कि जावे।
19. अधिवास प्रमाण-पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से लिया जाना होगा।
20. पार्किंग का प्रावधान भवन विनियम, 2013 के अनुरूप रखा जाना होगा एवं वाहनों के घूमने/पार्क करने हेतु आवश्यक प्रावधान आवेदक/वास्तुविद द्वारा सुनिश्चित करने होंगे।
21. भवन विनियम 2013 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधान के अनुसार अग्नि शमन सुरक्षा संबंधित समस्त प्रावधान सुनिश्चित करने होंगे तथा इस बाबत संबंधित विभाग से अग्नि शमन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
22. EWS हेतु 48 एवं LIG हेतु 40 कुल 88 फ्लैट प्रस्तावित किये गये हैं। इन ईकाईयो का निष्पादन मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 जारी निर्देशों एवं परिपत्रों के अनुसार किया जावेगा।
23. भवन विनियम 2013 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड, आई.एस. कोड के प्रावधान के अनुसार भूकम्परोधी भवन हेतु भवन संरचना डिजाईन की जाकर तदनुसार संरचनात्मक सुरक्षित भवन बनाये जाने की जिम्मेदारी आवेदक एवं वास्तुविद की होगी।
24. भवन मानचित्र जारी करने के उपरान्त अन्य शुल्क/ बकाया राशि न्यास द्वारा मांग की जाती है तो विकासकर्ता द्वारा वह राशि न्यास कोष में जमा करानी होगी।
25. भवन विनियमों में उल्लेखित अन्य सम्बन्धित प्रावधानों की पालना विकास कर्ता द्वारा की जायेगी।
26. विकासकर्ता द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल कोर्ट द्वारा समय समय पर जारी गाइडलाईन्स की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
27. पर्यावरण विभाग भारत सरकार की अधिसूचना एवं प्रावधानो के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने तथा तदनुसार प्रावधान रखने की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
28. नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक F.18(56)UDH/Sub-Group/2015 Date 09-03-2017 के अनुसार परियोजना में सभी भवनों/शॉक्स में Green Roof Top रखा जाना एवं Eco-friendly भवनों हेतु प्रावधान रखा जाना पर्यावरण की दृष्टि से उचित होगा। जिसकी पालना विकासकर्ता को करनी होगी।

ऊपर वर्णित शर्तों एवं भवन विनियम के प्रावधानों के तहत अन्य कोई संबंधित शर्त का पालना नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।


वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
मिवाड़ी

संलग्न:- भवन मानचित्र ()

क्रमांक: आयोजना/

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, मिवाड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

दिनांक

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
मिवाड़ी

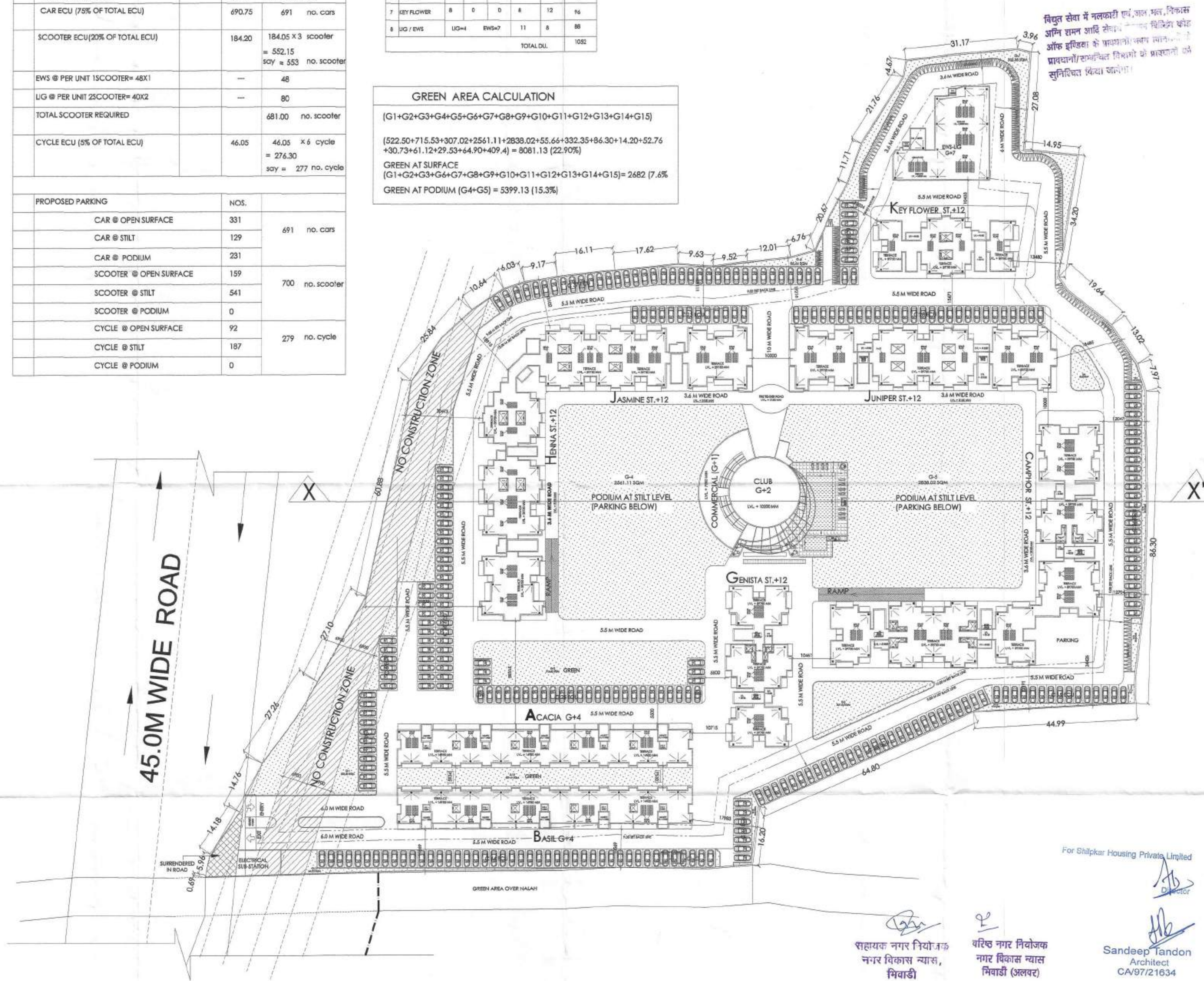
AREA STATEMENT		
S.NO	PARTICULARS	Sq.Mt.
1	TOTAL PLOT AREA AS PER REVENUE	47500.00
2a	TOTAL PLOT AREA AS PER SURVEY	47485.97
2b	TOTAL PLOT AREA	47485.97
2c	AREA SURRENDERED IN ROAD WIDENING IN 60.0 M AND 45.0 M WIDE ROAD	6267.71
2d	AREA SURRENDERED IN 12.0 M WIDE NALA AREA	134.37
	AREA SURRENDERED IN FACILITIES	2054.19
3	COMMERCIAL AREA	3739.49
4	REMANING PLOT AREA (47485.97-6267.71-134.37-2054.19-3739.49)	35290.21
5	NET PLOT AREA	35290.21
6	PERM. GROUND COVG. = 35% OF NET PLOT AREA = 35290.21 x 35%	12351.57
7	PROPOSED GROUND COVERAGE (19.94 %)	7038.74
8	REQUIRED 20% AREA UNDER GREEN (BECAUSE OF PODIUM) 15% PODIUM +5% ON SURFACE	7058.04
9	PROPOSED AREA UNDER GREEN PODIUM+ SURFACE = 5399.13 (15.30%) +2682 (7.6%)	8081.13 (22.90%)
10	F.A.R. CALCULATIONS	
10a	BASIC PERMISSIBLE F.A.R.(1.33) = 1.33 X 35290.21	46935.98
10b	F.A.R. FOR AREA UNDER SURRE. LAND= 6267.71	6267.71
10c	F.A.R. IN LIEU OF EWS/LIG CONST. (0.5) =0.5 X 35290.21	17645.11
10d	TOTAL PERMISSIBLE F.A.R.	70848.80
10e	PERMISSIBLE COMMERCIAL FAR. (3% OF TOTAL PER. FAR.)	2125.46
10f	PERMISSIBLE RESIDENTIAL FAR.	68723.34

11	PROPOSED F.A.R	
11a	F.A.R. AREA OF TOWER -ACASIA	3378.40
11b	F.A.R. AREA OF TOWER -BASIL	3378.40
11c	F.A.R. AREA OF TOWER HENNA-JASMINE	15588.35
11d	F.A.R. AREA OF TOWER JUNIPER	9060.29
11e	F.A.R. AREA OF TOWER CAMPHOR	14038.80
11f	F.A.R. AREA OF TOWER GENISTA	5332.56
11g	F.A.R. AREA OF TOWER KEY FLOWER	3987.53
11h	TOTAL PROPOSED RESIDENTIAL FAR OF TOWERS	54764.33
12a	F.A.R. AREA OF COMMERCIAL BLOCK	300.95
12c	TOTAL PROPOSED FAR, AREA	55065.28
14	LIG / EWS CALCULATIONS	
14a	TOTAL REQUIRED AREA FOR LIG/EWS = 7.5% of RESID.FAR	4107.32
14b	TOTAL PROPOSED AREA FOR LIG/EWS	4186.24
15	FACILITY AREA CALCULATIONS	
15a	TOTAL ALLOWED FACILITY AREA = 5% of TOTAL FAR,	2738.22
15b	TOTAL PROPOSED FACILITY AREA	731.24

16	PARKING CALCULATION		FAR.	ECU	NO\$
A	RESIDENTIAL FAR/75		54764.33	730.19	
B	COMMERCIAL FAR/50		300.95	6.02	
C	TOTAL ECU			736.21	
D	VISITOR PARKING 25%			184.05	
	TOTAL REQUIRED ECU		920.26	say $\approx$ 921 ECU	
	CAR ECU (75% OF TOTAL ECU)		690.75	691	no. cars
	SCOOTER ECU (20% OF TOTAL ECU)		184.20	184.05 $\times$ 3 scooter = 552.15 say $\approx$ 553	no. scooter
	EWS @ PER UNIT 1SCOOTER= 48X1		---	48	
	LIG @ PER UNIT 2SCOOTER= 40X2		---	80	
	TOTAL SCOOTER REQUIRED			681.00	no. scooter
	CYCLE ECU (5% OF TOTAL ECU)		46.05	46.05 $\times$ 6 cycle = 276.30 say = 277	no. cycle
PROPOSED PARKING				NO\$.	
	CAR @ OPEN SURFACE		331	691	no. cars
	CAR @ STILT		129		
	CAR @ PODIUM		231		
	SCOOTER @ OPEN SURFACE		159	700	no. scooter
	SCOOTER @ STILT		541		
	SCOOTER @ PODIUM		0		
	CYCLE @ OPEN SURFACE		92	279	no. cycle
	CYCLE @ STILT		187		
	CYCLE @ PODIUM		0		

NO./TOWER	NO. OF DU/FLOOR			TOTAL NO. OF DU/FLOOR	NO. OF TOTAL DU IN TOWER	
	1BK	2BK	3BK			
1 ACASIA	0	10	0	10	5	80
2 BAIL	0	10	0	10	5	80
3 HANNA-JASMINE	24	4	0	28	12	336
4 JUNIPER	12	4	0	16	12	192
5 CAMPHOR	0	10	4	14	12	168
6 GENSTA	0	6	0	6	12	72
7 GRY FLOWER	8	0	0	8	12	96
8 JG / EWS	UG=4	EW=7		11	8	88
TOTAL DU.						1052

(G1+G2+G3+G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13+G14+G15)
(522.50+715.53+307.02+2561.11+2838.02+55.66+332.35+86.30+14.20+52.76
+30.73+61.12+29.53+64.90+409.4) = 8081.13 (22.90%)
GREEN AT SURFACE
(G1+G2+G3+G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13+G14+G15) = 2682 (7.6%)
GREEN AT PODIUM (G4+G5) = 5399.13 (15.3%)



नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन निर्माता २००० की धारा ८.१५ के दिशा निर्देशों के अनुसार पंजीकृत संस्था का पता भवन में प्रवेश प्राप्त कर रहा है। अन्यथा १० दिनों के अंदर न्यास द्वारा भवन निर्माता के खिलाफ निचनानगर कार्यवाही की जायेगी।

मार्च १९६७ में, जहाँ मध्य
जून २००० की रात १२ के दिना
दिनांक के अनुसार गतिमक रूप से
विज्ञान के दिनांक के लिए प्रकाशित
मध्य में दिनांक २००० रात १२ के
अनुसार दिनांक २००० के दिनांक के
दिनांक दिनांक दिनांक की रात १२ के

इस मानचित्र का अनुगोदन किसी भी भांति प्रशानगत भूमि/मूलज्ड के प्राति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। ओर न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की धारणा में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अन्तर्गत 1000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रमाण पत्र को पूर्व "वर्धमान प्रमाण पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि के द्वारा मान्य किया जाता अनिवार्य होगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

**Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules.**

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

Parking Area Will Be UTI's Property

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में द्वायें गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व ग्रहण का ही होगा।"

In Compliance of Layout Plan
Building Plan Committee Dt. 7-4-77
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along With
Letter No. 1121-a-17

For Shilpkar Housing Private Limited

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)

Sandeep Tandon
Architect
CA/97/21634

ARCHITECTS AND CONSULTANTS

AE STUDIO
an architectural design studio

B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,
NEW DELHI-110029, Ph.- 011 26161136
E-Mail : info@aestudio.in, Web : www.aestudio.in

THIS DRAWING IS A "COPYRIGHT" OF THE ARCHITECT AND SHOULD NOT BE CHANGED, COPIED, REPRODUCED OR USED FOR ANY OTHER PURPOSE OR PROJECT OTHER THAN FOR WHICH IT IS ISSUED WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF THE ARCHITECT

CLIENT: M/S CITY LIFE SPACES PVT. LTD, N. DELHI
M/S SHILPKAR HOUSING PVT. LTD

DRAWING TITLE: SITE PLAN

BUILDING FLOOR / BLOCK:

NOTES -

1. READ THIS DRAWING IN CONJUNCTION WITH OTHER DRAWINGS FOR THIS PROJECT.
2. DO NOT SCALE THIS DRAWING, ONLY WRITTEN DIMENSIONS ARE TO BE FOLLOWED.
3. DISCREPANCY IF ANY MUST BE BROUGHT TO THE NOTICE OF THE ARCHITECT IMMEDIATELY.

PROJECT: HOUSING AT VILLAGE - THADA
TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

	DRAWN BY:	PANKAJ	DRAWING TYPE:	SHEET NO.:
	CHECKED BY:	SANDEEP	SUB.	
	SCALE:	N.T.S.		
	PROJECT NO.:	N.T.S.		DRAWING NAME:
231	DATE:	10/1/2017	FILE LOCATION:	D:\Project Data\Project\TO SUBMIT TO SENIOR

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार दबाजल संघर्षण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अथवा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अथवा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति प्रशंगगत भूमि/भूखण्ड के प्राति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होगे।

विद्युत सेवा में गलकारी एवं, जल, मल, निकास अग्नि समन आदि सेवाये नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की धारा में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 की नीचे से 100000 की निर्माण पाटम कटने से पूर्व "पर्यावरण, प्रमाण पत्र" अग्रापति प्रमाण पत्र अपेक्षक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

लोर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

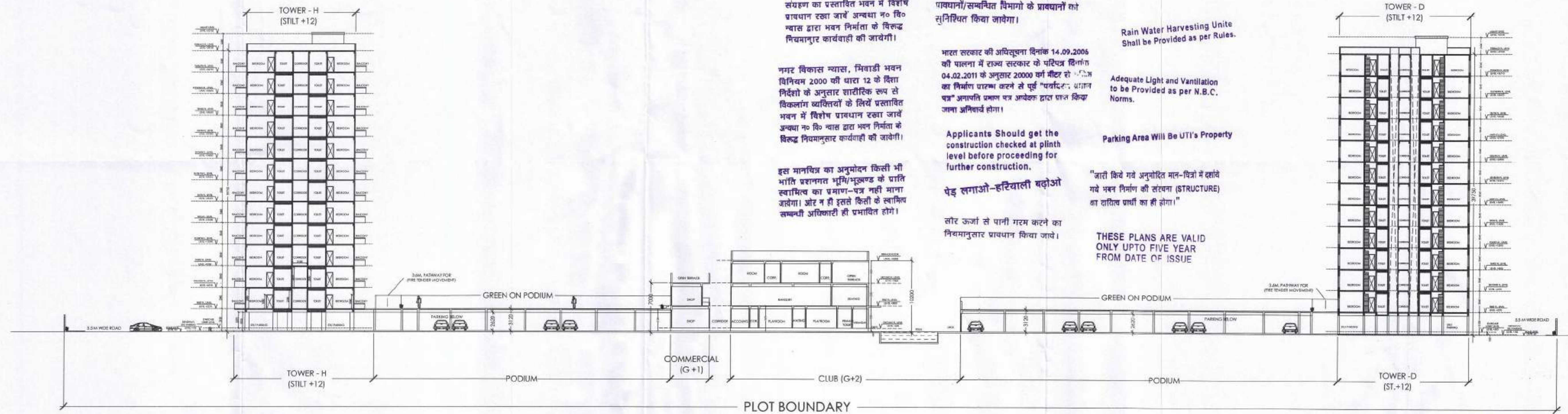
Rain Water Harvesting Unit Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Parking Area Will Be UTI's Property

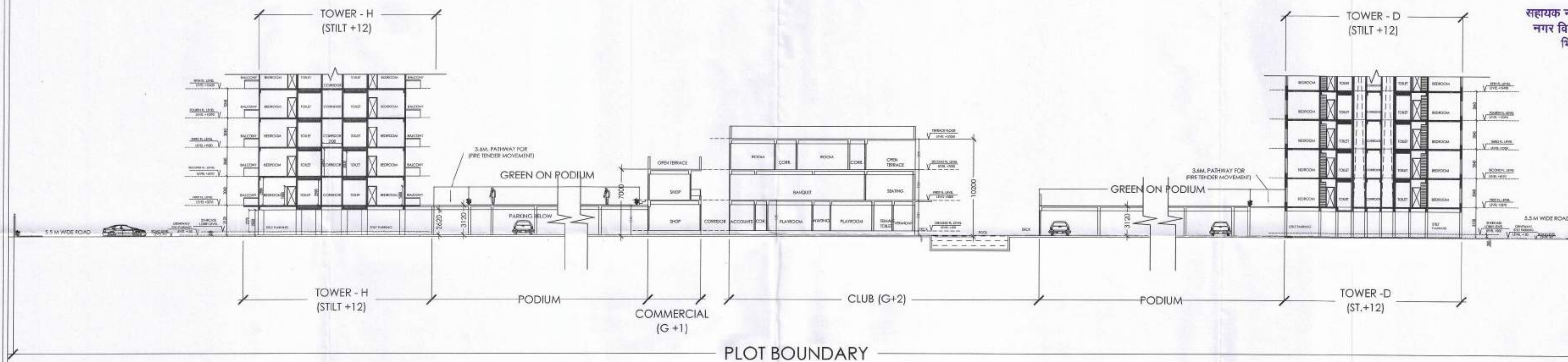
"जाती किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में द्वावे गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्राप्ती का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE



SECTION - XX'

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 7-4-17
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. 5-10-117 Dt. 4-17



SECTION - XX' (BLOWUP)

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)

For Shilpkar Housing Private Limited

Sandeep Tandon
Architect
CA/97/21634

Signature of Owner

Signature of Architect

ADDRESS :

**PROPOSED GROUP HOUSING FOR
M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD**
AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217,
218, 225 AT VILLAGE - THADA
TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

SHEET TITLE :

SITE SECTION

ARCHITECTS AND CONSULTANTS

AE STUDIO

an architectural design studio

B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,

NEW DELHI-110029, Ph.- 011 26161136

E-Mail : info@aestudio.in, Web.: www.aestudio.in

SHEET NO :

DATE :

NORTH :

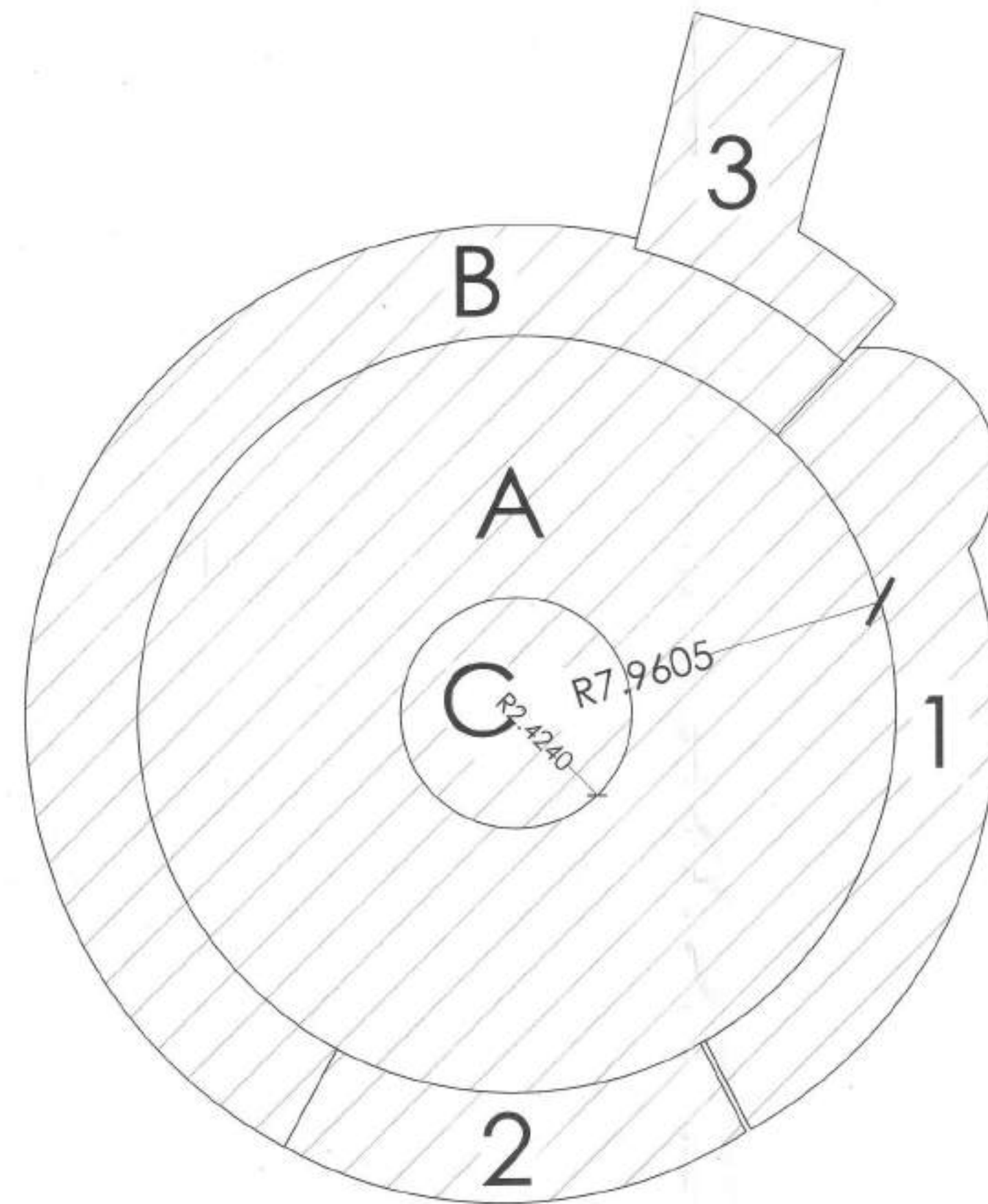
3A
35

10/02/2017

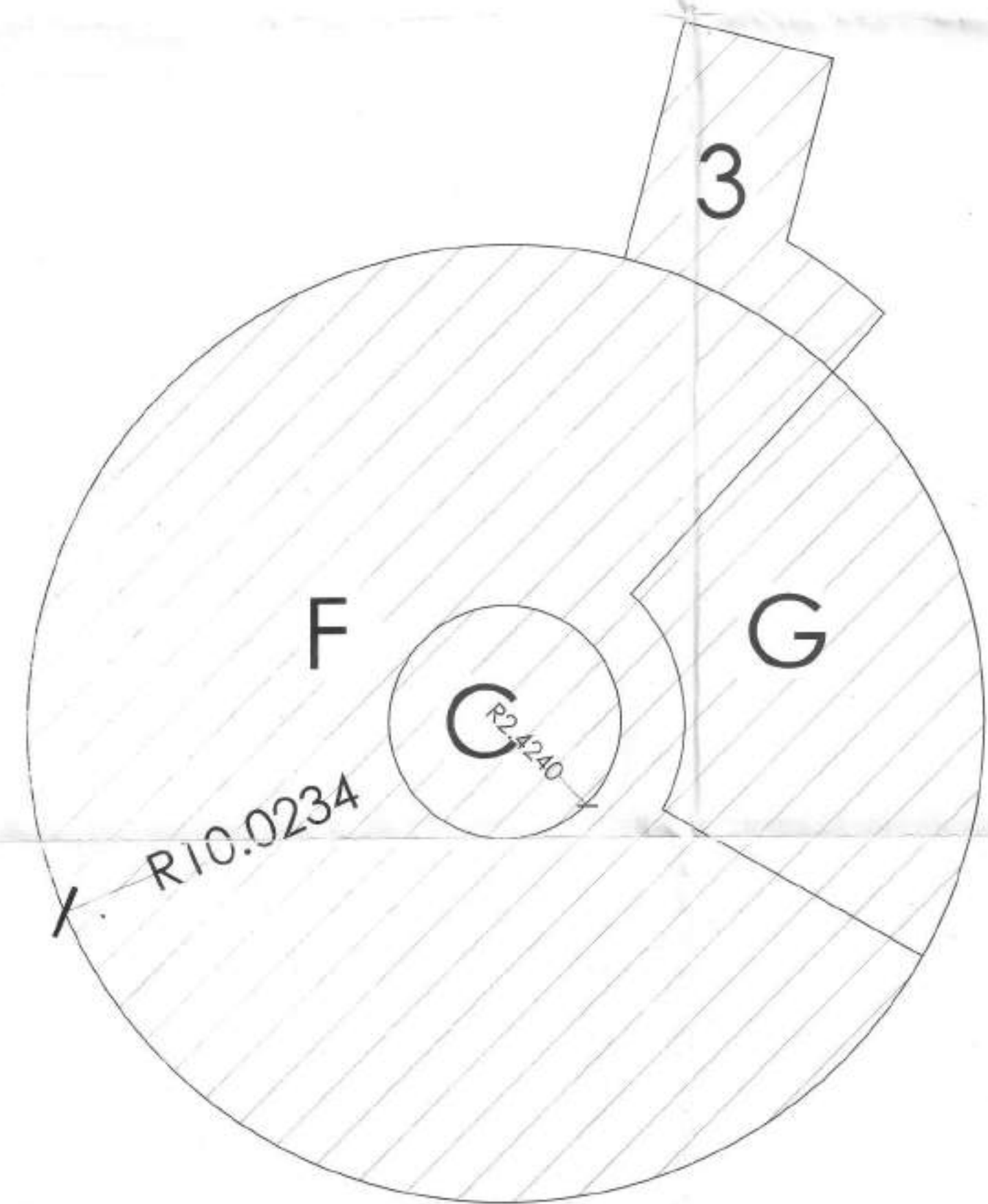
PROJECT NO.:

231





CLUB-GROUND FLOOR PLAN



CLUB-SECOND FLOOR PLAN

AREA OF GROUND FLOOR

REGION	RADIUS	AREA (sq.m.)
A	7.9605	198.98
B	---	71.29
C	2.4240	18.45
TOTAL=(A+B)-C		251.82

AREA OF VERANDA

REGION	RADIUS	AREA (sq.m.)
1	---	41.20
2	---	20.51
TOTAL=1+2		61.71

AREA OF STAIRCASE

REGION	RADIUS	AREA (sq.m.)
C	2.4240	18.45
3	---	20.61
TOTAL=C+3		39.06

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के निर्वहण प्रस्तावित भवन में, विशेष प्रावधान रखा जावे अथवा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध निचमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रशासनिक भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules.

AREA OF SECOND FLOOR

REGION	RADIUS	AREA (sq.m.)
C	2.4240	18.45
F	10.0234	315.47
G	---	57.31
TOTAL=F-(C+G)		239.71

AREA OF BALCONY

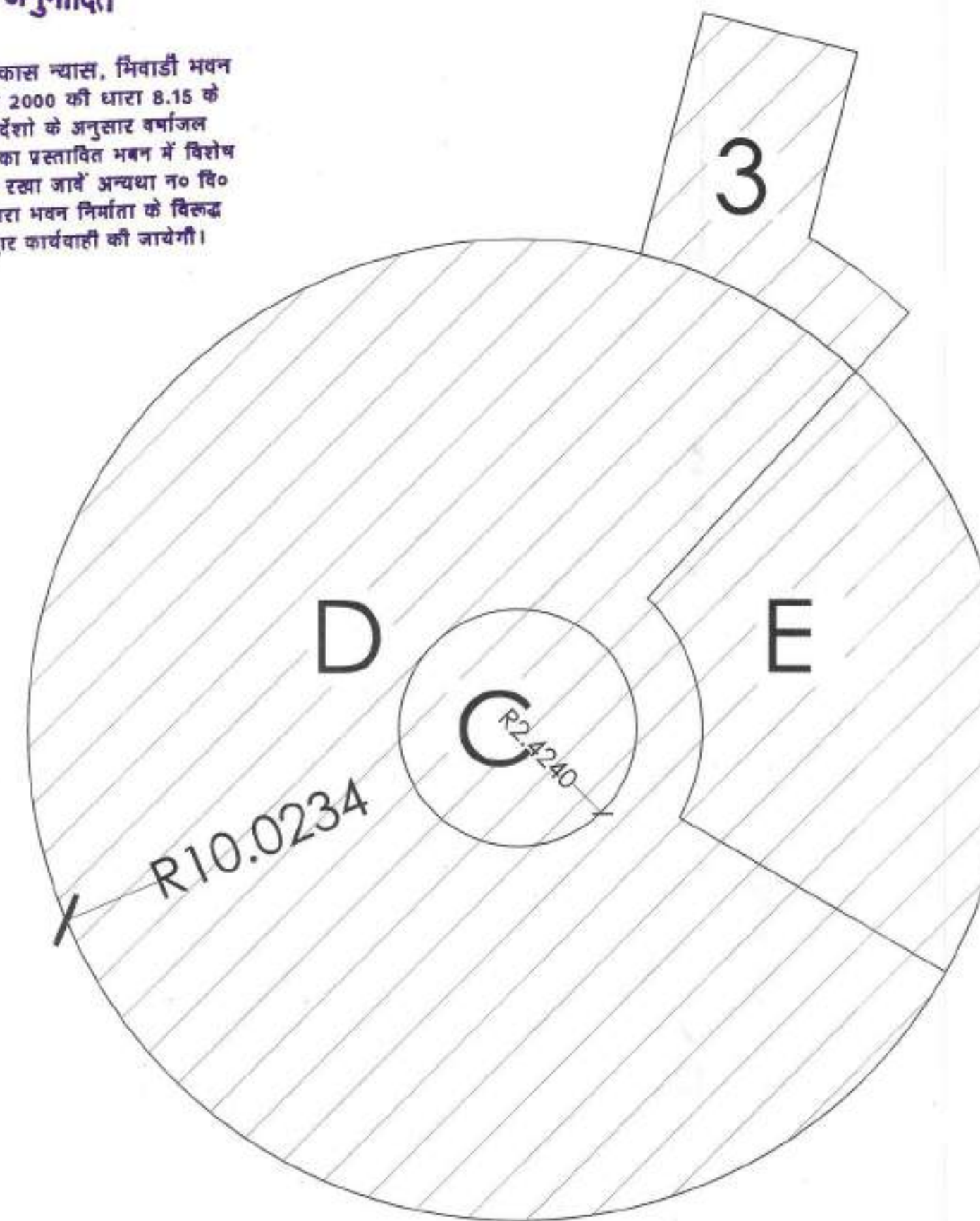
REGION	RADIUS	AREA (sq.m.)
G	---	57.31
TOTAL=E		57.31

AREA OF STAIRCASE

REGION	RADIUS	AREA (sq.m.)
C	2.4240	18.45
3	---	20.61
TOTAL=C+3		39.06

अनुमोदन

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार बर्जिस संयोजन का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अथवा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध निचमानुसार कार्यवाही की जावेगी।



CLUB-FIRST FLOOR PLAN

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में द्वांते गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व धारण कर ही होगा।"

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का निचमानुसार प्रावधान किया जावे।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Parking Area Will Be UTI's Property

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

TOTAL AREA OF CLUB

1.	TOTAL FAR AREA = AREA OF GROUND FLOOR + AREA OF FIRST FLOOR + AREA OF SECOND FLOOR = 251.82 + 239.71 + 239.71 = 731.24 SQ M.
2.	TOTAL BALCONY AREA = 114.62 SQ M.
3.	TOTAL VERANDA AREA = 61.71 SQ M.
4.	TOTAL STAIRCASE AREA = 117.18 SQ M.
6	TOTAL BUA. AREA = 731.24 + 114.62 + 61.71 + 117.18 = 1024.75 SQ M.

AREA OF FIRST FLOOR

REGION	RADIUS	AREA (sq.m.)
C	2.4240	18.45
D	10.0234	315.47
E	---	57.31
TOTAL=D-(C+E)		239.71

AREA OF BALCONY

REGION	RADIUS	AREA (sq.m.)
E	---	57.31
TOTAL=E		57.31

AREA OF STAIRCASE

REGION	RADIUS	AREA (sq.m.)
C	2.4240	18.45
3	---	20.61
TOTAL=C+3		39.06

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt.: 4-17 One Set of Building Plans Approved is Issued Along-With Letter No. 5418/11/17 Dt. 07-4-17

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
मिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
मिवाडी (अलवर)

For Shilpkar Housing Private Limited

Signature of Owner

Signature of Architect

ADDRESS :

**PROPOSED GROUP HOUSING FOR
M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD**
AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217,
218, 225 AT VILLAGE - THADA
TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

SHEET TITLE :

CLUB-AREA CALCULATIONS

ARCHITECTS AND CONSULTANTS

AE STUDIO
an architectural design studio
B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,
NEW DELHI-110029, Ph.- 011 26161136
E-Mail : info@aestudio.in , Web.: www.aestudio.in

SHEET NO :

DATE :

NORTH :

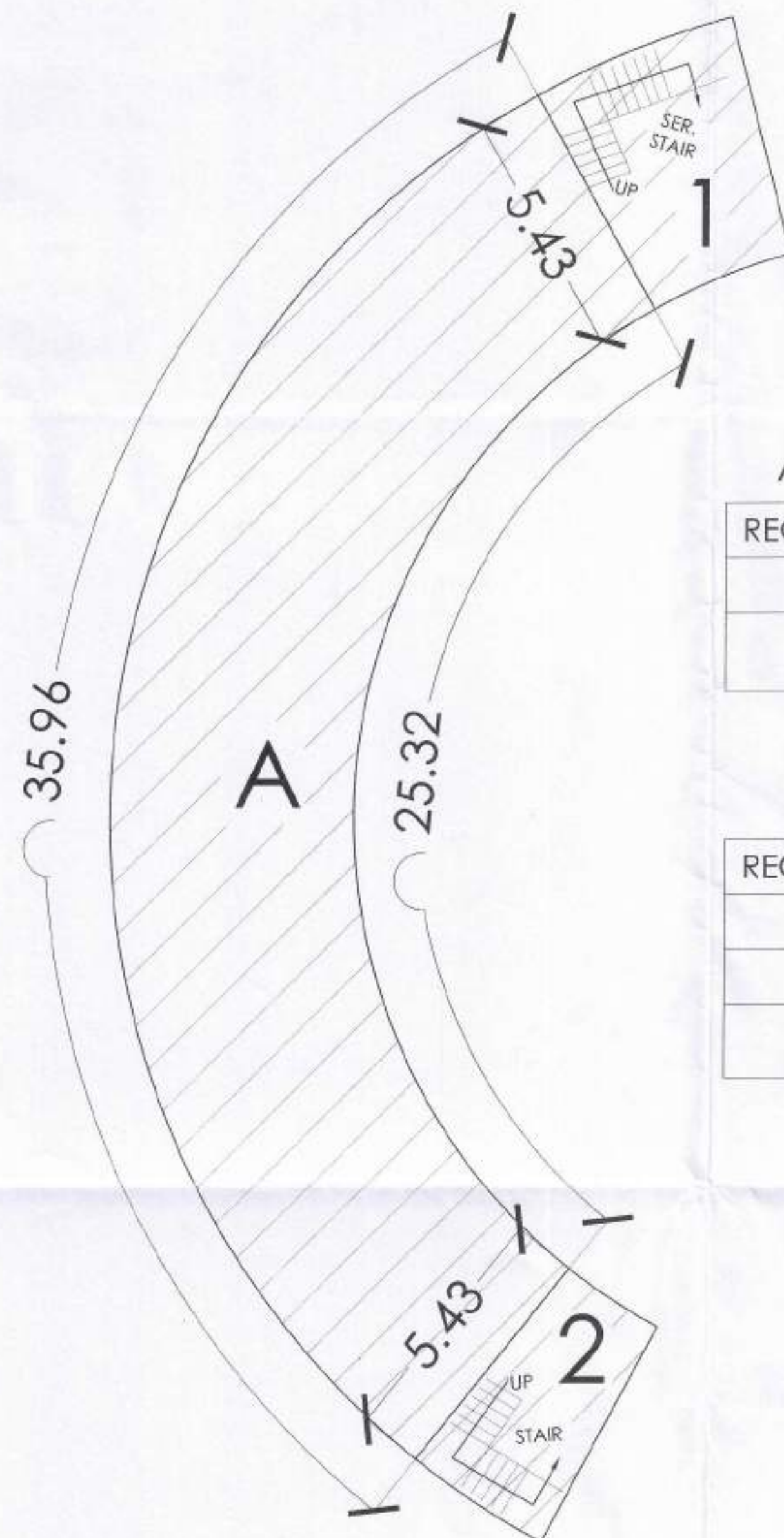
31
OF
34

15-07-2017

PROJECT NO.:

231





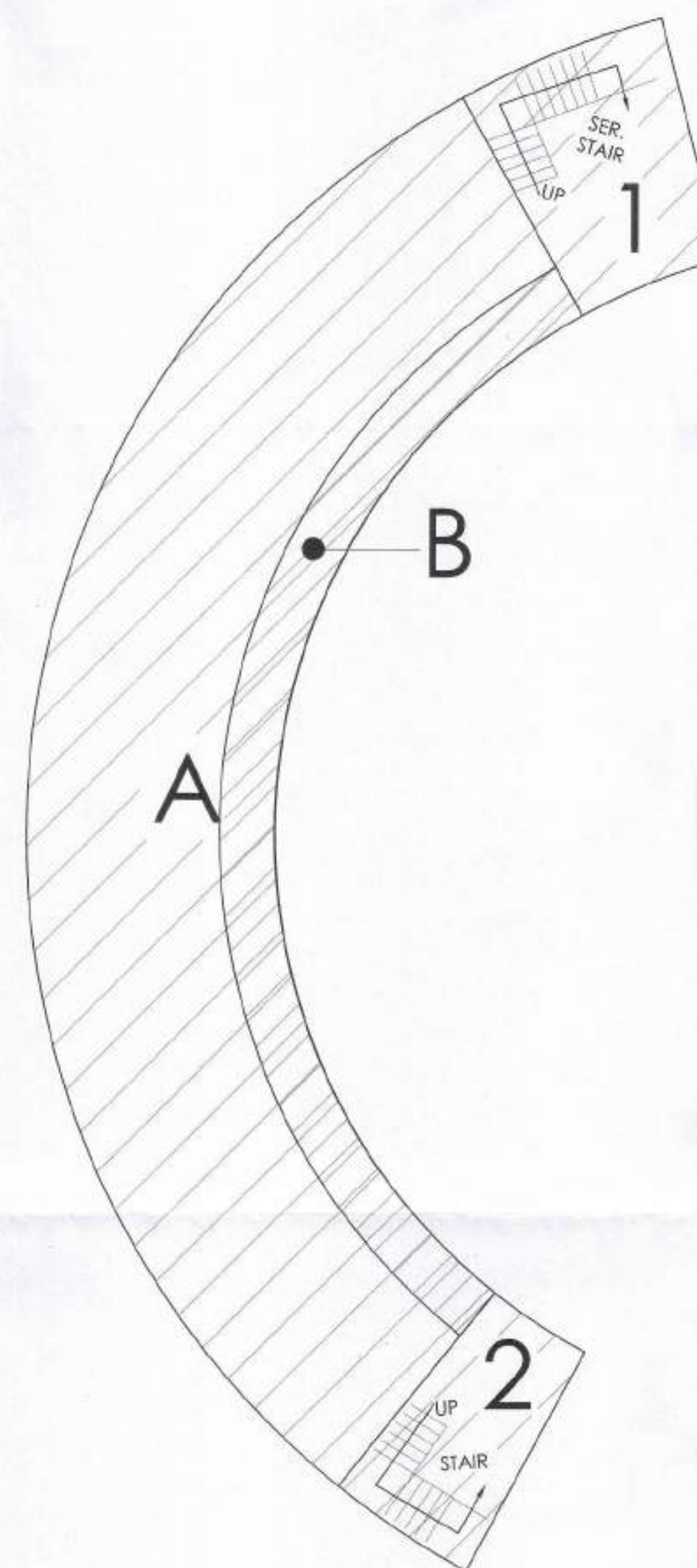
AREA OF GROUND FLOOR

REGION	RADIUS	AREA (sq.m.)
A	----	166.39
TOTAL=A		166.39

AREA OF STAIRCASE

REGION	RADIUS	AREA (sq.m.)
1	----	21.62
2	----	15.52
TOTAL=1+2		37.14

COMMERCIAL COMPLEX-
GROUND FLOOR PLAN



AREA OF FIRST FLOOR

REGION	RADIUS	AREA (sq.m.)
A	----	166.39
B	----	31.83
TOTAL=A+B		134.56

AREA OF STAIRCASE

REGION	RADIUS	AREA (sq.m.)
1	----	21.62
2	----	15.52
TOTAL=1+2		37.14

AREA OF PASSAGE

REGION	RADIUS	AREA (sq.m.)
B	----	31.83
TOTAL=B		31.83

COMMERCIAL COMPLEX-
FIRST FLOOR PLAN

TOTAL AREA OF COMMERCIAL COMPLEX

1.	TOTAL AREA = AREA OF GROUND FLOOR + AREA OF FIRST FLOOR			
	= 166.39 + 134.56			
	= 300.95 SQ M.			
2.	TOTAL PASSAGE AREA	=	31.83	SQ M.
3.	TOTAL STAIRCASE AREA	=	74.28	SQ M.
6	TOTAL BUA. AREA	=	300.95 + 31.83 + 74.28	
		=	407.06	SQ M.

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार बर्षाजल संचयन का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान दर्शा जावे अथवा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान दर्शा जावे अथवा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किली भी भौतिक प्रशासन भूमि/भूखण्ड के प्रति स्थायित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा। और न ही इससे किली के स्थायित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

विद्युत सेवा में नलकरी एवं, जल, मल, निकास अग्नि शमन आदि सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जायेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के पट्टिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का निचयानुसार प्रावधान किया जावे।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Parking Area Will Be UTI's Property

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में द्योते गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्राप्ति का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 14-11-17
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. 34/211/17 Dt. 14-11-17

For Shilpkar Housing Private Limited

Signature of Owner

Sandeep Tandon
Architect
CA/97/21634

Signature of Architect

ADDRESS :

PROPOSED GROUP HOUSING FOR
M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD
AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217,
218, 225 AT VILLAGE - THADA
TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

SHEET TITLE :

COMMERCIAL COMPLEX-
AREA CALCULATIONS

ARCHITECTS AND CONSULTANTS

AE STUDIO

an architectural design studio

B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,

NEW DELHI-110029, Ph.- 011 26161136

E-Mail : info@aestudio.in, Web.: www.aestudio.in

SHEET NO :

33
34

DATE :

15-07-2017

PROJECT NO.:

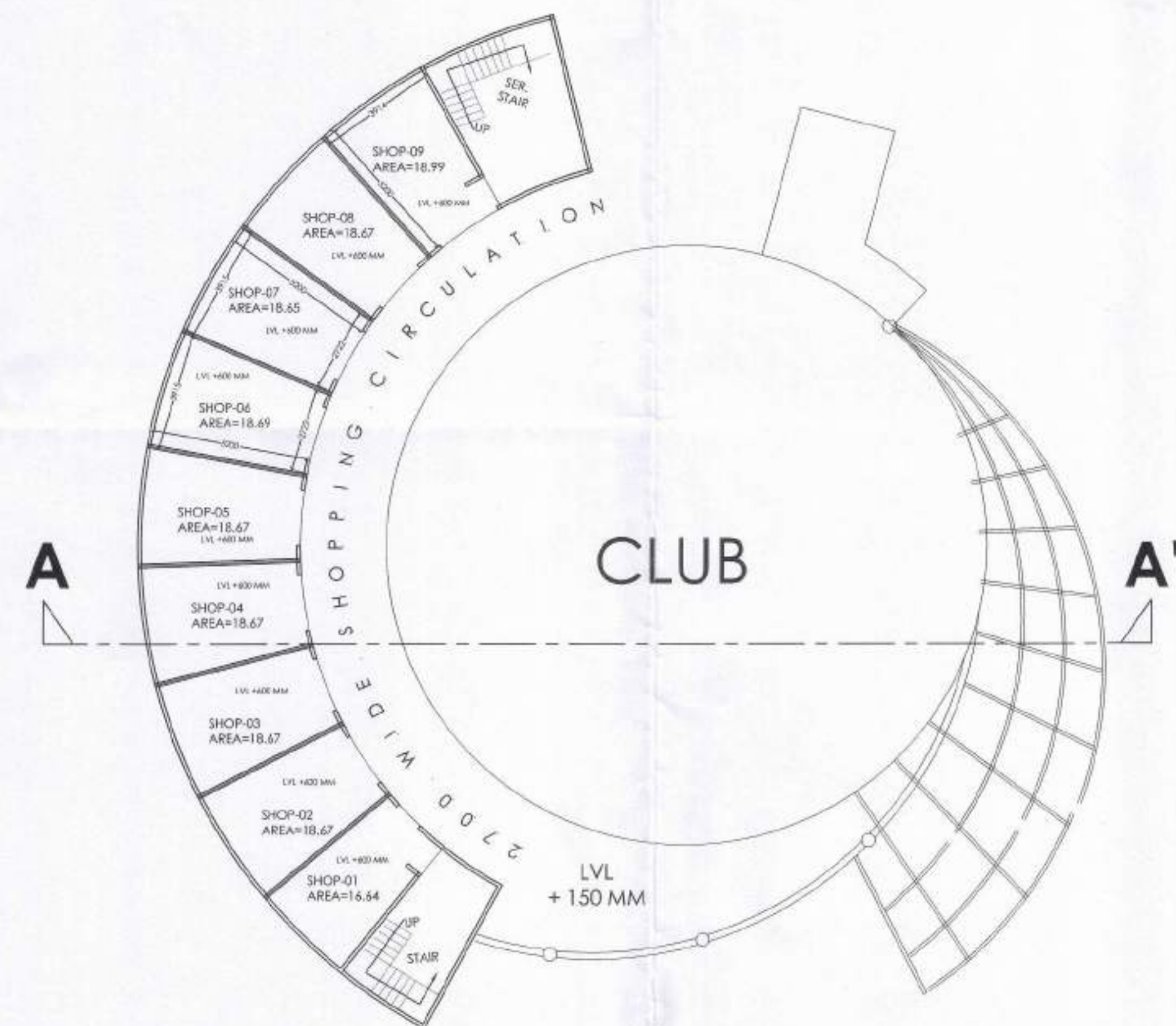
231

NORTH :

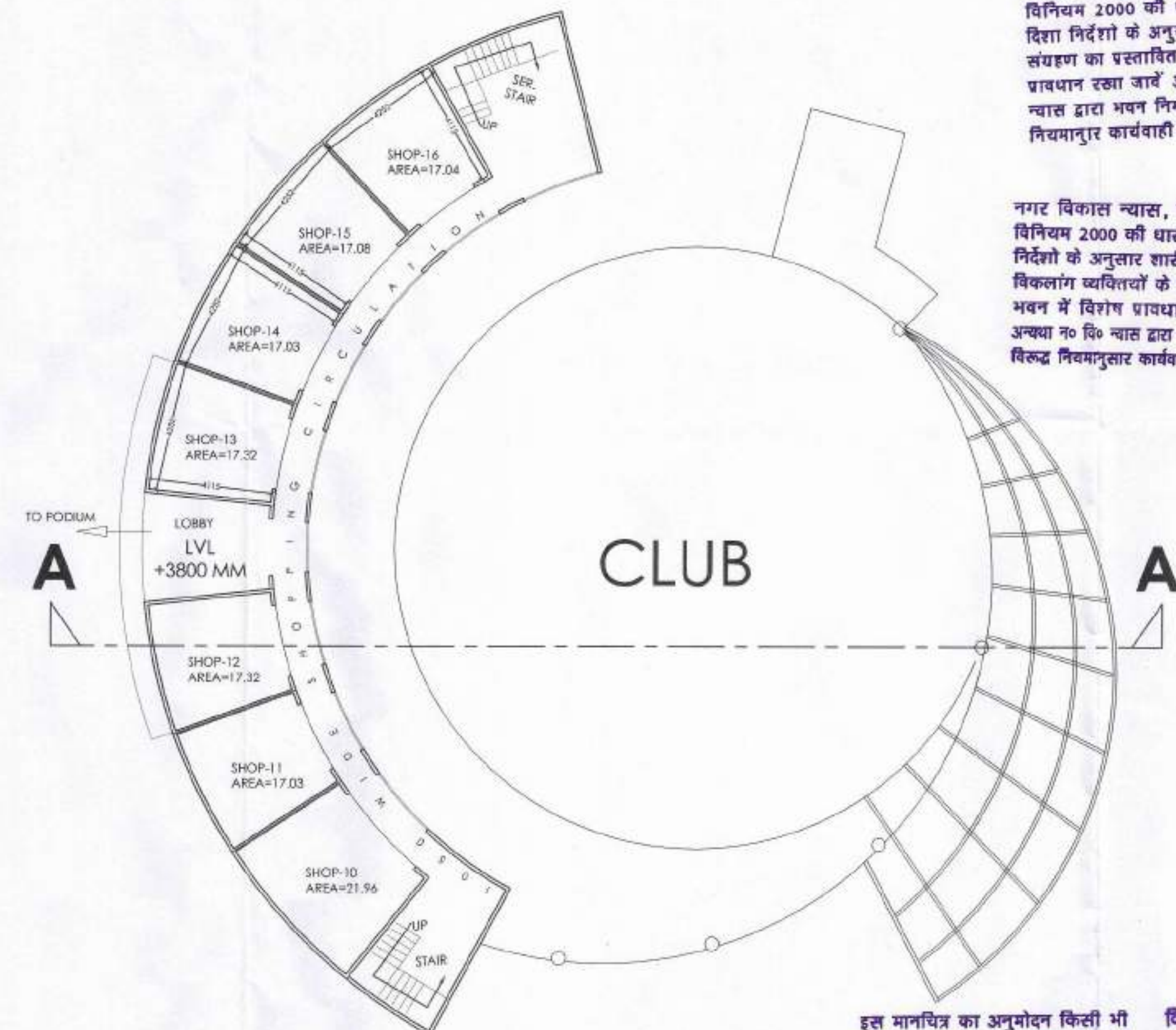


सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
मिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
मिवाडी (अलवर)



COMMERCIAL COMPLEX-
GROUND FLOOR PLAN



COMMERCIAL COMPLEX-
FIRST FLOOR PLAN

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन
विनियम 2000 की धारा 8.15 के
दिशा निर्देशों के अनुसार वर्णजल
संयोजन का प्रस्तावित भवन में विशेष
प्रावधान रखा जावे अथवा न० वि०
न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध
नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन
विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा
निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से
विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित
भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे
अथवा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के
विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी
भाति प्रमाणित भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति
स्वास्थ्य का प्रमाण-पत्र नहीं माना
जायेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व
सम्बन्धी अधिकारी ही प्रमाणित होंगे।

विद्युत सेवा में नलकरी एवं, जल, मल, निकास
अग्नि शक्ति आदि सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड
ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के
प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को
सुनिश्चित किया जायेगा।

Applicants Should get the
construction checked at plinth
level before proceeding for
further construction.

Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

Parking Area Will Be UTI's Property

"जारी किये गये अनुमोदित नल-पिचों में दशांते
गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE)
का दायित्व प्राप्ति का भी होगा।"

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 14.04.17
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. 5-11/H/17-1-4-17

For Shilpkar Housing Private Limited

Director

Signature of Owner

Sandeep Tandon
Architect
CA/97/21634

Signature of Architect

ADDRESS :

**PROPOSED GROUP HOUSING FOR
M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD**
AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217,
218, 225 AT VILLAGE - THADA
TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

SHEET TITLE :

**COMMERCIAL COMPLEX-
PLANS, SECTIONS & ELEVATIONS**

ARCHITECTS AND CONSULTANTS

AE STUDIO

an architectural design studio

B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,
NEW DELHI-110029, Ph.- 011 26161136
E-Mail : info@aestudio.in , Web: www.aestudio.in

SHEET NO :

DATE :

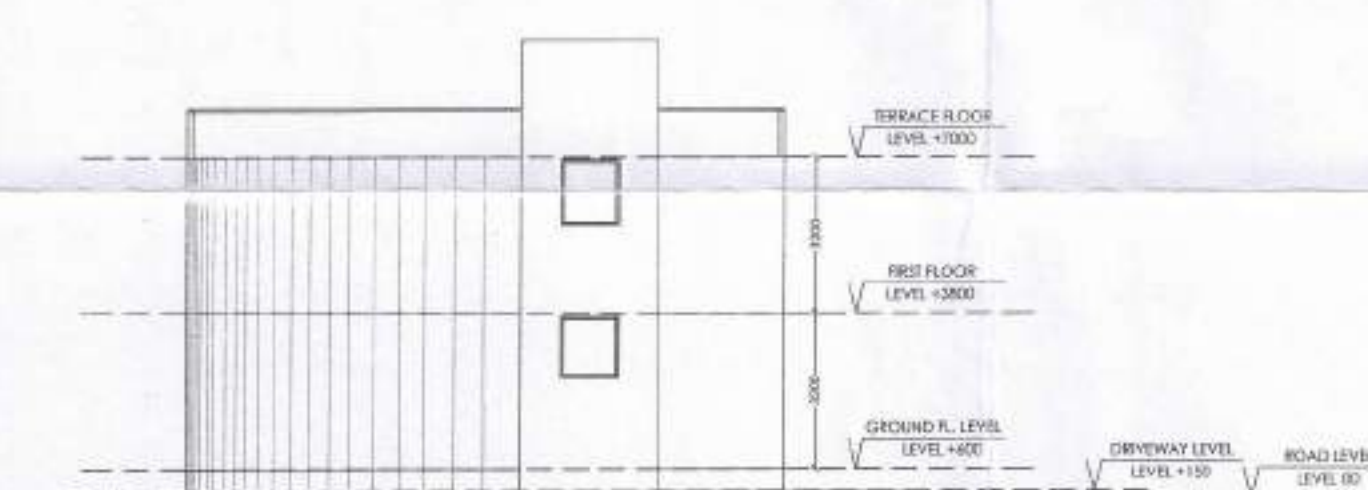
NORTH :

34
OF
34

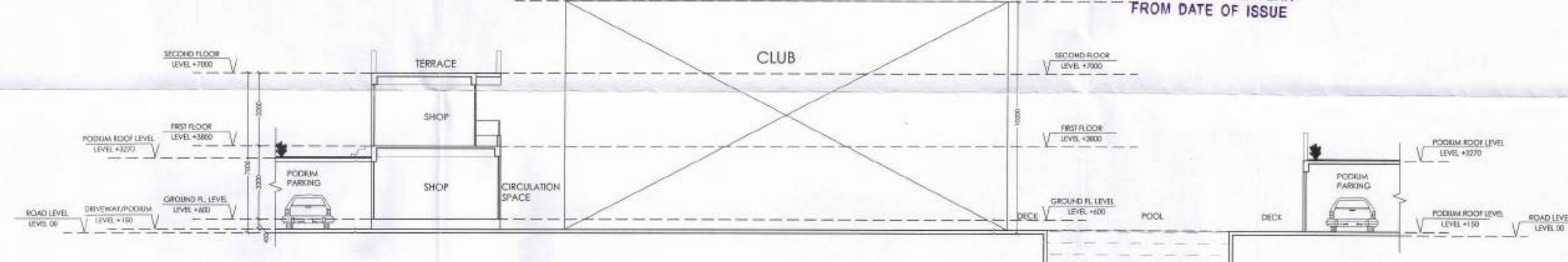
15-07-2017

PROJECT NO.:

231



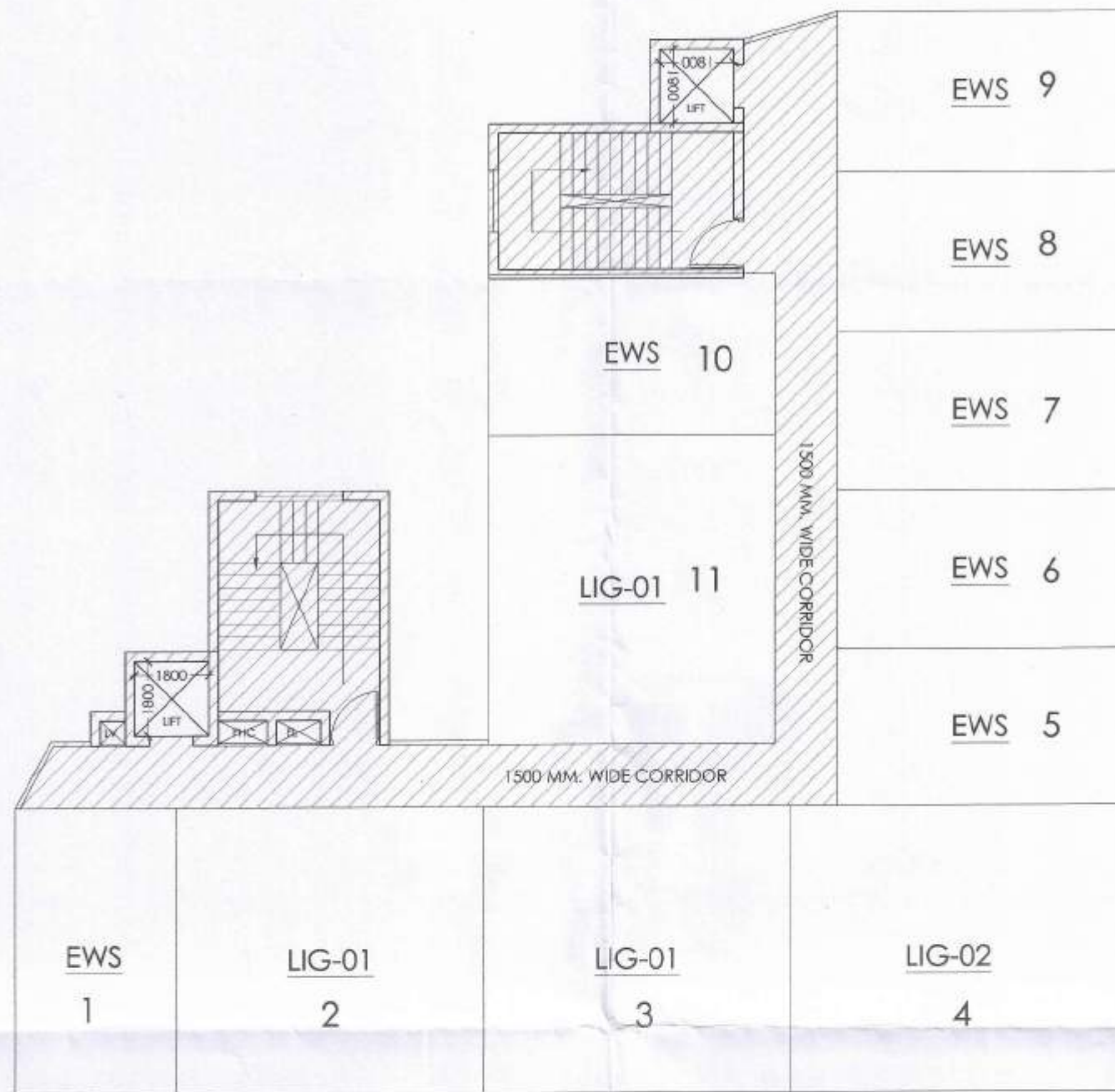
COMMERCIAL COMPLEX
-ELEVATION



COMMERCIAL COMPLEX
-SECTION

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
मिवाडी

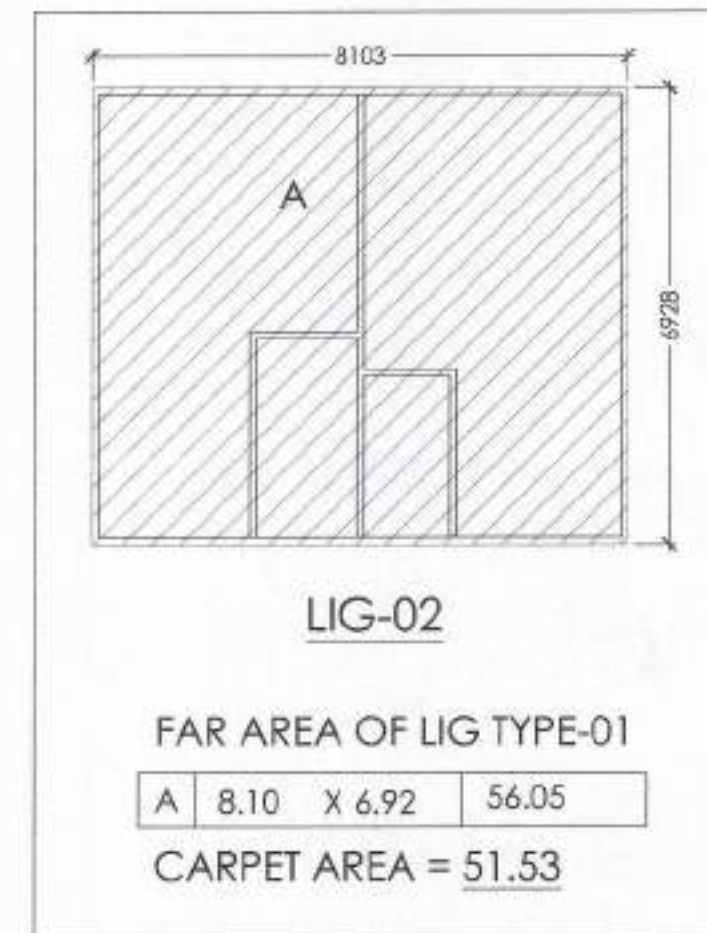
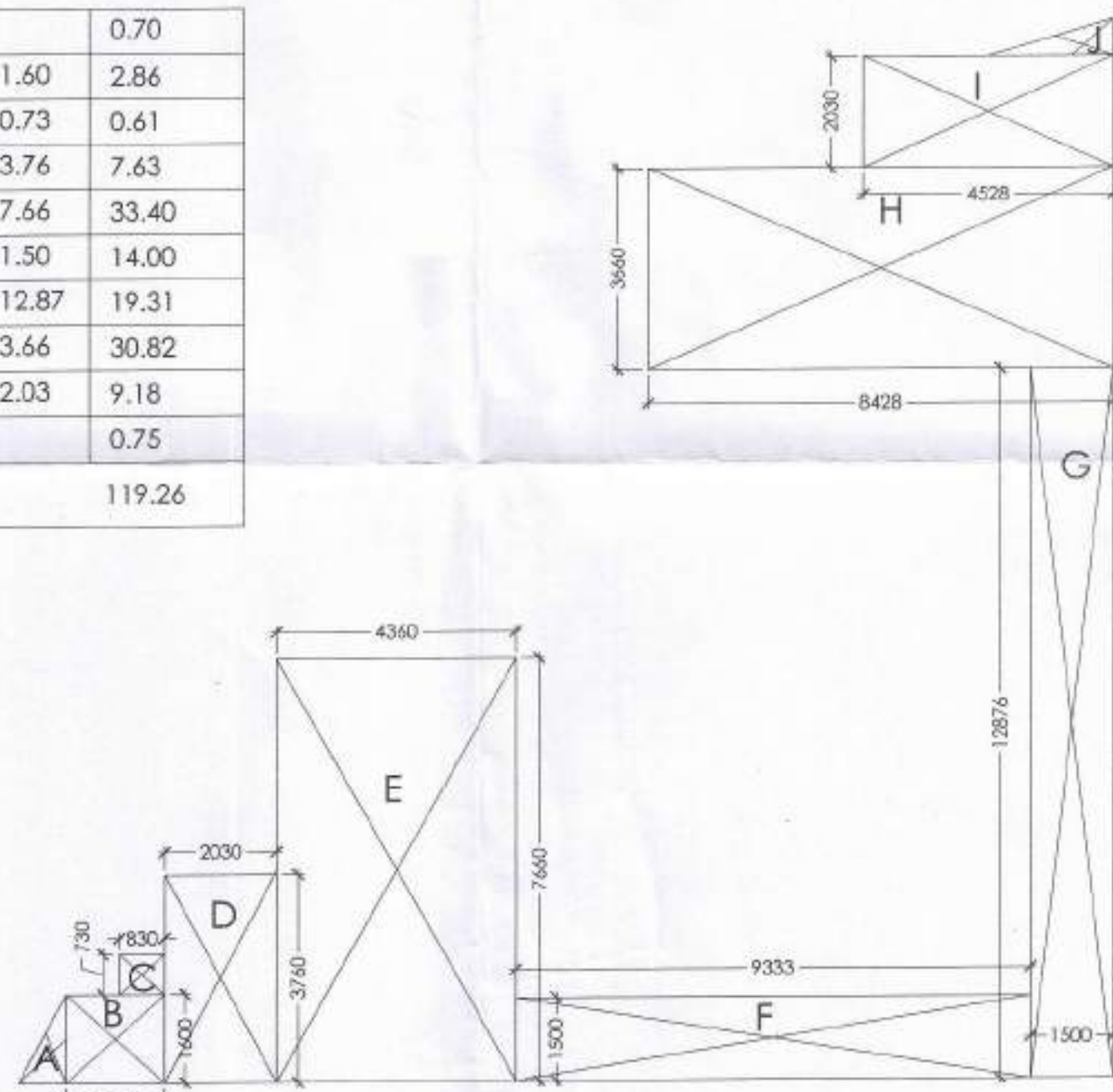
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
मिवाडी (अलवर)



TYPICAL FLOOR PLAN

AREA OF CORE PER FLOOR

A	---	0.70
B	1.79 X 1.60	2.86
C	0.83 X 0.73	0.61
D	2.03 X 3.76	7.63
E	4.36 X 7.66	33.40
F	9.33 X 1.50	14.00
G	1.50 X 12.87	19.31
H	8.42 X 3.66	30.82
I	4.52 X 2.03	9.18
J	---	0.75
TOTAL		119.26



S NO.	UNIT TYPE	CARPET AREA	BUILT UP	PERCENTAGE (%)	COMMON AREA LOADING	SUPER AREA
1	EWS	24.76	27.37	6.78	8.09	35.46
2	LIG TYPE-01	47.67	52.11	12.90	15.38	67.49
3	LIG TYPE-01	47.67	52.11	12.90	15.38	67.49
4	LIG TYPE-02	51.53	56.05	13.87	16.54	72.59
5	EWS	24.76	27.37	6.78	8.09	35.46
6	EWS	24.76	27.37	6.78	8.09	35.46
7	EWS	24.76	27.37	6.78	8.09	35.46
8	EWS	24.76	27.37	6.78	8.09	35.46
9	EWS	24.76	27.37	6.78	8.09	35.46
10	EWS	24.76	27.37	6.78	8.09	35.46
11	LIG TYPE-01	47.67	52.11	12.90	15.38	67.49
		367.86	403.97		119.31	523.28
SUPER BUILT-UP AREA PER FLOOR =				523.28		
TOTAL SUPER BUILT-UP AREA =				523.28 X 8 FLOOR		
				=	4186.24 SQMT.	

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt... 1-17
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No... 01-17

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भियाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भियाडी (अलवर)

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भियाडी भवन
विनियम 2000 की धारा 8.15 के
द्वारा निर्देशों के अनुसार बर्चाल
संरचना का प्रस्तावित भवन में विशेष
प्रावधान रखा जावे अन्यथा नो वि
न्यास द्वारा भवन निर्माण के विरुद्ध
नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

नगर विकास न्यास, भियाडी भवन
विनियम 2000 की धारा 12 के द्वारा
निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से
विकलांग व्यक्तियों के निर्वह प्रस्तावित
भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे
अन्यथा नो वि न्यास द्वारा भवन निर्माण के
विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी
भूति प्रशासन भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति
स्वाधित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना
जायेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व
सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, निःसल
अग्नि शमन आदि सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड
ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के
प्रावधानों/सम्बन्धित भागों के प्रावधानों को
सुनिश्चित किया जायेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006
की धारा 14 में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक
04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक
का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रभाव
पत्र" अर्थात् पर्यावरण प्रभाव अध्ययन प्रारम्भ किया
जाना अनिवार्य होगा।

Applicants Should get the
construction checked at plinth
level before proceeding for
further construction.

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जायेगा।

Rain Water Harvesting Unite
Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

"जारी किये गये अनुमोदन मान-चित्रों में द्वांरे
गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE)
का शायिल शायी ख ही होगा।"

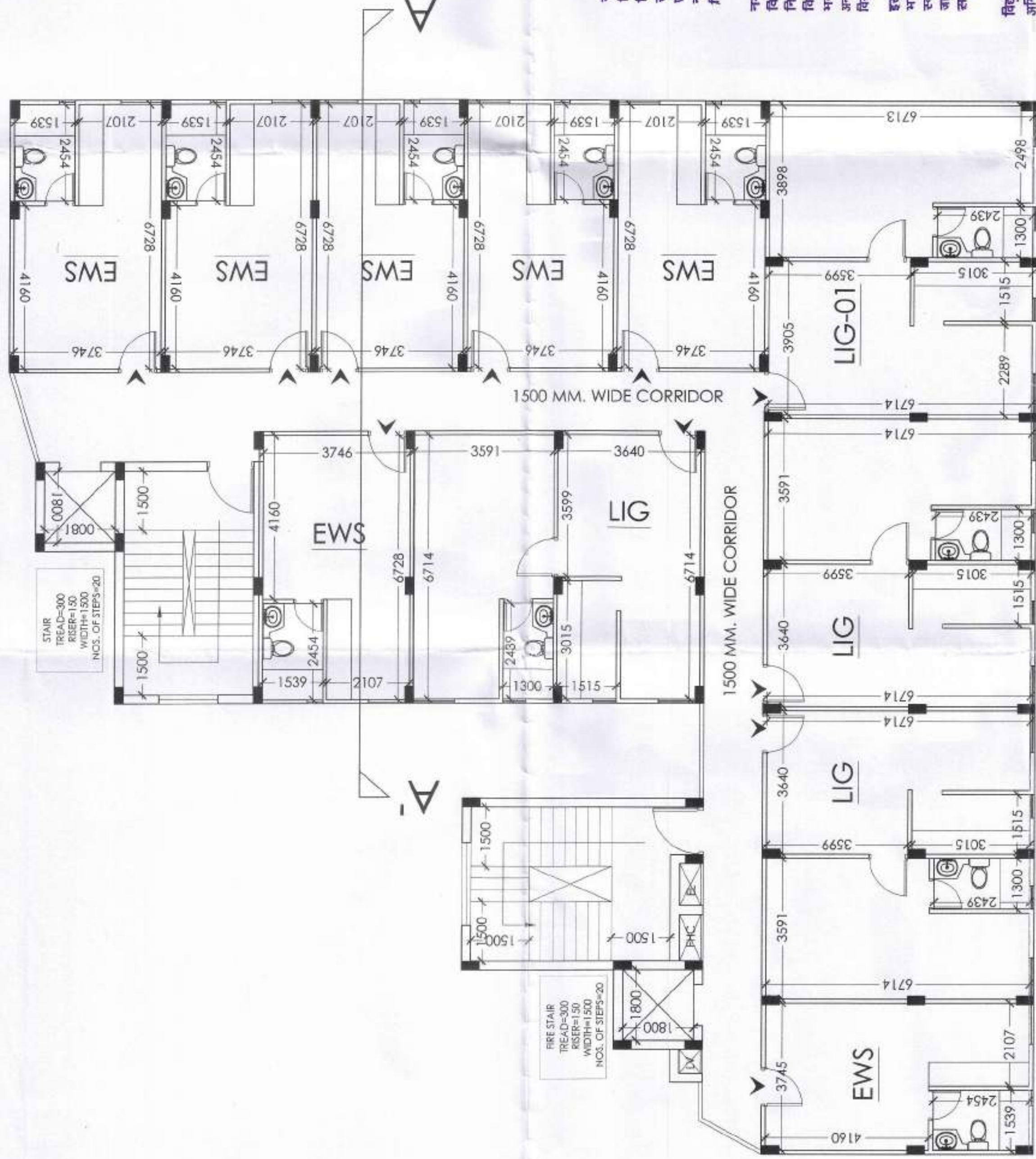
Parking Area Will Be UT's Property

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE

For Shipkar Housing Private Limited	Sandeep Tandon Architect CA/97/21634
Signature of Owner	Signature of Architect
ADDRESS : PROPOSED GROUP HOUSING FOR M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217, 218, 225 AT VILLAGE - THADA TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)	
SHEET TITLE : EWS/LIG AREA CALCULATION	
ARCHITECTS AND CONSULTANTS AE STUDIO an architectural design studio B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE, NEW DELHI-110029 , Ph.- 011 26161136 E-Mail : info@aestudio.in , Web.: www.aestudio	
SHEET NO : 28 OF 34	DATE : 15-07-2017 PROJECT NO.: 231
NORTH : 	

DWELLING UNIT CALCULATION				
NO. TOWER	NO. OF DU/FLOOR		TOTAL NO. OF DU/FLOOR	NO. OF FLOOR
	LIG	EWS		
	LIG / EWS	4	7	11
				8
				88

OPENING SCHEDULE				
S.NO	TYPE	SIZE	SILL LVL.	LINTEL
1	D	1050	00	2100
2	D1	975	00	2100
3	D2	900	00	2100
4	D3	750	00	2100
5	DW	2020	1100	2400
6	DW1	2700	450	2400
7	DW2	2215	450	2400
8	DW3	1725	450	2400
9	DW4	1565	450	2100
10	DW5	1610	1100	2100
11	DW6	1605	450	2100
12	V1	450	1650	2100



अनुमोदित

नगर विकास च्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार एप्लाइड संरचना का परामर्शित भवन में विशेष प्रावधान रखा जाई अथवा नो बिन्दु न्यास द्वारा भवन निर्माण के विरुद्ध निष्कापुत्र कार्यवाही की जायेगी।

नगर विकास च्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के बिना निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जाई अथवा नो बिन्दु न्यास द्वारा भवन निर्माण के विरुद्ध निष्कापुत्र कार्यवाही की जायेगी। इत मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भास्ति परामर्शित भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

विद्युत सेवा में नक्करी एवं जल, मल, निकास अतिर शस्त्र आदि सेवाएँ मेकनिकल इंजिनियर कोड ऑफ इन्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/स्वीडिश नगरों के प्रावधानों की सुनिश्चित किया जायेगा।

TYPICAL FLOOR PLAN

सबल सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में सबल सरकार के परिच्छेद दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर में अधिक का भिन्न प्रारम्भ करने से पूर्व "परमिटर" प्रमाण पत्र" अपाणी प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त प्राप्त किया जना अनिवार्य होगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

In Compliance of Layout Plan Building Plan Committee D.A. 1-17 One Set of Building Plans Approved is Issued Along With Letter No. D. 594/17/17 51-9-17-

सहायक नगर नियोजक नगर विकास च्यास, मिवाडी

चरित नगर नियोजक नगर विकास च्यास मिवाडी (अवर)

SHEET NO: 29 OF 34		For Shipkar Housing Private Limited	Signature of Owner	Signature of Architect
DATE: 15-07-2017		ADDRESS: PROPOSED GROUP HOUSING FOR M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217, 218, 225 AT VILLAGE - THADA TEHSIL - TJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)		
PROJECT NO.: 231		SHEET TITLE: EWS/LIG FLOOR PLANS		
NORTH:		ARCHITECTS AND CONSULTANTS AE STUDIO an architectural design studio B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE, NEW DELHI-110029 . Ph:- 011 26161136 E-Mail : info@aestudio.in , Web.: www.aestudio.		

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन
विनिमय 2000 की धारा 8.15 के
द्वारा निर्देशों के अनुसार कबल
संरचना का प्रस्तावित भवन में विनिमय
प्रदान करा जावे, अथवा 80 कि०
न्यास द्वारा भवन निर्माण के लिए
निर्माण कबल को जारी है।

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन
विनिमय 2000 की धारा 12 के द्वारा
निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से
विकास क्षमता के लिए स्थापित
भवन में विशेष प्रदान करा जावे
अथवा 80 कि० न्यास द्वारा भवन निर्माण के
लिए निर्माण कबल को जारी है।

इस मानचित्र का उपयोग किसी भी
भविष्य के भवन निर्माण के लिए
स्वास्थ्य का प्रमाण नहीं माना
जावेगा। और न ही इसे किसी के समान
सम्बन्धी अधिकारों की प्रमाणित है।

विनिमय सेवा में नकल एवं जल भर विकास
अभि रचना आदि सेवाएं भवन निर्माण कोड
ऑफ इंडिया के प्राधान्य/स्व निर्माणों के
प्राधान्य/स्व निर्माणों के प्राधान्य को
सुनिश्चित किया जावेगा।

नगर विकास की अधिकतम लंबाई 14.59.2006
की धारा में रख सका के भवन निर्माण
04.02.2011 के अनुसार 2000 की धारा 8.15.13
का निर्माण प्रदान करने के लिए "न्यास" द्वारा
नगर विकास प्रदान करा जावेगा 80 कि०
न्यास द्वारा भवन निर्माण के लिए

Applicants Should get the
construction checked at plinth
level before proceeding for
further construction.

पेड लगाओ-हदियाली बंदो
सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमनुसार प्रदान किया जावे।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग कबल
पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Rain Water Harvesting Units
Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.

Parking Area Will Be UTI's Property

ROAD LEVEL

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee D-114-17
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along With
Letter No. D-114-17

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
मिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
मिवाडी (अवर)

For Shilpkar Housing Private Limited

Signature of Owner

Signature of Architect

ADDRESS :

PROPOSED GROUP HOUSING FOR
M/S SHILPKAR HOUSING PVT. LTD
AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217,
218, 225 AT VILLAGE - THADA
TEHSIL - TIJARA, DIST. ALWAR (RAJ.)

SHEET TITLE :

EWS/LIG

SECTION & ELEVATION

SECTION A-A"

SHEET NO :

DATE :

NORTH :

15-07-2017

PROJECT NO :

231

ARCHITECTS AND CONSULTANTS

AE STUDIO

an architectural design studio

B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,

NEW DELHI-110029 , Ph.- 011 26161136

E-Mail : info@aestudio.in , Web.: www.aestudio

S.NO	PARTICULARS	SQ.MT.
1	TOTAL PLOT AREA AS PER REVENUE	47500.00
2a	TOTAL PLOT AREA AS PER SURVEY	47485.97
2b	TOTAL PLOT AREA	47485.97
2c	AREA SURRENDERED IN ROAD WIDENING IN 60.0 M AND 45.0 M WIDE ROAD	6267.71
2d	AREA SURRENDERED IN 12.0 M WIDE NALA AREA	134.37
	AREA SURRENDERED IN FACILITIES	2054.19
3	COMMERCIAL AREA	3739.49
4	REMAINING PLOT AREA (47485.97-6267.71-134.37-2054.19-3739.49)	35290.21
5	NET PLOT AREA	35290.21
6	PERM. GROUND COVG. = 35% OF NET PLOT AREA = 35290.21 X 35%	12351.57
7	PROPOSED GROUND COVERAGE (19.94%)	7038.74
8	REQUIRED 20% AREA UNDER GREEN (BECAUSE OF PODIUM) 15% PODIUM +5% ON SURFACE	7058.04
9	PROPOSED AREA UNDER GREEN PODIUM+ SURFACE = 5399.13 (15.30%) + 2682 (7.6%)	8081.13 (22.90%)
10	F.A.R. CALCULATIONS	
10a	BASIC PERMISSIBLE F.A.R.(1.33) = 1.33 X 35290.21	46935.98
10b	F.A.R. FOR AREA UNDER SURRE. LAND = 6267.71	6267.71
10c	F.A.R. IN LIEU OF EWS/LIG CONST. (0.5) = 0.5 X 35290.21	17645.11
10d	TOTAL PERMISSIBLE F.A.R.	70848.80
10e	PERMISSIBLE COMMERCIAL FAR. (3% OF TOTAL PER. FAR.)	2125.46
10f	PERMISSIBLE RESIDENTIAL FAR.	68723.34

11	PROPOSED F.A.R.	
11a	F.A.R. AREA OF TOWER -ACASIA	3378.40
11b	F.A.R. AREA OF TOWER -BASIL	3378.40
11c	F.A.R. AREA OF TOWER HENNA-JASMINE	15588.35
11d	F.A.R. AREA OF TOWER JUNIPER	9060.29
11e	F.A.R. AREA OF TOWER CAMPHOR	14038.80
11f	F.A.R. AREA OF TOWER GENISTA	5332.56
11g	F.A.R. AREA OF TOWER KEY FLOWER	3987.53
11h	TOTAL PROPOSED RESIDENTIAL FAR OF TOWERS	54764.33
12a	F.A.R. AREA OF COMMERCIAL BLOCK	300.95
12b	TOTAL PROPOSED FAR. AREA	55065.28
14	L.I.G / E.W.S CALCULATIONS	
14a	TOTAL REQUIRED AREA FOR LIG/EWS = 7.5% of RESID. FAR.	4107.32
14b	TOTAL PROPOSED AREA FOR LIG/EWS	4186.24
15	FACILITY AREA CALCULATIONS	
15a	TOTAL ALLOWED FACILITY AREA = 5% of TOTAL FAR.	2738.22
15b	TOTAL PROPOSED FACILITY AREA	731.24

AREA STATEMENT

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार भवन में विशेष प्रावधान दस्तावेज अर्थात् नं० बि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध निचयानुसार कार्यवाही की जायेगी।

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान दस्तावेज अर्थात् नं० बि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध निचयानुसार कार्यवाही की जायेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति प्रमाणित भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी की प्रभावित होगी।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, निकास अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जायेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण पत्र" अनिवार्य प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का निचयानुसार प्रावधान किया जाये।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

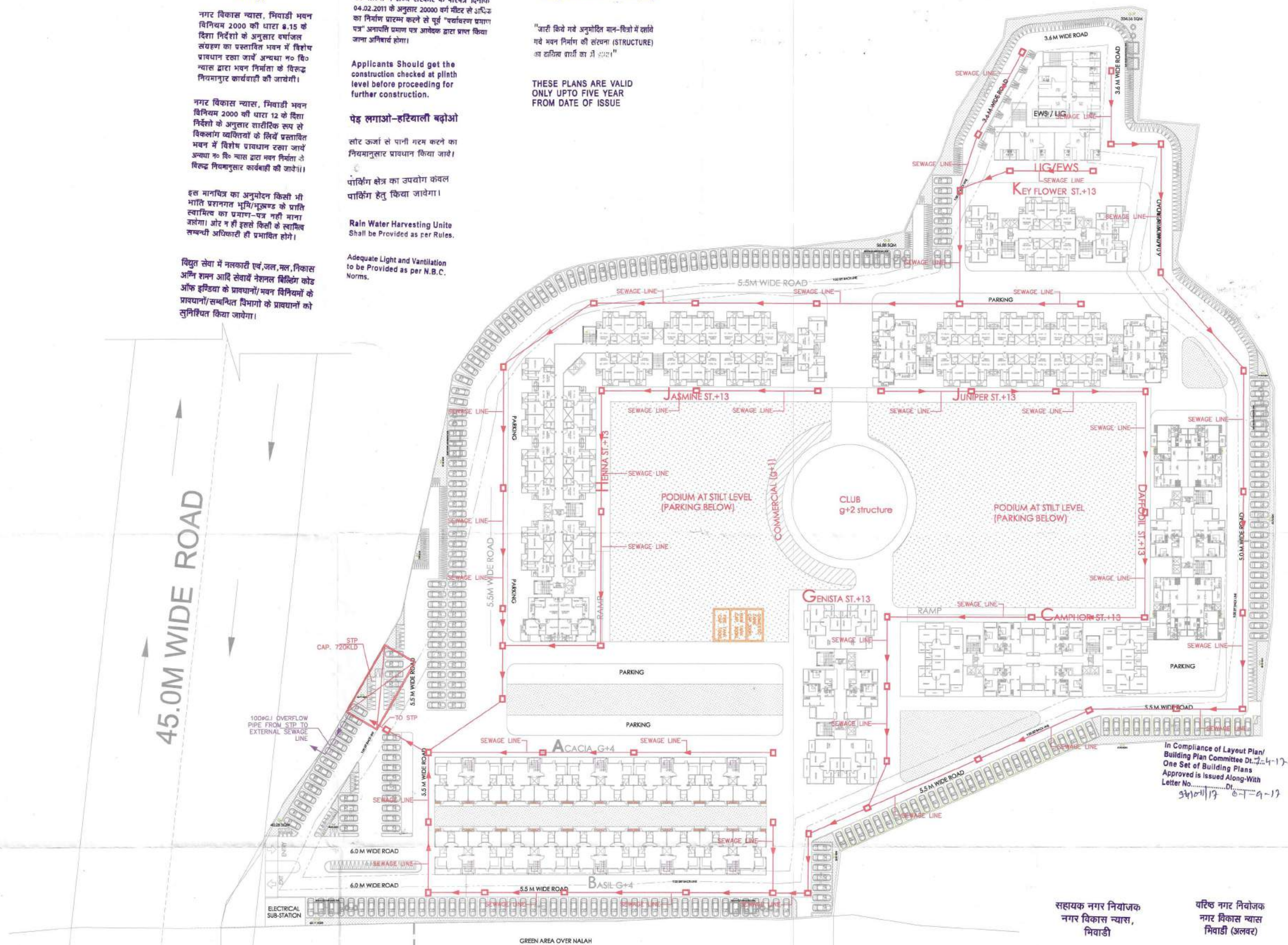
Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Parking Area Will Be UTI's Property

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में खाली गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व शर्तों का जो है।"

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE



In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 2-4-17
One Set of Building Plans
Approved is issued Along-With
Letter No. 9310/17 Dt. 04-07-17

सहायक नगर निवाजक
नगर विकास न्यास,
मिवाडी

परिच नगर निवाजक
नगर विकास न्यास
मिवाडी (अलवर)

For Shilpkar Housing Private Limited

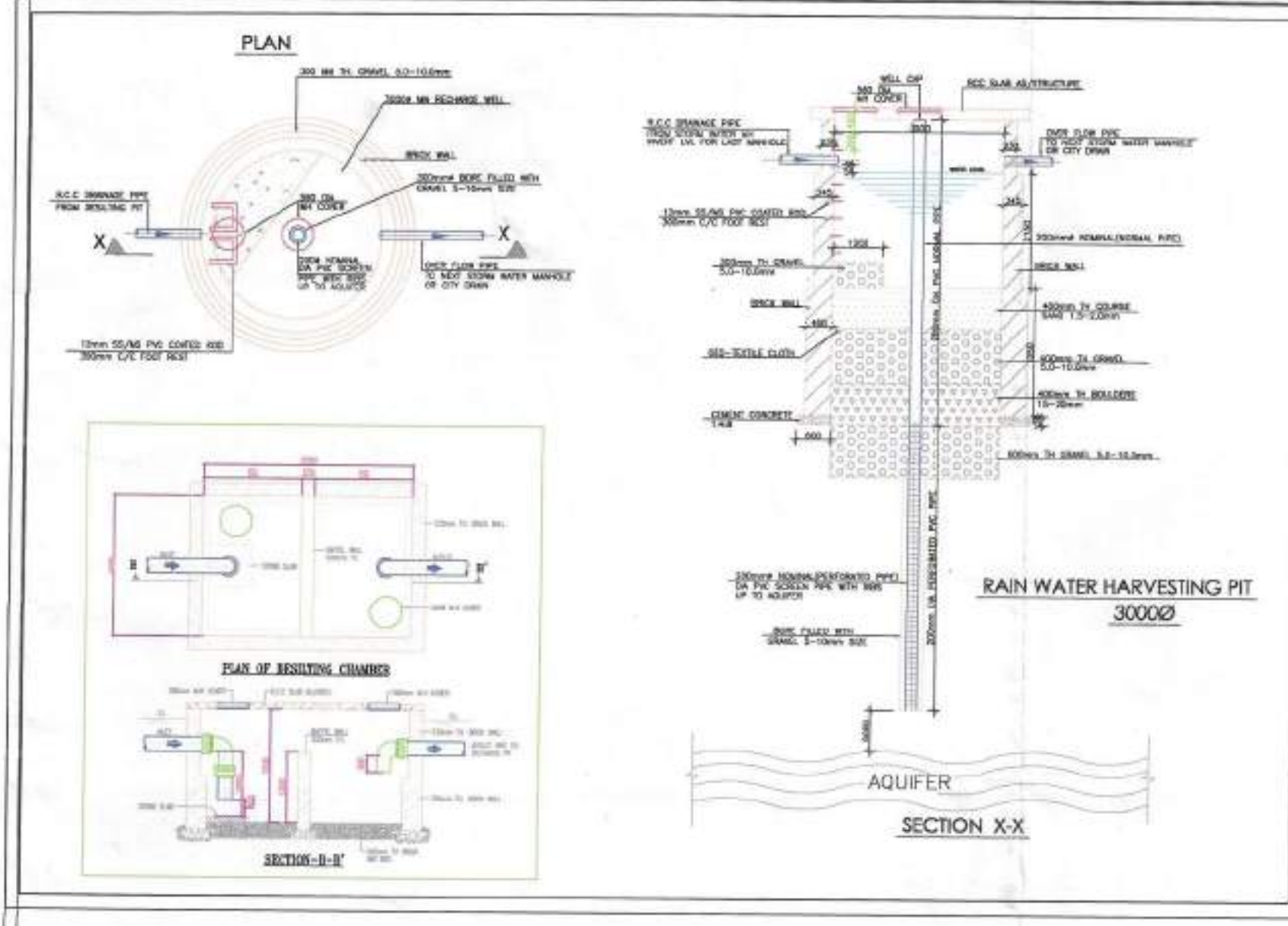
Sandeep Tandon
Architect
CA/97/21634

PLUMBING LEGEND

	SEWAGE MANHOLE
	SEWAGE PIPE

DRAWING TITLE PLUMBING DRAWING SITE PLAN (SEWAGE)	SERVICES CONSULTANTS:- INTEGRAL DESIGNS E- 90 ANAND NIKETAN, NEW DELHI -110021 PHONE:- 41518300, 41518301 E-MAIL : MEP@INTEGRALDESIGN.IN	CHECKED: RAKESH SCALE: 1:500 (A-1) DATE: 19/07/16 DRAWN BY: RAKESH REV. NO. 01 REV. DATE: 19/07/16 REV. BY: (SIGNATURE)
---	---	--

ENVIRONMENT CLEARANCE DRAWING



अनुमोदित

नगर विकास न्यास, निवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अथवा नो दि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध निवमानुर कार्यवाही की जायेगी।

नगर विकास न्यास, निवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अथवा नो दि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध निवमानुर कार्यवाही की जायेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति प्रशानगत भूमि/भूजण्ड के प्राप्ति स्वाभित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा। और न ही इससे किसी के स्वाभित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं,जल,मल,निकास प्रणि रामन आदि सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जायेगा।

भारत सरकार की अधिनियम दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "चर्चावर्ण पत्र" पत्र" अपावर्तित प्रमाण पत्र आवेक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का निवमानुर प्रावधान किया जावे।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

Rain Water Harvesting Unit Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Parking Area Will Be UTI's Property

"जहाँ किये गये अनुमोदित ग्ल-चित्रों में खाते गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्राप्ति का है होगा।"

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

AREA STATEMENT

S.NO	PARTICULARS	SQ.MT.
1	TOTAL PLOT AREA AS PER REVENUE	47500.00
2a	TOTAL PLOT AREA AS PER SURVEY	47485.97
2b	TOTAL PLOT AREA	47485.97
2c	AREA SURRENDERED IN ROAD WIDENING IN 60.0 M AND 45.0 M WIDE ROAD	6267.71
2d	AREA SURRENDERED IN 12.0 M WIDE NALA AREA	134.37
	AREA SURRENDERED IN FACILITIES	2054.19
3	COMMERCIAL AREA	3739.49
4	REMAINING PLOT AREA (47485.97-6267.71-134.37-2054.19-3739.49)	35290.21
5	NET PLOT AREA	35290.21
6	PERM. GROUND COVG. = 35% OF NET PLOT AREA = 35290.21 x 35%	12351.57
7	PROPOSED GROUND COVERAGE (19.94 %)	7038.74
8	REQUIRED 20% AREA UNDER GREEN (BECAUSE OF PODIUM) 15% PODIUM +5% ON SURFACE	7058.04
9	PROPOSED AREA UNDER GREEN PODIUM+ SURFACE = 5399.13 (15.30%) + 2682 (7.6%)	8081.13 (22.90%)
10	F.A.R. CALCULATIONS	
10a	BASIC PERMISSIBLE F.A.R.[1.33] = 1.33 X 35290.21	46935.98
10b	F.A.R. FOR AREA UNDER SURRE. LAND = 6267.71	6267.71
10c	F.A.R. IN LIEU OF EWS/LIG CONST. (0.5) = 0.5 X 35290.21	17645.11
10d	TOTAL PERMISSIBLE F.A.R.	70848.80
10e	PERMISSIBLE COMMERCIAL FAR. (3% OF TOTAL PER. FAR.)	2125.46
10e	PERMISSIBLE RESIDENTIAL FAR.	68723.34

11	PROPOSED F.A.R.	
11a	F.A.R. AREA OF TOWER -ACASIA	3378.40
11b	F.A.R. AREA OF TOWER -BASIL	3378.40
11c	F.A.R. AREA OF TOWER HENNA-JASMINE	15588.35
11d	F.A.R. AREA OF TOWER JUNIPER	9060.29
11e	F.A.R. AREA OF TOWER CAMPHOR	14038.80
11f	F.A.R. AREA OF TOWER GENISTA	5332.56
11g	F.A.R. AREA OF TOWER KEY FLOWER	3987.53
11h	TOTAL PROPOSED RESIDENTIAL FAR OF TOWERS	54764.33
12b	F.A.R. AREA OF COMMERCIAL BLOCK	300.95
12c	TOTAL PROPOSED FAR. AREA	55065.28

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee DL-7413
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. Dt. 24-11-17 01-9-17

14	L.I.G / E.W.S CALCULATIONS	
14a	TOTAL REQUIRED AREA FOR LIG/EWS = 7.5% of RESID.FAR	4107.32
14b	TOTAL PROPOSED AREA FOR LIG/EWS	4186.24
15	FACILITY AREA CALCULATIONS	
15a	TOTAL ALLOWED FACILITY AREA = 5% of TOTAL FAR.	2738.22
15b	TOTAL PROPOSED FACILITY AREA	731.24

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
निवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
निवाडी (अलवर)

For Shipkar Housing Private Limited
Sandeep Tandon
Architect
CA/97/21634

PLUMBING LEGEND

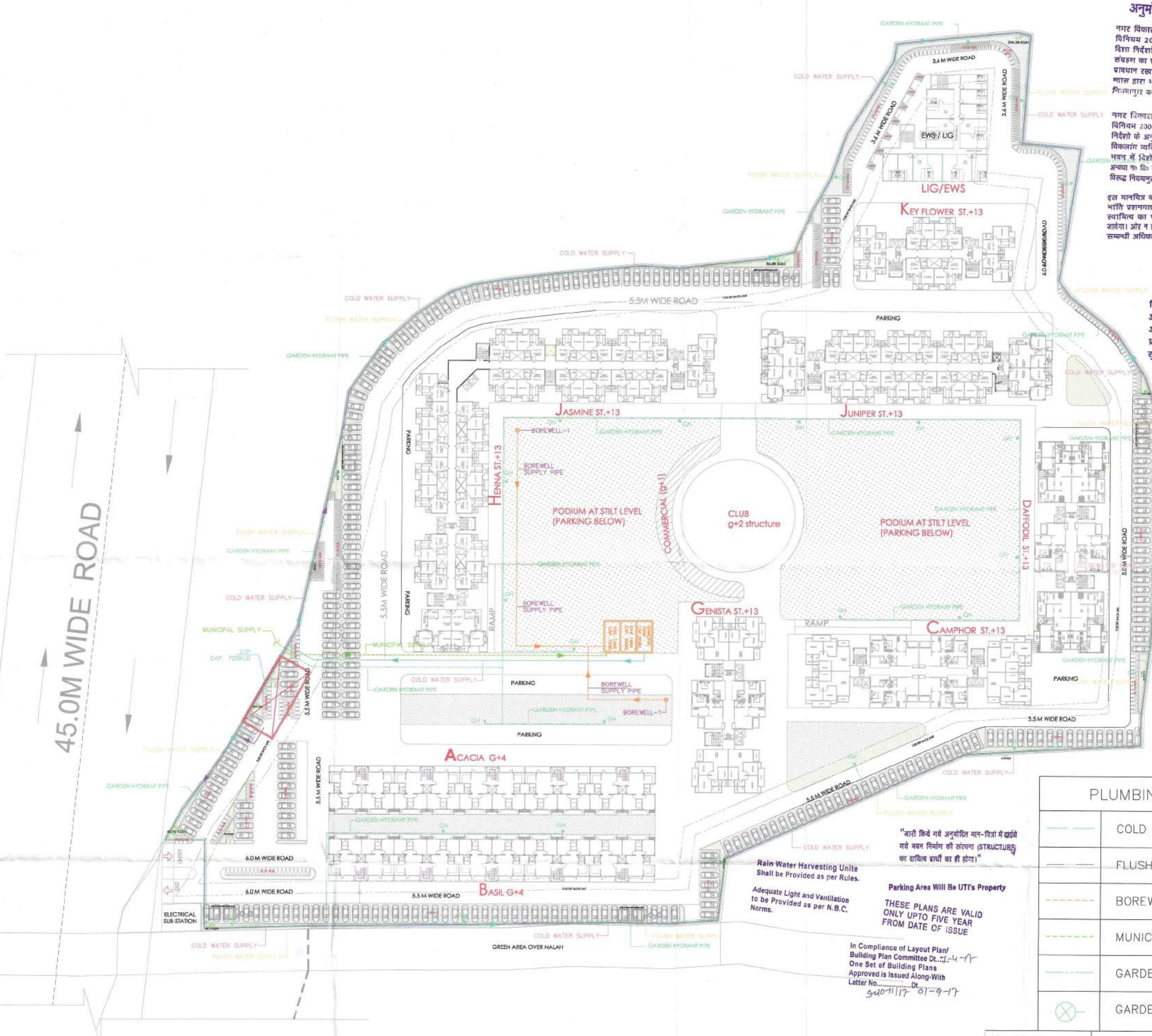
	DRAINAGE MANHOLE
	RAIN WATER PIPE

DRAWING TITLE PLUMBING DRAWING SITE PLAN (STORM WATER)	
ARCHITECTS AND CONSULTANTS AE STUDIO B4/225, SAFEDURJUNG ENCLAVE, NEW DELHI-110023. PH- 28161138 Email - info@aeastudio.in	SERVICES CONSULTANTS:- INTEGRAL DESIGNS E- 90 ANAND NIKETAN, NEW DELHI-110021 PHONE:- 41518300, 41518301 E-MAIL : MEP@INTEGRALDESIGN.IN
CHECKED: REV. NO. DATE	DATE
SCALE: 1:200 (A-0)	1:200 (A-0)
DRAWN BY: RAMESH	DRAWN BY: RAMESH

ENVIRONMENT CLEARANCE DRAWING

S.NO	PARTICULARS	SQ.MT.
1	TOTAL PLOT AREA AS PER REVENUE	47500.00
2a	TOTAL PLOT AREA AS PER SURVEY	47485.97
2b	TOTAL PLOT AREA	47485.97
2c	AREA SURRENDERED IN ROAD WIDENING IN 60.0 M AND 45.0 M WIDE ROAD	6267.71
2d	AREA SURRENDERED IN 12.0 M WIDE NALA AREA	134.37
	AREA SURRENDERED IN FACILITIES	2054.19
3	COMMERCIAL AREA	3739.49
4	REMAINING PLOT AREA (47485.97-6267.71-134.37-2054.19-3739.49)	35290.21
5	NET PLOT AREA	35290.21
6	PERM. GROUND COVG. = 35% OF NET PLOT AREA = 35290.21 x 35%	12351.57
7	PROPOSED GROUND COVERAGE (19.94 %)	7038.74
8	REQUIRED 20% AREA UNDER GREEN (BECAUSE OF PODIUM) 15% PODIUM +5% ON SURFACE	7058.04
9	PROPOSED AREA UNDER GREEN PODIUM+ SURFACE = 5399.13 (15.30%) +2682 (7.6%)	8081.13 (22.90%)
10	F.A.R. CALCULATIONS	
10a	BASIC PERMISSIBLE F.A.R.(1.33) = 1.33 X 35290.21	46935.98
10b	F.A.R. FOR AREA UNDER SURR. LAND = 6267.71	6267.71
10c	F.A.R. IN LIEU OF EWS/LIG CONST. (0.5) = 0.5 X 35290.21	17645.11
10d	TOTAL PERMISSIBLE F.A.R.	70848.80
10e	PERMISSIBLE COMMERCIAL FAR. (3% OF TOTAL PER. FAR.)	2125.46
10e	PERMISSIBLE RESIDENTIAL FAR.	68723.34

11	PROPOSED F.A.R.	
11a	F.A.R. AREA OF TOWER -ACASIA	3378.40
11b	F.A.R. AREA OF TOWER -BASIL	3378.40
11c	F.A.R. AREA OF TOWER HENNA-JASMINE	15588.35
11d	F.A.R. AREA OF TOWER JUNIPER	9060.29
11e	F.A.R. AREA OF TOWER CAMPHOR	14038.80
11f	F.A.R. AREA OF TOWER GENISTA	5332.56
11g	F.A.R. AREA OF TOWER KEY FLOWER	3987.53
11h	TOTAL PROPOSED RESIDENTIAL FAR OF TOWERS	54764.33
12b	F.A.R. AREA OF COMMERCIAL BLOCK	300.95
12c	TOTAL PROPOSED FAR, AREA	55065.28
14	L.I.G./E.W.S CALCULATIONS	
14a	TOTAL REQUIRED AREA FOR LIG/EWS = 7.5% of RESID. FAR	4107.32
14b	TOTAL PROPOSED AREA FOR LIG/EWS	4186.24
15	FACILITY AREA CALCULATIONS	
15a	TOTAL ALLOWED FACILITY AREA = 5% of TOTAL FAR.	2738.22
15b	TOTAL PROPOSED FACILITY AREA	731.24



अनुमोदित

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्णजल संयोजन का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान देखा जाये अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान देखा जाये अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाँति प्रमाणित भूमि/भूखण्ड के प्रति स्थायिक का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी की प्रभावित होगी।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, निकास और शान आदि सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित न० भागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जायेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2004 की धारा में राज्य सरकार के पत्रिका दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 2000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पञ्चवर्षीय प्रमाण पत्र" अगति प्रमाण पत्र आदेश द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ
सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का निरमानुसार प्रावधान किया जाये।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

For Shipkar Housing Private Limited

Sandeep Tandon
Architect
CA/97/21634

PLUMBING LEGEND

	COLD WATER SUPPLY
	FLUSH WATER SUPPLY
	BOREWELL SUPPLY
	MUNICIPAL SUPPLY
	GARDEN HYDRANT PIPE
	GARDEN HYDRANT

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दिखाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्राची का ही होगा।"

Rain Water Harvesting Unit Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Parking Area Will Be UTI's Property

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

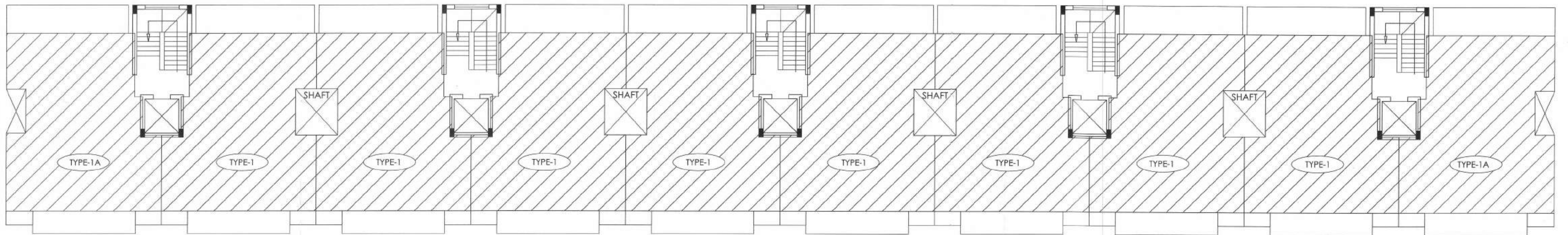
In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 11-4-17
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. 540/11/17 Dt. 11-4-17

ENVIRONMENT CLEARANCE DRAWING

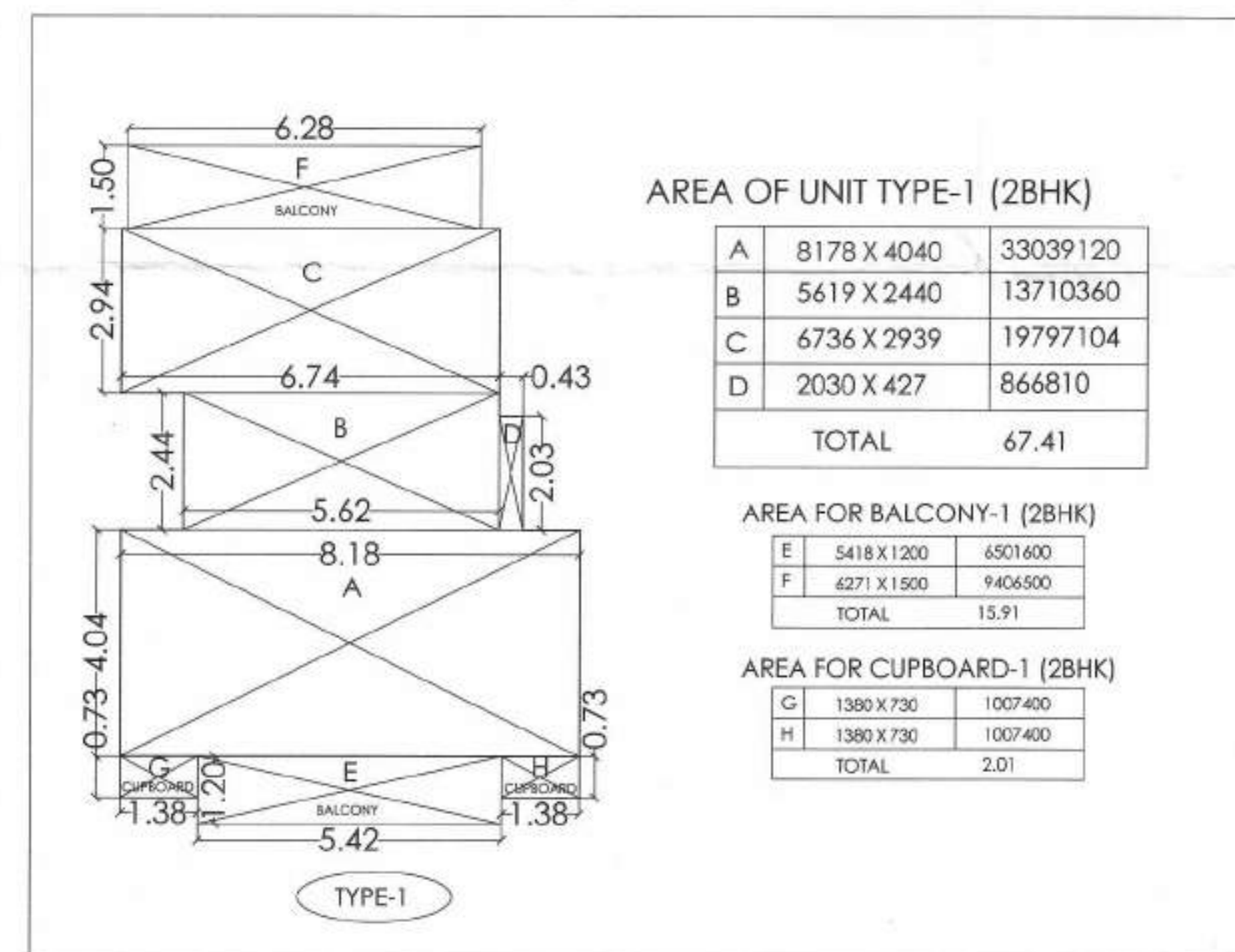
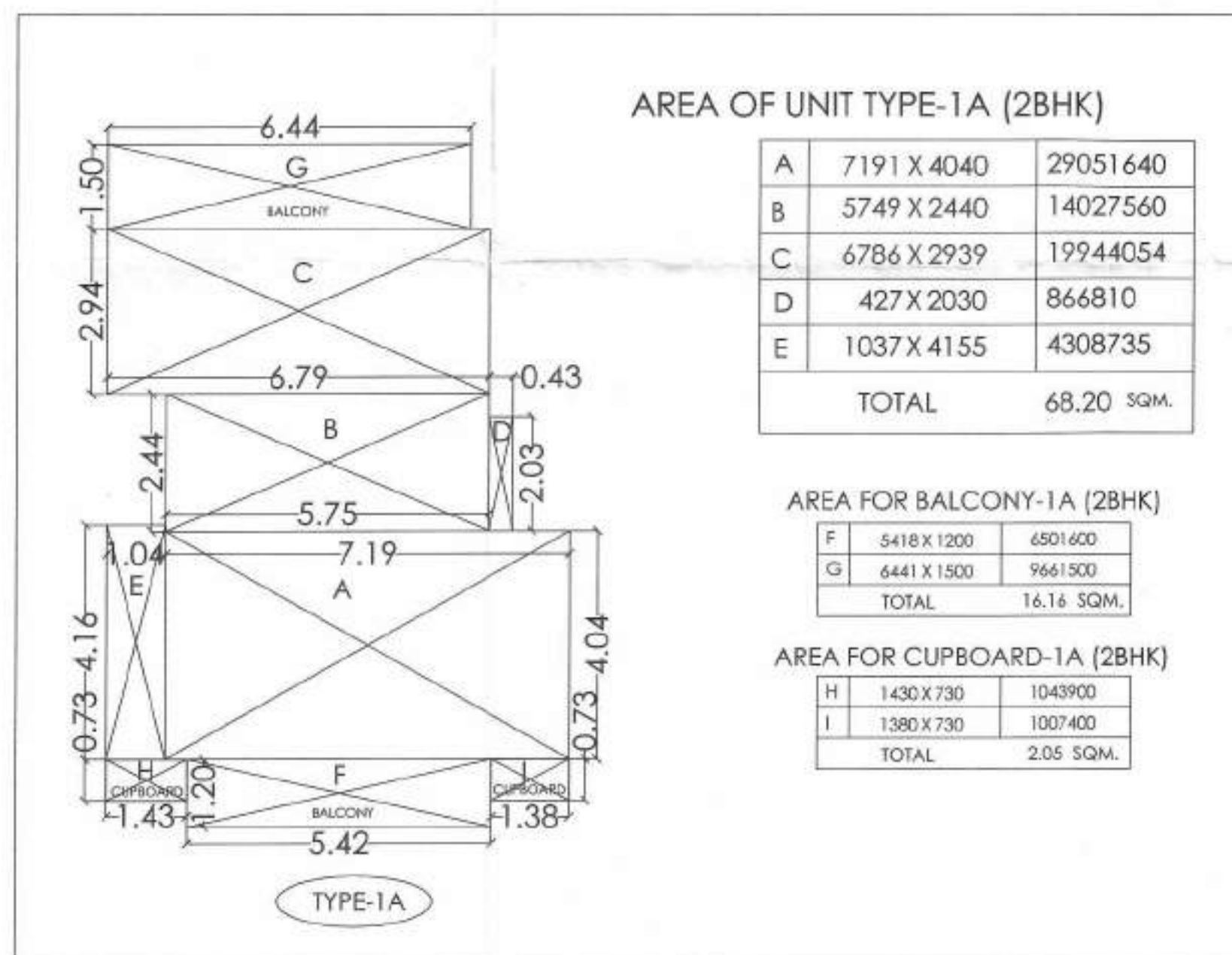
सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
मिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
मिवाडी (अलवर)

DRAWING TITLE PLUMBING DRAWING SITE PLAN (WATER SUPPLY)	SERVICES CONSULTANTS:- INTEGRAL DESIGNS E- 90 ANAND NIKETAN, NEW DELHI -110021 PHONE:- 41518300, 41518301 E-MAIL : MEP@INTEGRALDESIGN.IN	CHECKED SMAKTHAR DATE 13/04/18	REV. NO. 02
ARCHITECTS AND CONSULTANTS AE STUDIO B4/225, SAFDARJUNG ENCLAVE, NEW DELHI-110029. PH:- 26161130 Email - info@ae.studio.in		DRAWN BY: RABEEN	



TYPICAL FLOOR PLAN



अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्षाजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा 10% न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध निवमानुर कार्यवाही की जावेगी।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के निर्वहण प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा 10% न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध निवमानुर कार्यवाही की जावेगी।

हस्त मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति प्रमाणित भूमि/भूखण्ड के प्राति हस्ताक्षर का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रमाणित होंगे।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 14-11-17
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. 5418/17 Dt. 14-11-17

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, निकास अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित भिभागों के प्रावधानों के सुनिश्चित किया जावेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण पत्र" अनिवार्य प्रमाण पत्र अर्थात् प्राप्त किया जना अनिवार्य है।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

Parking Area Will Be UTI's Property

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का निवमानुर प्रावधान किया जावे।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules,

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में कावे गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का सक्षिप्त प्रार्थी का ही होगा।"

For Shilpkar Housing Private Limited
Director

Signature of Owner

Sandeep Tandon
Architect
CA/97/21634

Signature of Architect

ADDRESS :

**PROPOSED GROUP HOUSING FOR
M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD
AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217,
218, 225 AT VILLAGE - THADA
TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)**

SHEET TITLE :

TOWER ACACIA AREA CALCULATIONS

ARCHITECTS AND CONSULTANTS

AE STUDIO
an architectural design studio

B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,
NEW DELHI-110029, Ph.- 011 26161136
E-Mail : info@aestudio.in, Web.: www.aestudio.in

SHEET NO :

3
OF
34

DATE :

15-07-2017

PROJECT NO.:

231

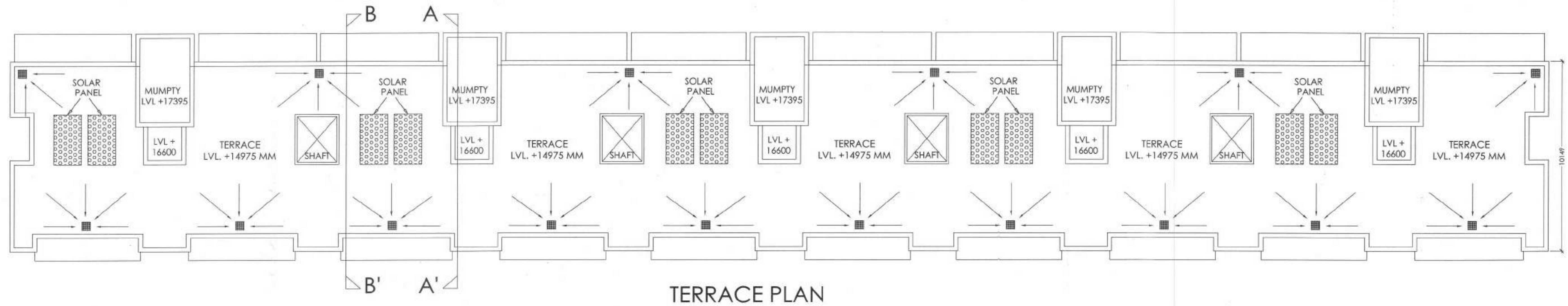
NORTH :



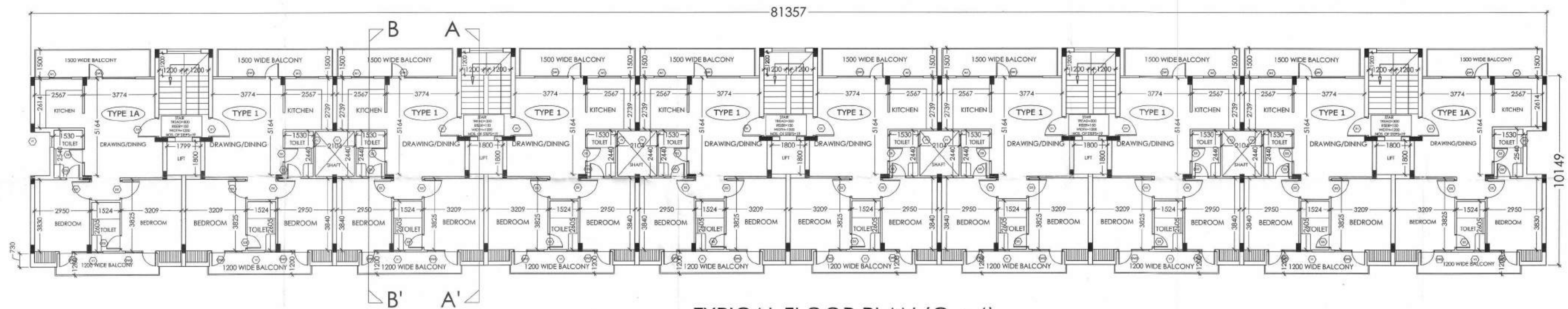
AREA OF TOWER- A (GROUND Floor - 4th Floor)	
	AREA PER FLOOR (P) = 8 X AREA OF UNIT TYPE 1 (2BHK) + 2 X AREA OF UNIT TYPE- 1A (2BHK)
1.	AREA PER FLOOR (P) = 8 X 67.41 + 2 X 68.20 = 675.68 SQ M.
2.	TOTAL FAR. AREA = 675.68 X 5 FLOOR = 3378.40 SQ M.
3.	AREA OF BALCONY PER FLOOR (R) = 159.60 SQ M.
4.	AREA OF CUPBOARD PER FLOOR (S) = 20.18 SQ M.
5.	TOTAL BUA. PER FLOOR = 675.68 + 159.60 + 20.18 = 855.46 SQ M.
6.	TOTAL BUA. AREA = 855.46 X 5 FLOOR = 4277.30 SQ M.

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)



TERRACE PLAN



TYPICAL FLOOR PLAN (G + 4)

OPENING SCHEDULE

S.NO	TYPE	SIZE	SILL LVL.	LINTEL
1	D	1050	00	2100
2	D1	975	00	2100
3	D2	900	00	2100
4	D3	750	00	2100
5	DW	2020	1100	2400
6	DW1	2700	450	2400
7	DW2	2215	450	2400
8	DW3	1725	450	2400
9	DW4	1565	450	2100
10	DW5	1610	1100	2100
11	DW6	1805	450	2100
12	V1	450	1650	2100

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, निवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्षाजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध निचयानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नगर विकास न्यास, निवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध निचयानुसार कार्यवाही की जावेगी। इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति प्रशानगत भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति स्वाधिन्य का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वाधिन्य सम्बन्धी अधिकारी हो प्रभावित होगे।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, निकास अग्नि शमन आदि सेवाएं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की धारणा में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रभाव पत्र" अनापति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग कोपल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Rain Water Harvesting Unit Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Parking Area Will Be UT's Property

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में क्वांटे गये भवन निर्माण की संख्या (STRUCTURE) का दायित्व शर्ती का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

DWELLING UNIT CALCULATION

NO. TOWER	NO. OF DU./FLOOR			TOTAL NO. OF DU./FLOOR	NO. OF FLOOR	TOTAL DU. IN TOWER
	1BHK	2BHK	3BHK			
1 ACASIA	0	10	0	10	5	50

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt. 14-11-17 One Set of Building Plans Approved is Issued Along-With Letter No. 5410-1117-41-8-17

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
निवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
निवाडी (अलवर)

SHEET NO :

4
OF
34

DATE :
15-07-2017

PROJECT NO.:
231

NORTH :



For Shilpkar Housing Private Limited

Signature of Owner

Sandeep Tandon
Architect
CA/97/21634

Signature of Architect

ADDRESS :

**PROPOSED GROUP HOUSING FOR
M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD**
AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217,
218, 225 AT VILLAGE - THADA
TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

SHEET TITLE :

TOWER ACACIA FLOOR PLANS

ARCHITECTS AND CONSULTANTS

AE STUDIO
an architectural design studio
B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,
NEW DELHI-110029, Ph.- 011 26161136
E-Mail : info@aestudio.in, Web.: www.aestudio.in



अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्णित संयोजन का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जाये अथवा नो वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध निचयानुसार कार्यवाही की जायेगी।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जाये अथवा नो वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध निचयानुसार कार्यवाही की जायेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति प्रमाणित भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

विद्युत सेवा में गलकारी एवं, जल, निकास अग्नि शमन आदि सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की धारा में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

BACK ELEVATION

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Parking Area Will Be UTI's Property

"जबसे किसी मध्ये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दृष्टिकर्षण का ही होगा।"

Rain Water Harvesting Unit Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt. 14-11-17 One Set of Building Plans Approved is Issued Along-With Letter No. 5110/21117 Dt. 14-11-17

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)

For Shilpkar Housing Private Limited
Signature of Owner

Sandeep Tandon
Architect
CA/97/21634
Signature of Architect

ADDRESS :

**PROPOSED GROUP HOUSING FOR
M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD**
AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217,
218, 225 AT VILLAGE - THADA
TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

SHEET TITLE :

TOWER ACACIA SECTION & ELEVATION

ARCHITECTS AND CONSULTANTS

AE STUDIO

an architectural design studio

B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,
NEW DELHI-110029, Ph.- 011 26161136
E-Mail : info@aestudio.in, Web.: www.aestudio.in

SHEET NO :

5
OF
34

DATE :

15-07-2017

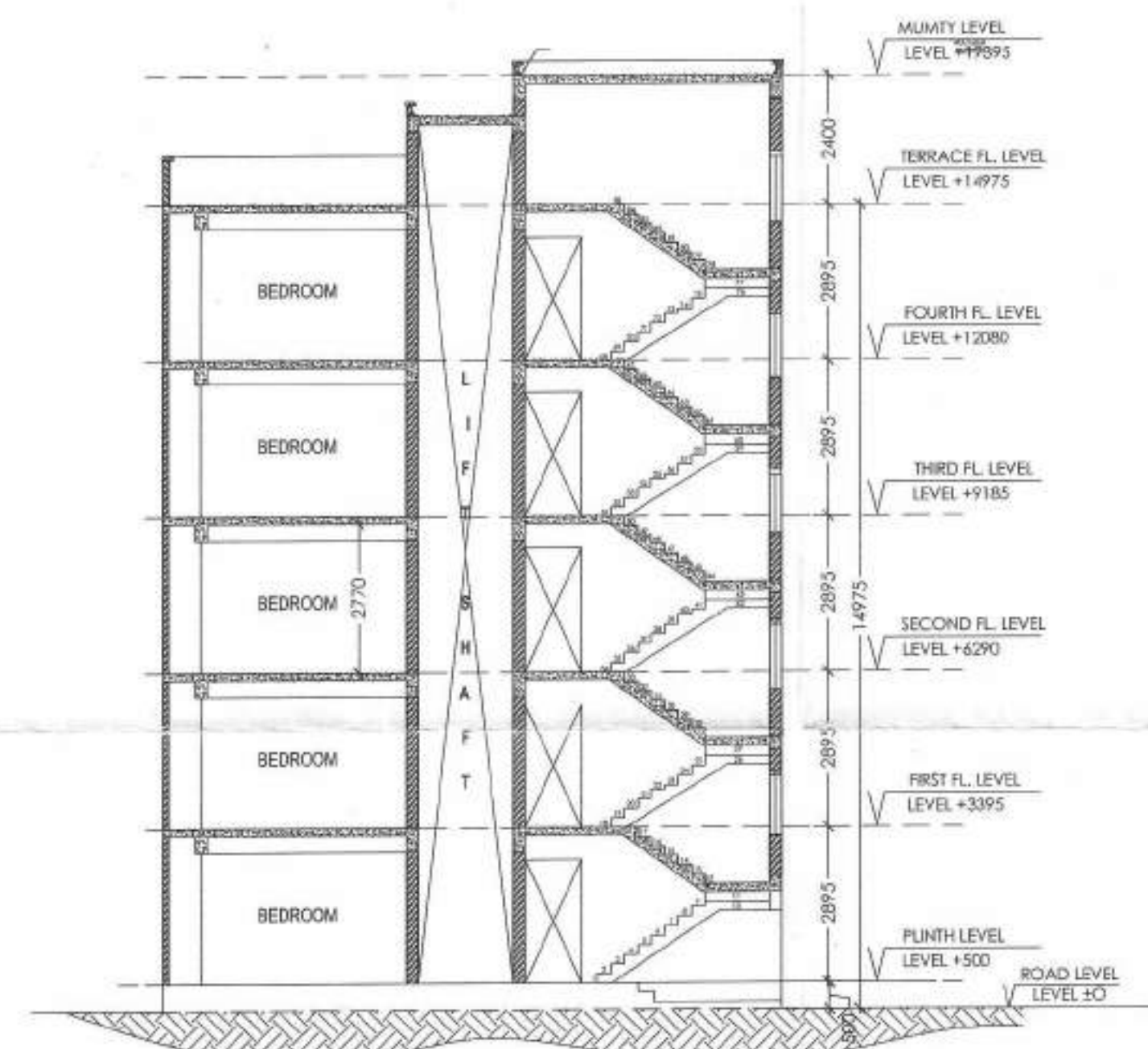
PROJECT NO.:

231

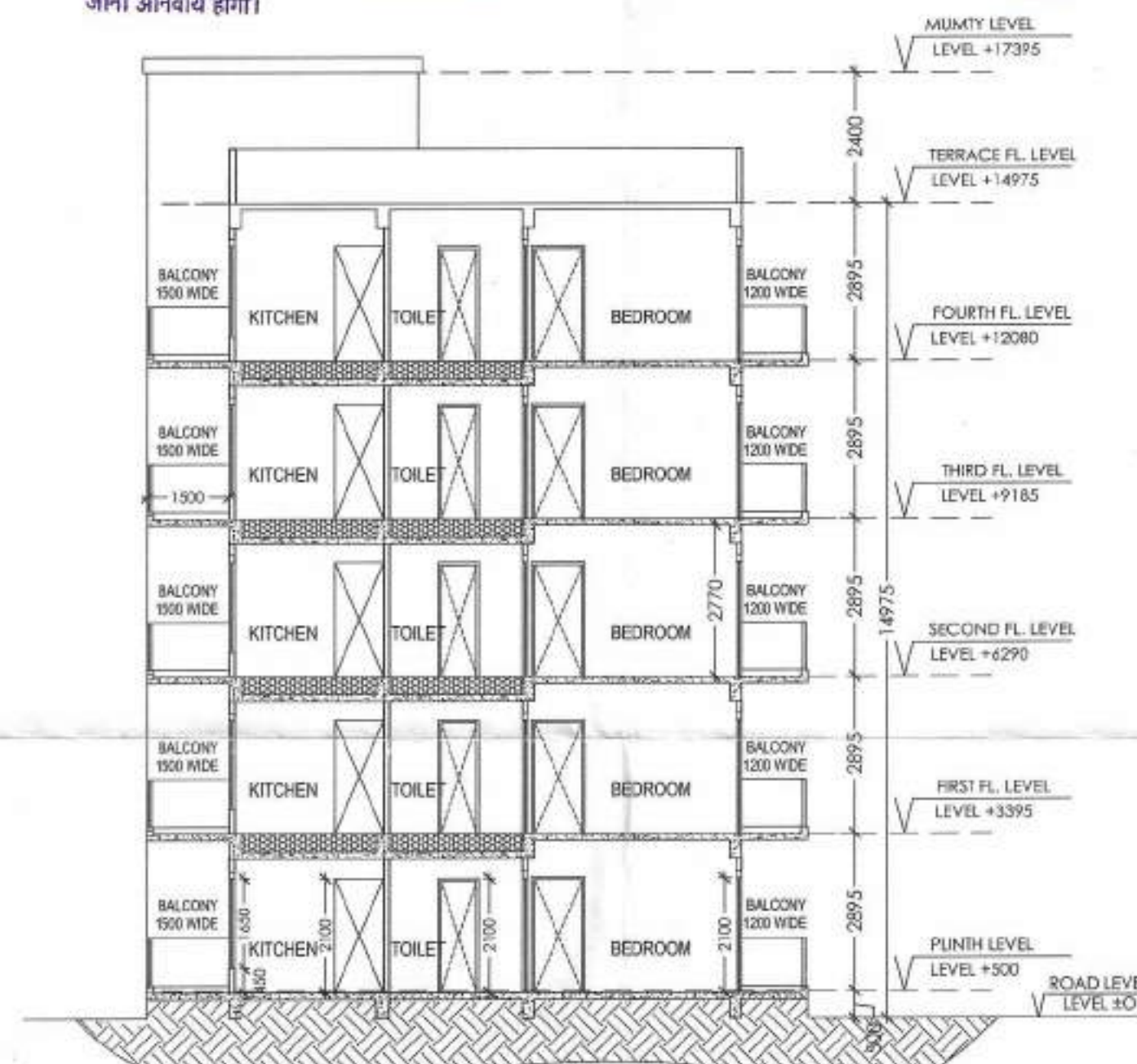
NORTH :



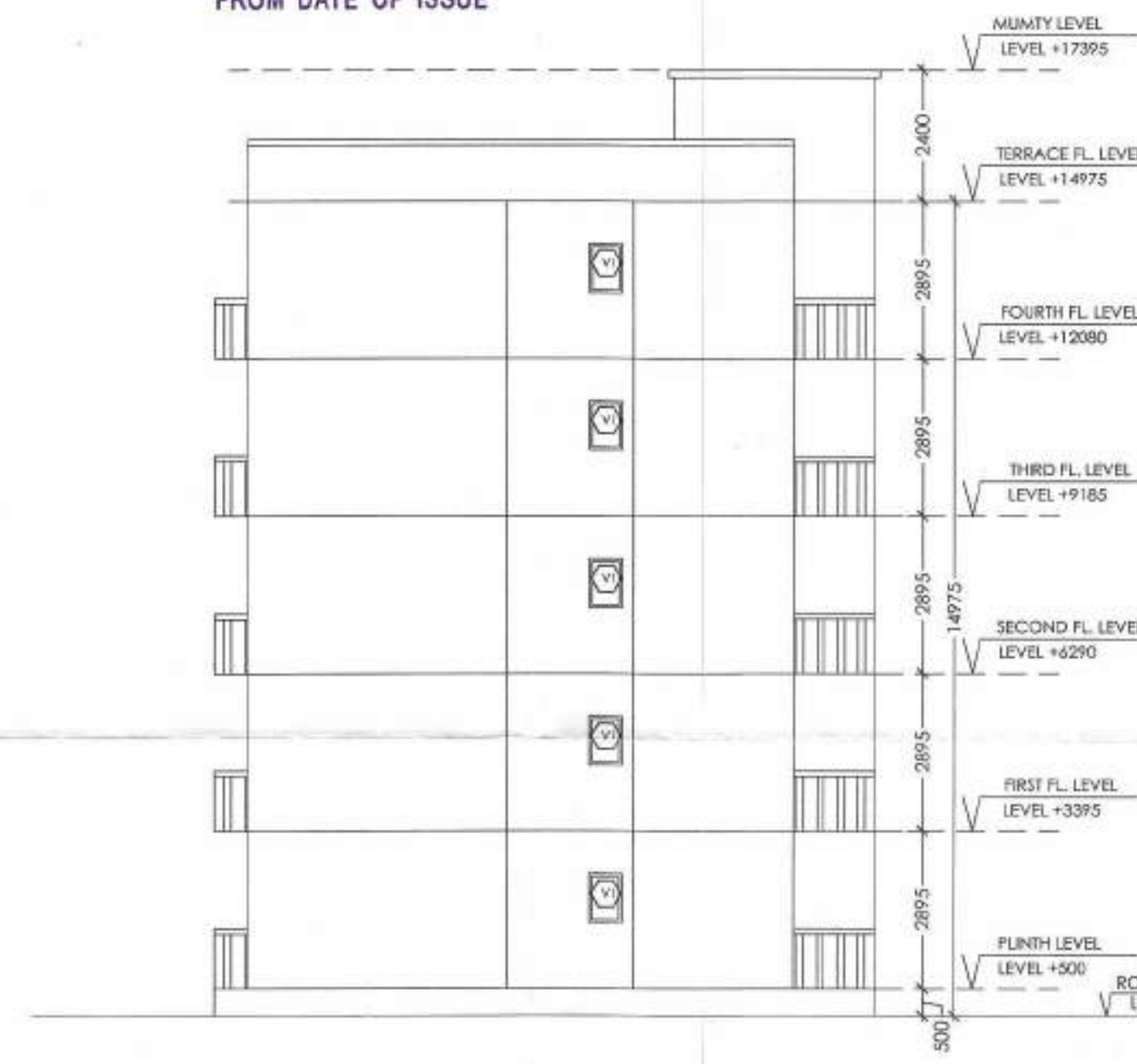
SECTION AA'

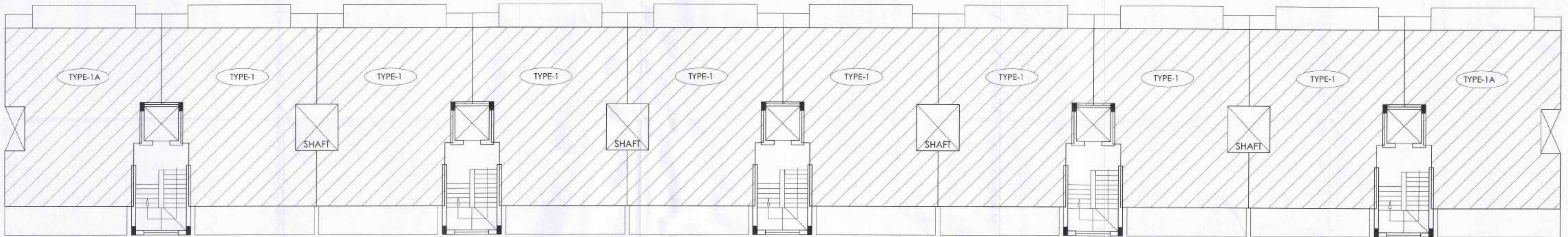


SECTION BB'



RIGHT ELEVATION





TYPICAL FLOOR PLAN

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अथवा न० कि न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध निवेदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अथवा न० कि न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध निवेदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

हस मानचित्र का अनुमोदन किल्ली भी भाति प्रशानगत भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र गही माना जावेगा। और न ही इससे किल्ली के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

Parking Area Will Be UTIS Property

"जहाँ किये गये अनुमोदन मान-चित्रों में सही गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्राप्ति का ही होगा।"

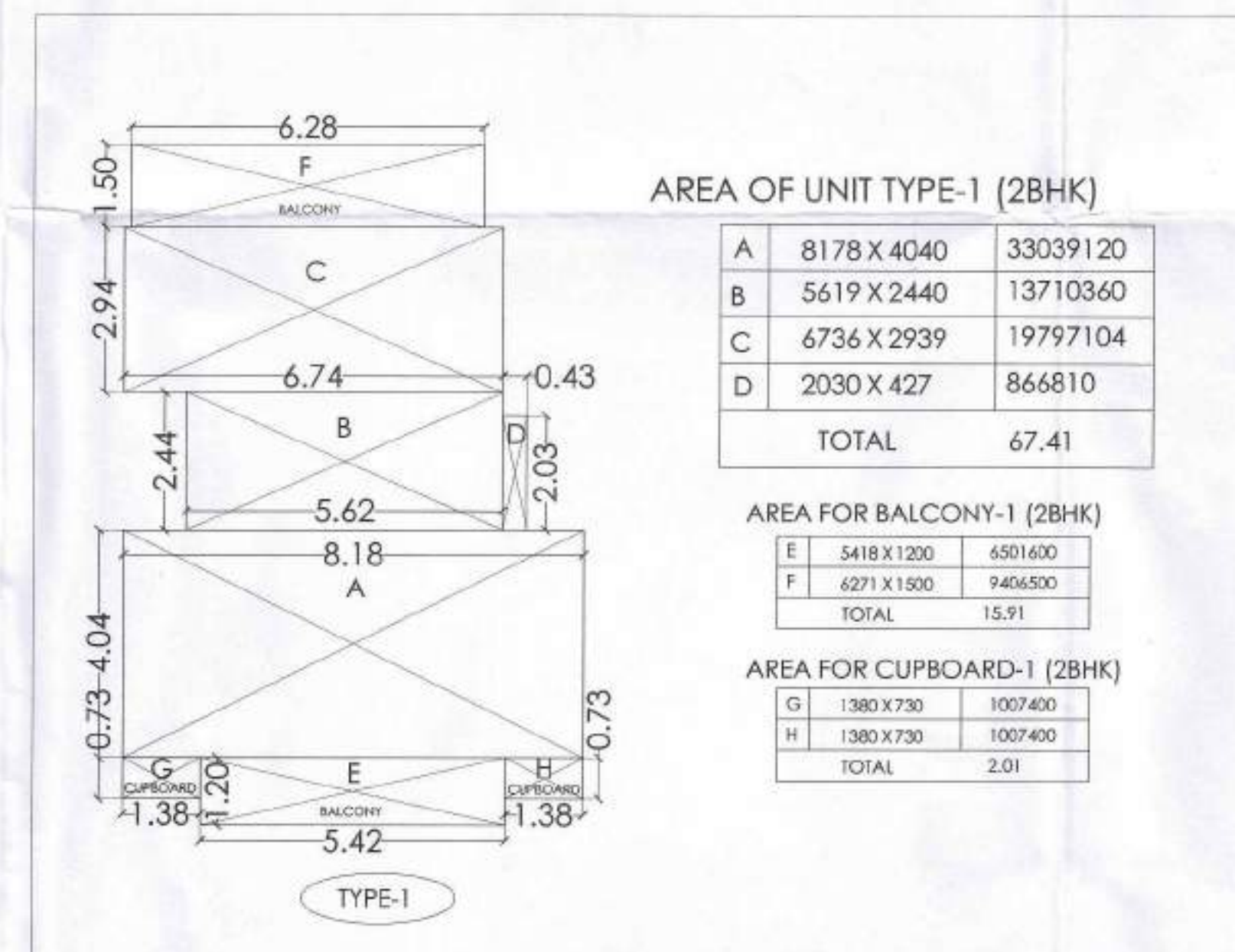
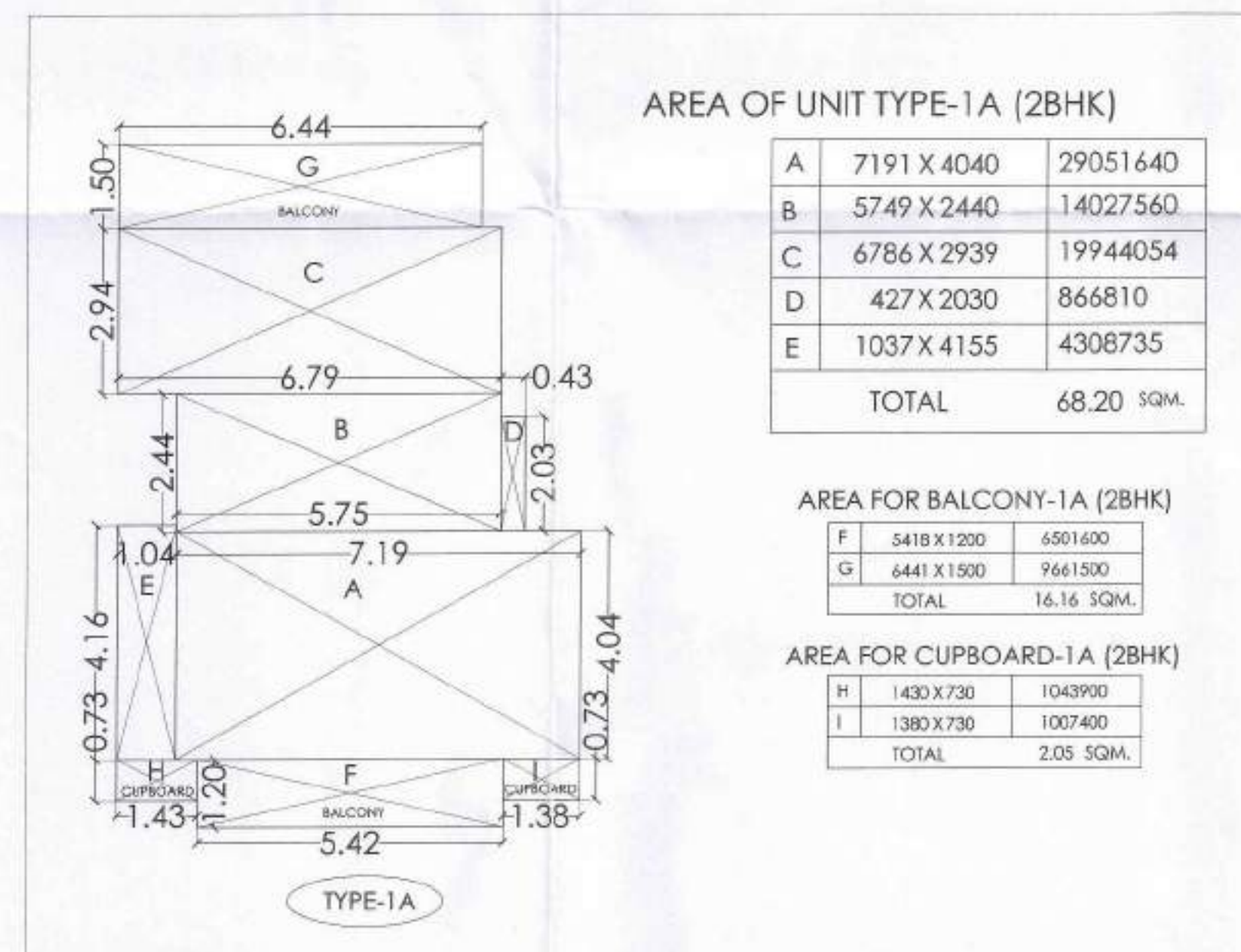
पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

लोर ऊर्जा से पानी गरम करने का श्रवमानुसार प्रावधान किया जावे।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules, Adequate Light and Vantilation to be Provided as per N.B.C, Norms.

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

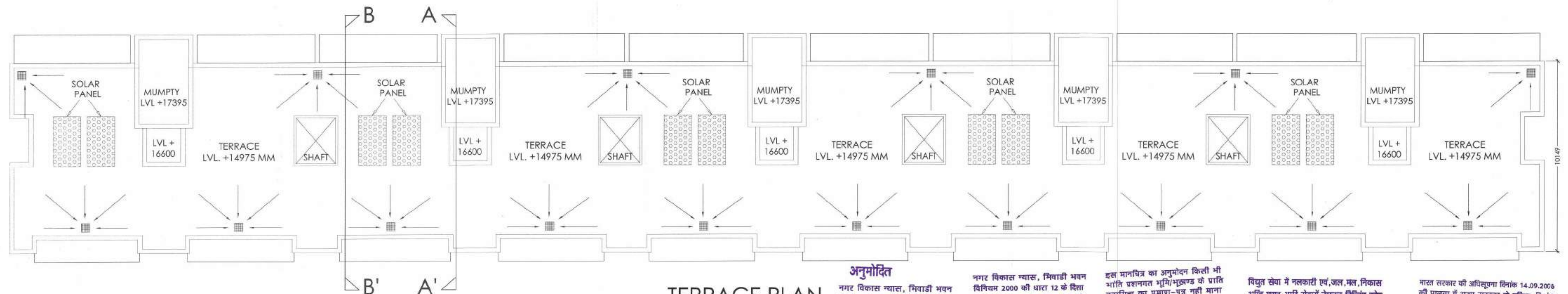


AREA PER FLOOR OF TOWER- A (GROUND Floor - 4th Floor)			
1.	AREA PER FLOOR (P) = 8 X AREA OF UNIT TYPE 1(2BHK) + 2 X AREA OF UNIT TYPE- 1A (2BHK)		
	AREA PER FLOOR (P) = 8 X 67.41 + 2 X 68.20		
	= 675.68 SQ M.		
2.	TOTAL FAR. AREA = 675.68 X 5 FLOOR = 3378.40 SQ M.		
3.	AREA OF BALCONY PER FLOOR (R)= 159.60 SQ M.		
4.	AREA OF CUPBOARD PER FLOOR (S) = 20.18 SQ M.		
5.	TOTAL BUA. PER FLOOR = 675.68 + 159.60 + 20.18		
	= 855.46 SQ M.		
6.	TOTAL BUA. AREA = 855.46 X 5 FLOOR = 4277.30 SQ M.		

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
मिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
मिवाडी (अलवर)

For Shilpkar Housing Private Limited	Sandeep Tandon Architect CA/97/21634
Signature of Owner	Signature of Architect
ADDRESS : PROPOSED GROUP HOUSING FOR M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217, 218, 225 AT VILLAGE - THADA TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)	
SHEET TITLE : TOWER BASIL AREA CALCULATIONS	
ARCHITECTS AND CONSULTANTS AE STUDIO an architectural design studio B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE, NEW DELHI-110029, Ph.- 011 26161136 E-Mail : info@aestudio.in , Web.: www.aestudio.in	
SHEET NO : 6 OF 34	DATE : 15-07-2017 PROJECT NO.: 231
NORTH : 	



TERRACE PLAN

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्णजल संरक्षण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा नो डि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाही की जावेगी।

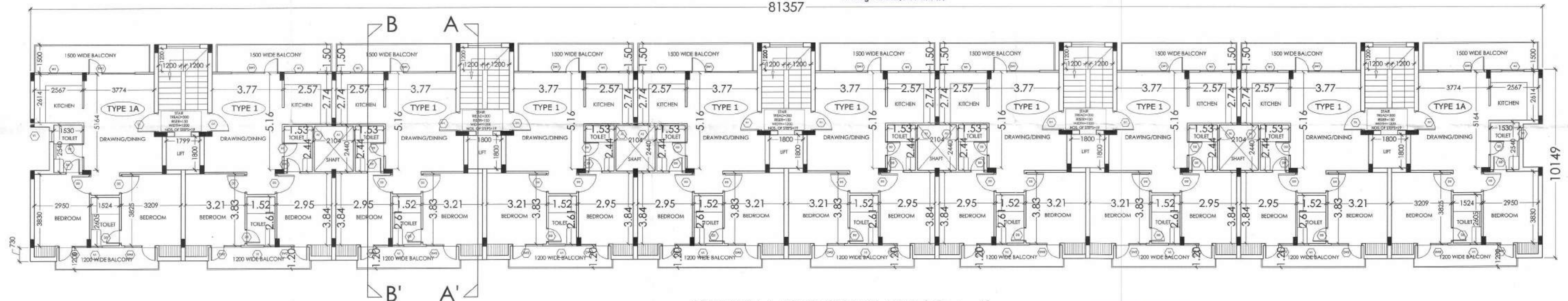
नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा नो डि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाही की जावेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति प्रशंगत भूमि/भूखण्ड के प्राति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्पत्ती अधिकारी ही प्रमाणित होगे।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, निकास अग्नि समन आदि सेवाये नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इन्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित भागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रभाव पत्र" अनापति प्रमाण पत्र अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

81357



TYPICAL FLOOR PLAN (G + 4)

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का निवमानुसार प्रावधान किया जावे।

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में कसरे गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्राप्ति का ही होगा।"

Rain Water Harvesting Unit Shall be Provided as per Rules.

Parking Area Will Be UTI's Property

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt. 24.4.17 One Set of Building Plans Approved is Issued Along-With Letter No. 251104/17

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
मिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
मिवाडी (अलवर)

For Shilpkar Housing Private Limited

Sandeep Tandon
Architect
CA/97/21634

Signature of Owner

Signature of Architect

ADDRESS :

PROPOSED GROUP HOUSING FOR
M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD
AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217,
218, 225 AT VILLAGE - THADA
TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

SHEET TITLE :

TOWER BASIL FLOOR PLANS

ARCHITECTS AND CONSULTANTS

AE STUDIO

an architectural design studio

B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,

NEW DELHI-110029, Ph.- 011 26161136

E-Mail : info@aestudio.in, Web.: www.aestudio.in

TYPE :

DATE :

15-07-2017

SHEET NO :

7
OF
34

PROJECT NO.:

231

NORTH :



DWELLING UNIT CALCULATION

NO. TOWER	NO. OF DU./FLOOR			TOTAL NO. OF DU./FLOOR	NO. OF FLOOR	TOTAL DU. IN TOWER
	1BHK	2BHK	3BHK			
1 ACASIA	0	10	0	10	5	50

OPENING SCHEDULE

S.NO	TYPE	SIZE	SILL LVL.	LINTEL
1	D	1050	00	2100
2	D1	975	00	2100
3	D2	900	00	2100
4	D3	750	00	2100
5	DW	2020	1100	2400
6	DW1	2700	450	2400
7	DW2	2215	450	2400
8	DW3	1725	450	2400
9	DW4	1565	450	2100
10	DW5	1610	1100	2100
11	DW6	1805	450	2100
12	V1	450	1650	2100



अनुमोदित

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्षाजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति प्रारम्भिक भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वाभिव्यक्ति का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा। और न ही इससे किसी के स्वाभिव्यक्तिकी अधिकारी ही प्रभावित होगी।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, निकास अग्नि शमन आदि सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जायेगा।

BACK ELEVATION

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण पत्र" अनापति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Parking Area Will Be Utility Property

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दाखिल गये भवन निर्माण को संरचना (STRUCTURE) का स्वीकृत प्रार्थी का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee DL-77-4-17- One Set of Building Plans Approved is Issued Along-With Letter No. 34/2017/4-17

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
मिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
मिवाडी (अलवर)

For Shilpkar Housing Private Limited

Signature of Owner

Sandeep Tandon
Architect
CA/9721634

Signature of Architect

ADDRESS :

**PROPOSED GROUP HOUSING FOR
M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD**
AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217,
218, 225 AT VILLAGE - THADA
TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

SHEET TITLE :

TOWER BASIL SECTION & ELEVATION

ARCHITECTS AND CONSULTANTS

AE STUDIO

an architectural design studio

B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,
NEW DELHI-110029, Ph.- 011 26161136

E-Mail : info@aestudio.in , Web.: www.aestudio.in

SHEET NO :

8
OF
34

DATE :

15-07-2017

PROJECT NO.:

231

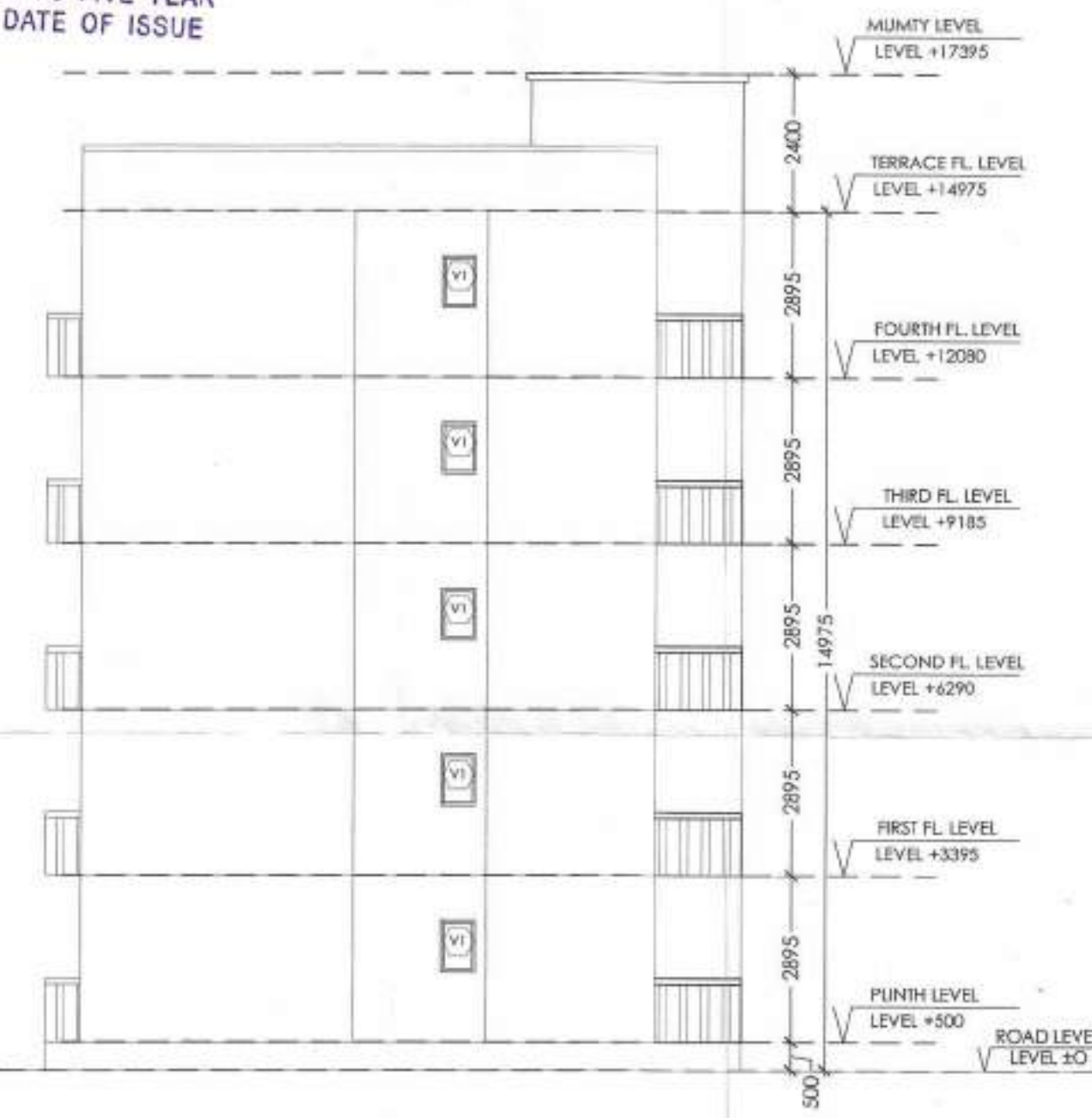
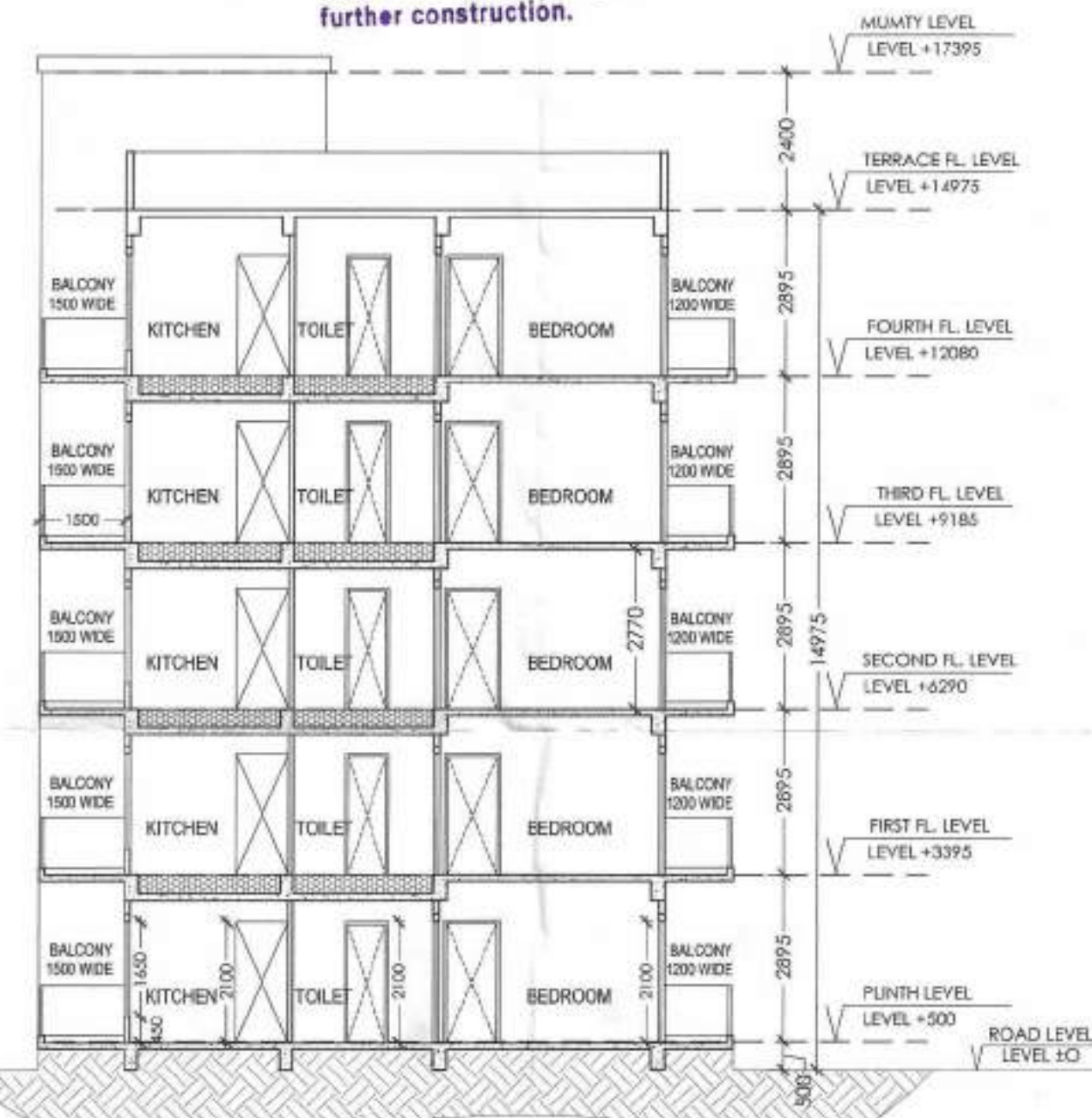
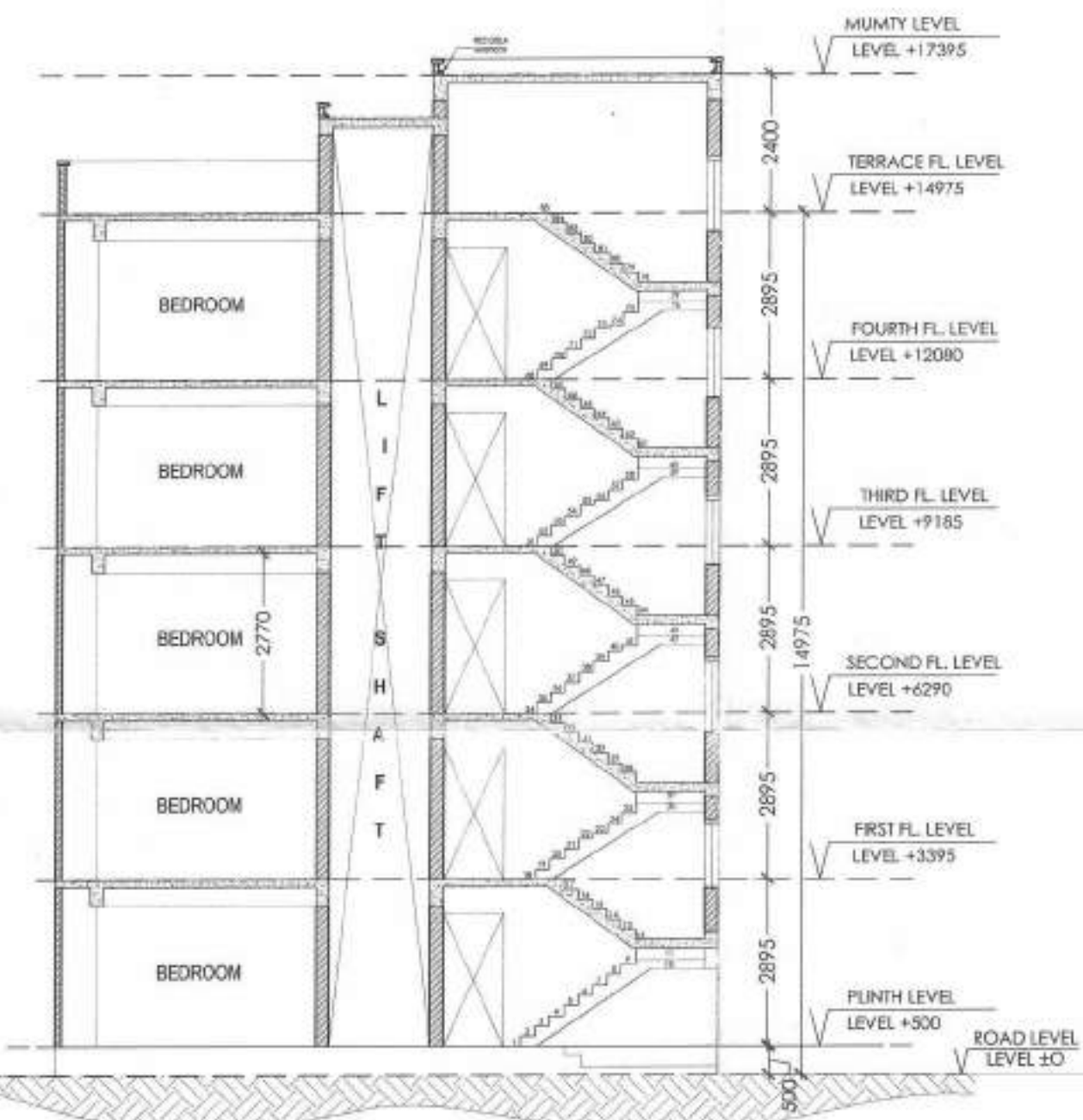
NORTH :

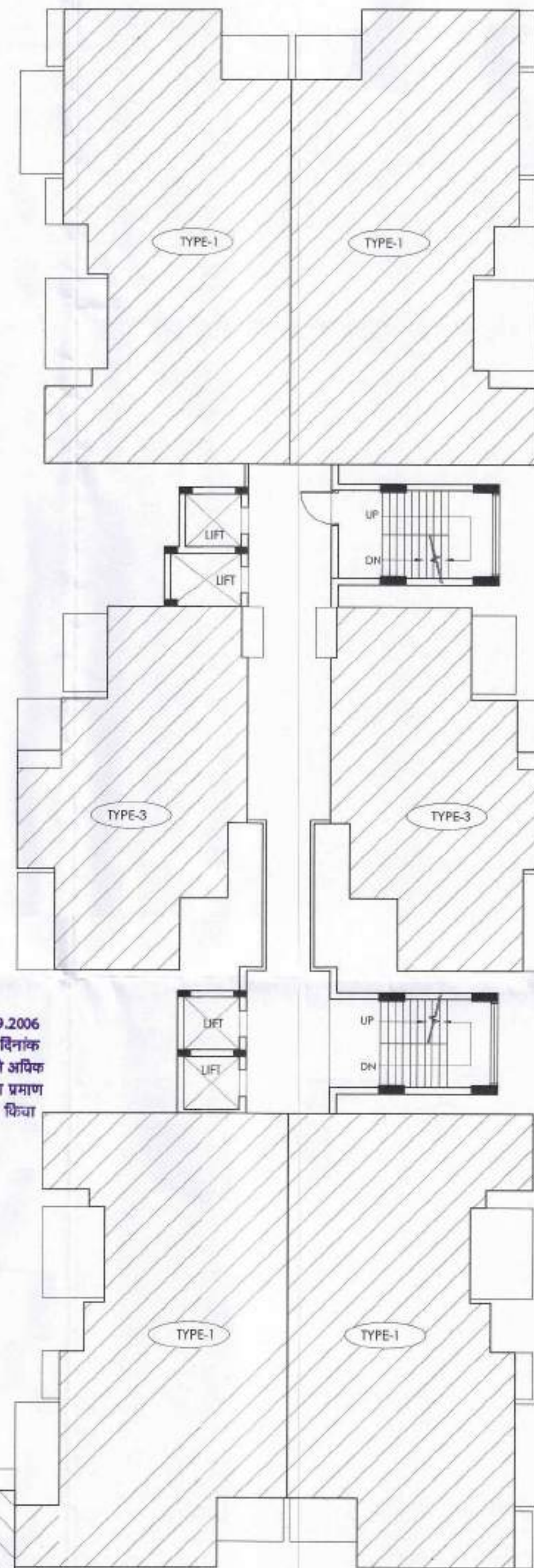
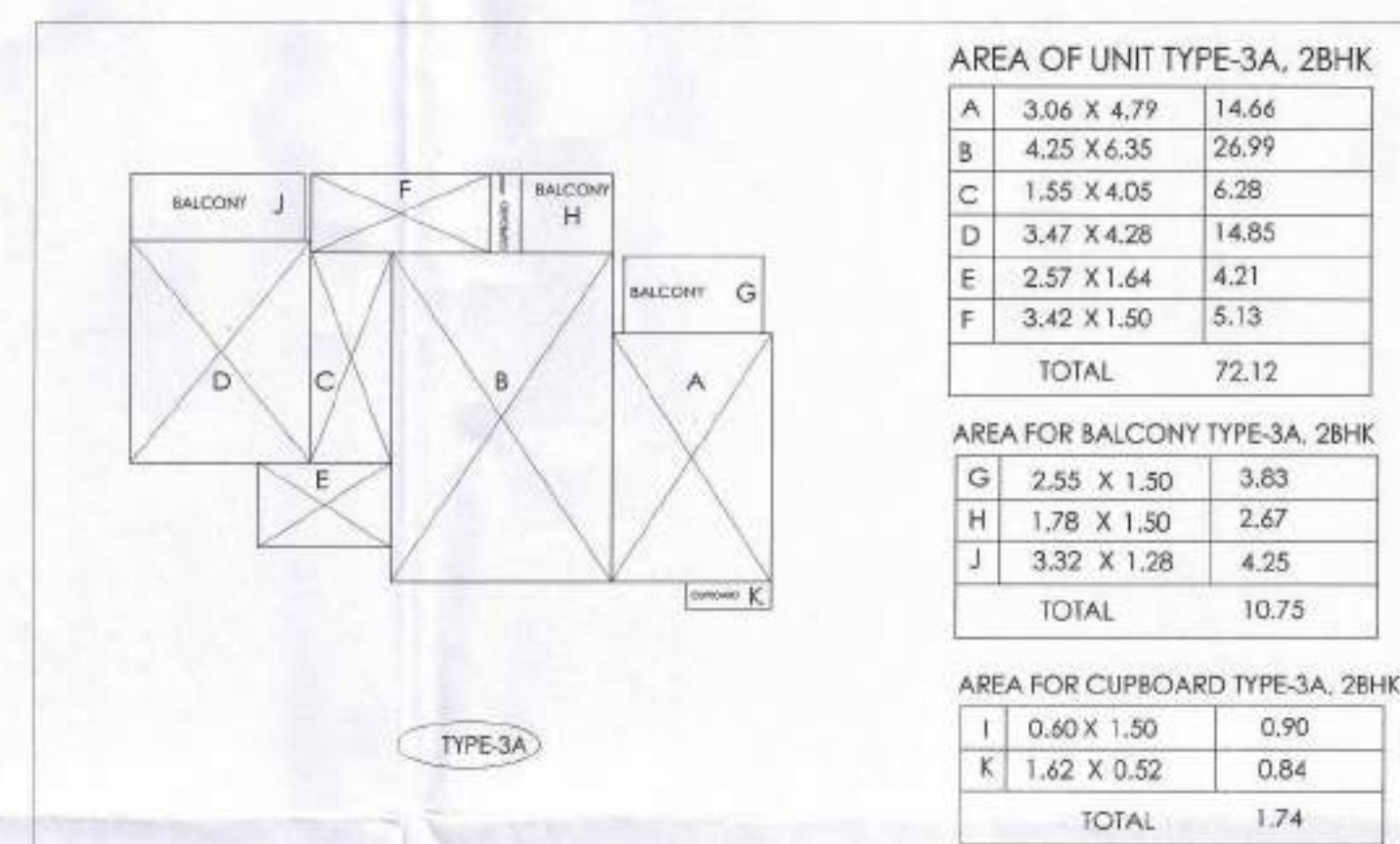
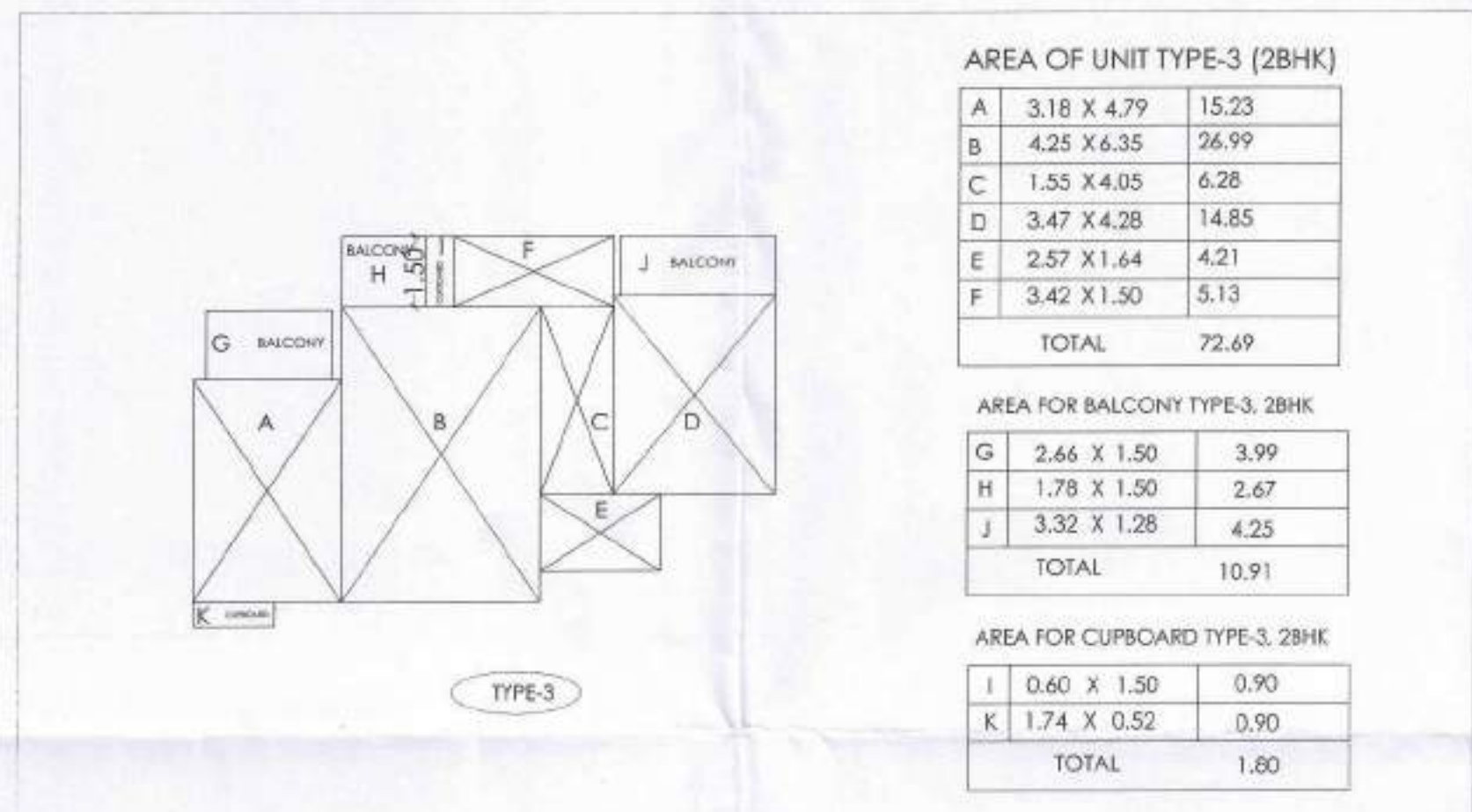
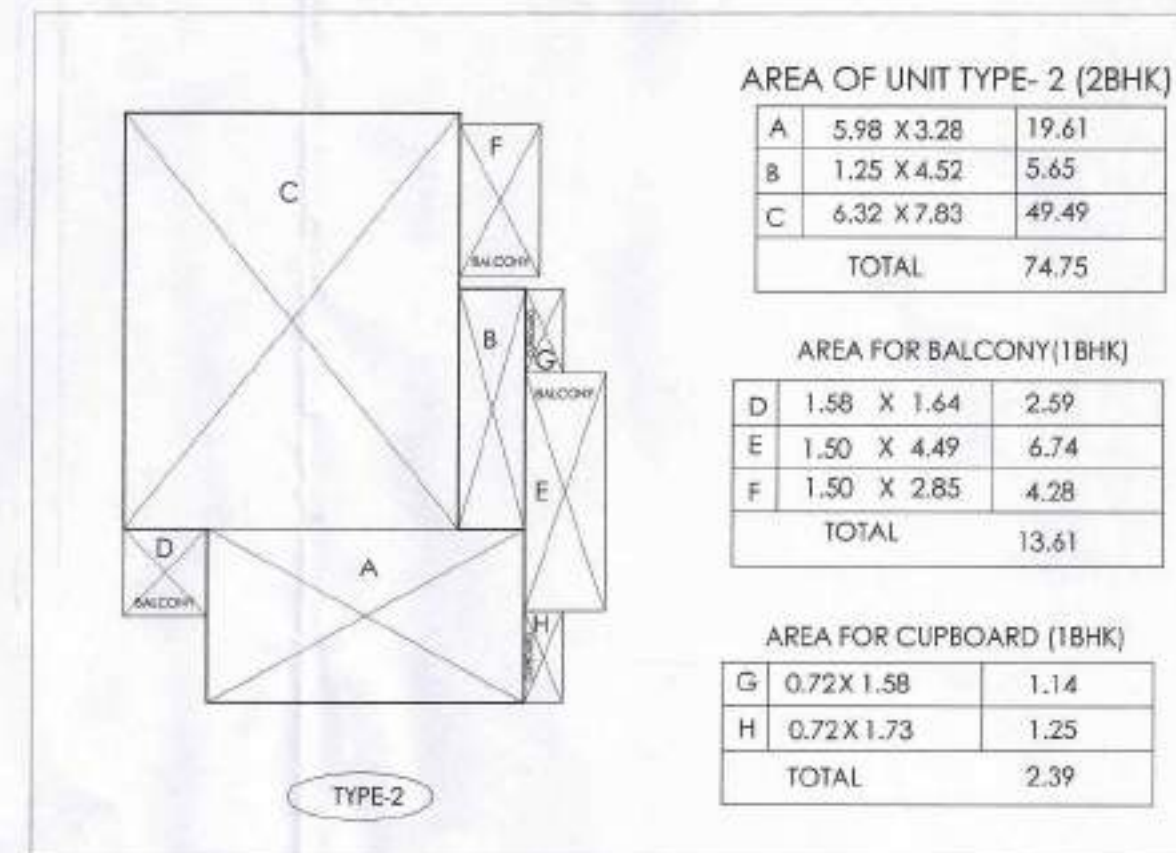
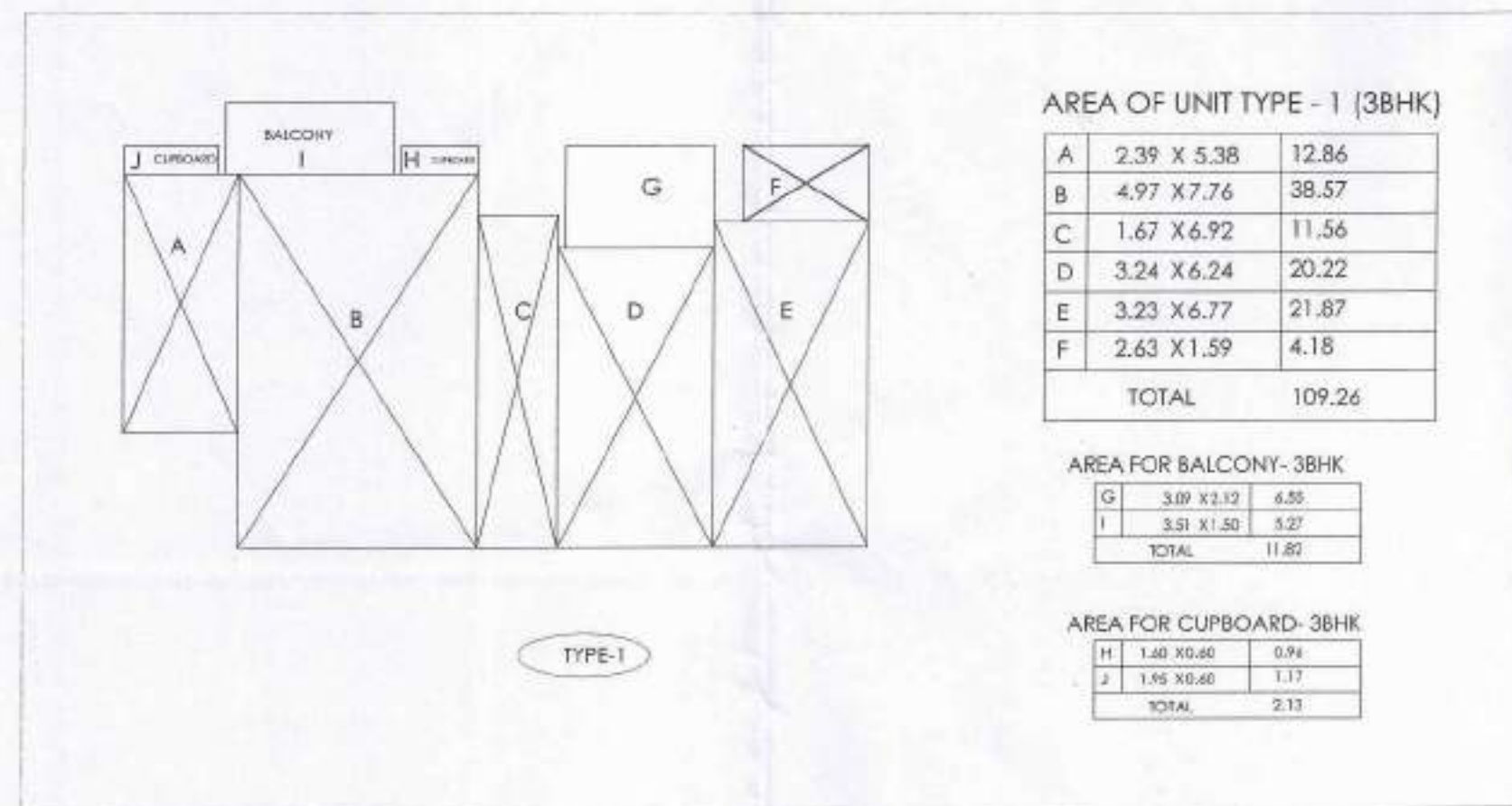


SECTION AA'

SECTION BB'

RIGHT ELEVATION





AREA OF CORRIDOR PER FLOOR

A	4.96 X 2.90	14.38
B	5.13 X 1.57	8.05
C	5.57 X 2.84	15.82
D	3.24 X 1.80	5.83
E	5.57 X 2.84	15.82
F	5.13 X 1.57	8.05
G	4.93 X 2.90	14.30
TOTAL		82.25

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के पत्रिण दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेकक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

Parking Area Will Be UT's Property

Rain Water Harvesting Unit Shall be Provided as per Rule 6.

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

पार्किंग क्षेत्र का उपचालन कन्सल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

अनुमोदित

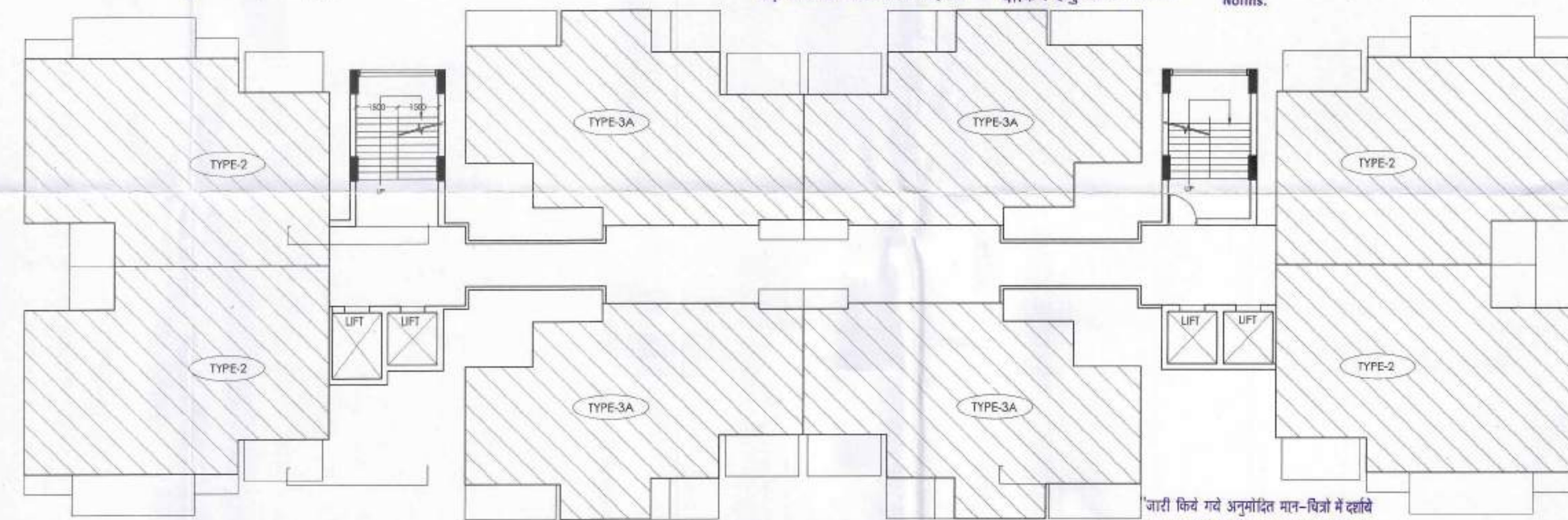
नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्णजल संयंत्र का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान दखा जाये अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध निवमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान दखा जाये अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध निवमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति प्रमाणित भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रमाणित होंगे।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, निकास अग्नि शमन आदि सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित नैर्भागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जायेगा।

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ



AREA OF CORRIDOR PER FLOOR

A	2.84 X 4.88	13.86
B	1.80 X 1.74	3.13
C	2.84 X 5.57	15.82
D	1.52 X 5.13	7.80
E	2.84 X 4.95	14.06
TOTAL		54.67

TYPICAL FLOOR PLAN

THIS PLAN IS VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का वस्तुतः प्रतीक का ही होगा।

सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास, भिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक नगर विकास न्यास, भिवाडी (अलवर)

AREA PER FLOOR OF TOWER-D (UG Floor - 11th Floor)	
1	AREA PER FLOOR (P) = 4 X AREA OF UNIT TYPE 1(3BHK) + 2 X AREA OF UNIT TYPE- 3 (2BHK) + 4 X AREA OF UNIT TYPE 2(2BHK) + 4 X AREA OF UNIT TYPE- 3A(2BHK)
	AREA PER FLOOR (P) = 4 X 109.26 + 2 X 72.69 + 4 X 74.75 + 4 X 72.12
	= 1169.90 SQ M.
	FAR. AREA OF TOWER = 1169.90 X 12 FLOOR = 14038.80 SQ M.
	TOTAL FAR. AREA = F.A.R. AREA OF TOWER + EXCESS CORRIDOR AREA
	= 14038.80 + 0.00 = 14038.80 SQ M.
2	AREA OF CORRIDOR PER FLOOR (P) = 82.25 + 54.67 = 136.92 SQ M.
	TOTAL CORRIDOR AREA = 1643.04 SQ M.
	RESIDENTIAL CORRIDOR AREA ALLOWED FREE FROM FAR = 15% OF RESIDENTIAL FAR.(14038.80X0.15) = 2105.82 SQ M.
	EXCESS CORRIDOR AREA TO BE COUNTED IN F.A.R. = 1643.04 - 2105.82 = -462.78 SQ M. = 0.00 -SAY
3	AREA OF BALCONY PER FLOOR (R) = 4 X 11.82 + 2 X 10.91 + 4 X 13.61 + 4 X 10.75 = 166.54 SQ M.
4	AREA OF CUPBOARD PER FLOOR (S) = 4 X 2.13 + 2 X 1.80 + 4 X 2.39 + 4 X 1.74 = 28.64 SQ M.
5	TOTAL BUA. PER FLOOR = 1169.90 + 136.92 + 166.54 + 28.64 = 1502.00 SQ M.
6	TOTAL B.U. AREA = 1502.00 X 12 FLOOR = 18024.00 SQ M.

For Shilpkar Housing Private Limited

Signature of Owner

Sandeep Tandon
Architect
CA/97/21634

Signature of Architect

PROPOSED GROUP HOUSING FOR M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217, 218, 225 AT VILLAGE - THADA TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

SHEET TITLE :

TOWER CAMPHOR AREA CALCULATION

ARCHITECTS AND CONSULTANTS

AE STUDIO

an architectural design studio

B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,

NEW DELHI-110029 ,

Ph.- 011 26161136

E-Mail : info@aestudio.in , Web.: www.aestudio.in

SHEET NO :

DATE :

15-07-2017

PROJECT NO.:

231

NORTH :



9
OF
34

OPENING SCHEDULE				
S.NO	TYPE	SIZE	SILL LVL.	LINTEL
1	D	1050	00	2100
2	D1	975	00	2100
3	D2	900	00	2100
4	D3	750	00	2100
5	DW	2020	1100	2400
6	DW1	2700	450	2400
7	DW2	2215	450	2400
8	DW3	1725	450	2400
9	DW4	1565	450	2100
10	DW5	1610	1100	2100
11	DW6	1805	450	2100
12	V1	450	1650	2100

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्षाजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति प्रचलित भूमि/भूखण्ड के प्राति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा। और न ही इसका किसी के स्वामित्व सम्पत्ती अधिकारी की प्रमाणित होने।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, निकास और शान आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित भागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जायेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्याप्तता प्रमाण पत्र" अनाति प्रमाण पत्र अधिक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

Rain Water Harvesting Unit Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Parking Area Will Be UTI's Property

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में क्वांशे गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्राप्ति का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

For Shilpkar Housing Private Limited

Signature of Owner

Sandeep Tandon
Architect
CA/97/21634

Signature of Architect

ADDRESS :

**PROPOSED GROUP HOUSING FOR
M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD**
AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217,
218, 225 AT VILLAGE - THADA
TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

SHEET TITLE :

**TOWERS CAMPHOR
STILT FLOOR PLAN**

ARCHITECTS AND CONSULTANTS

AE STUDIO

an architectural design studio

B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,
NEW DELHI-110029, Ph.- 011 26161136
E-Mail : info@aestudio.in, Web.: www.aestudio.in

SHEET NO :

10
OF
34

DATE :

15-07-2017

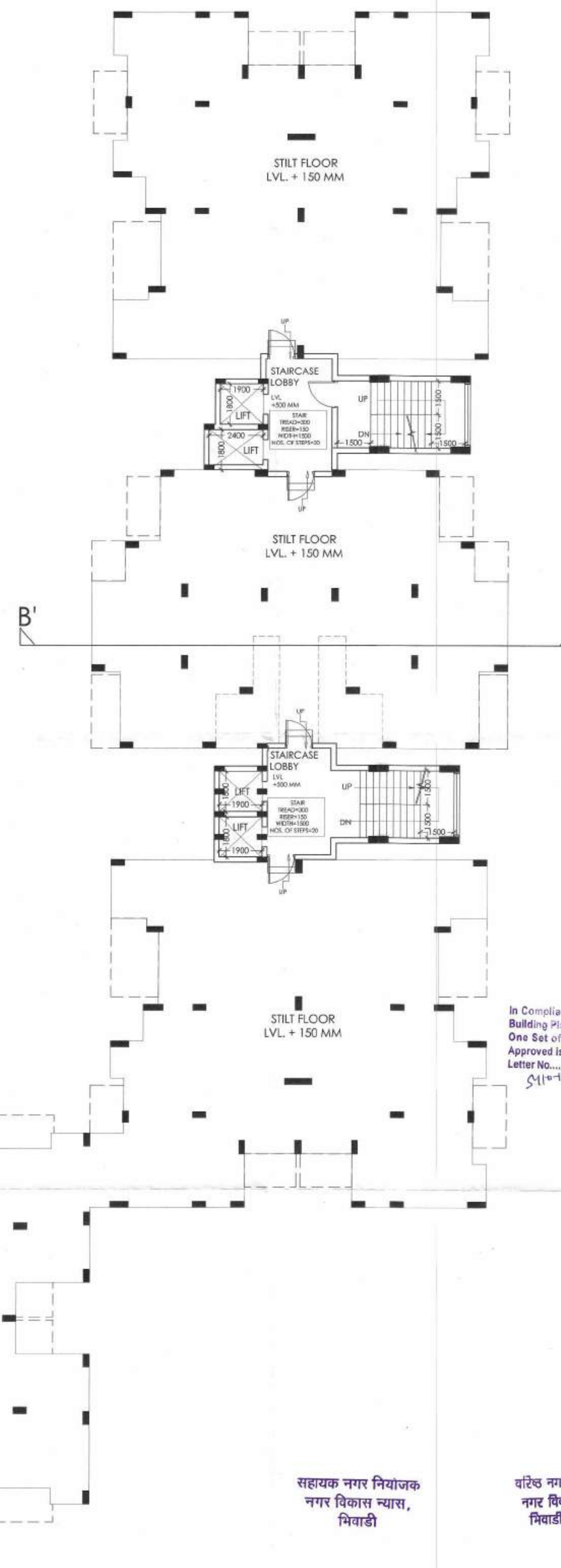
PROJECT NO.:

231

NORTH :

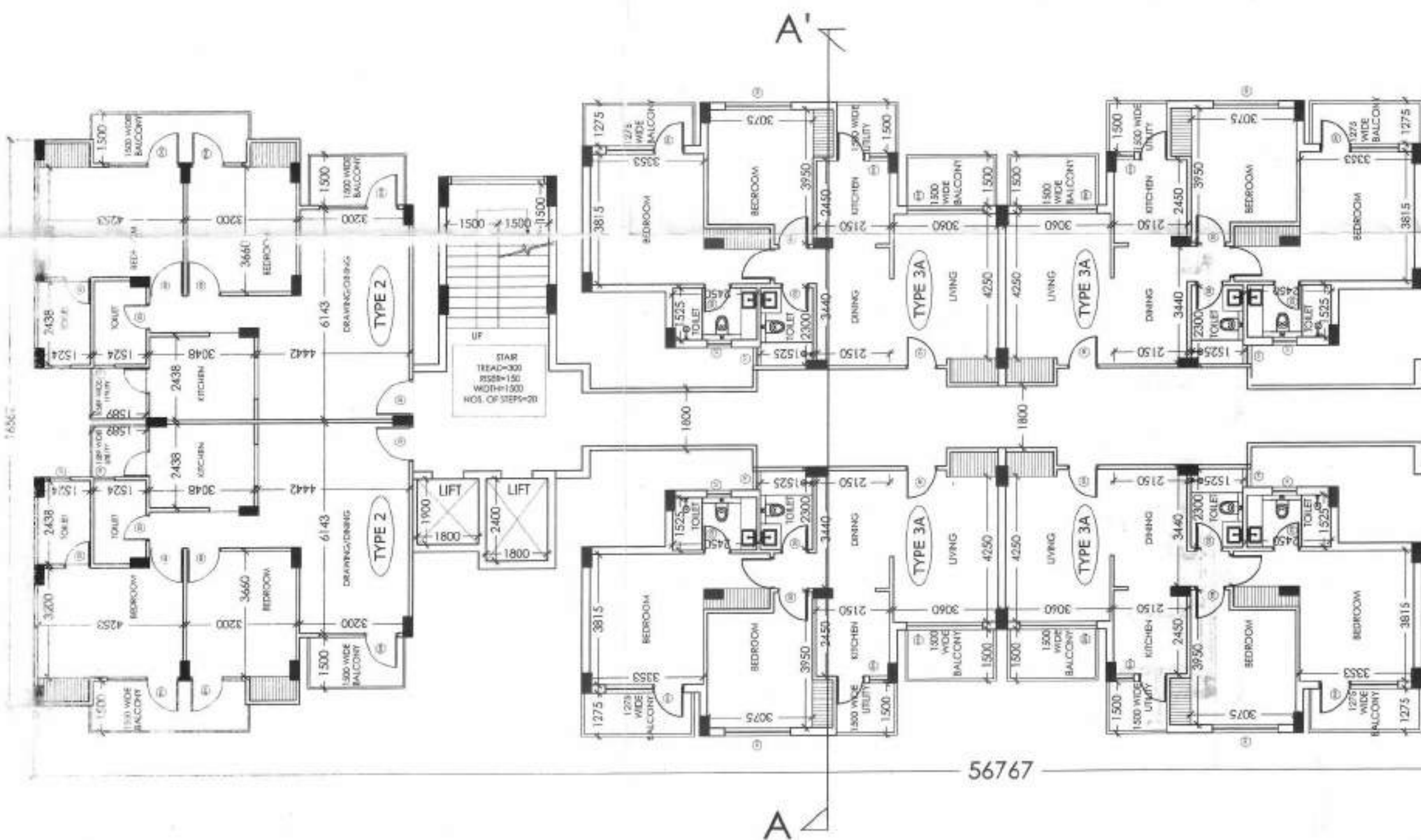


CAMPHOR STILT FLOOR PLAN

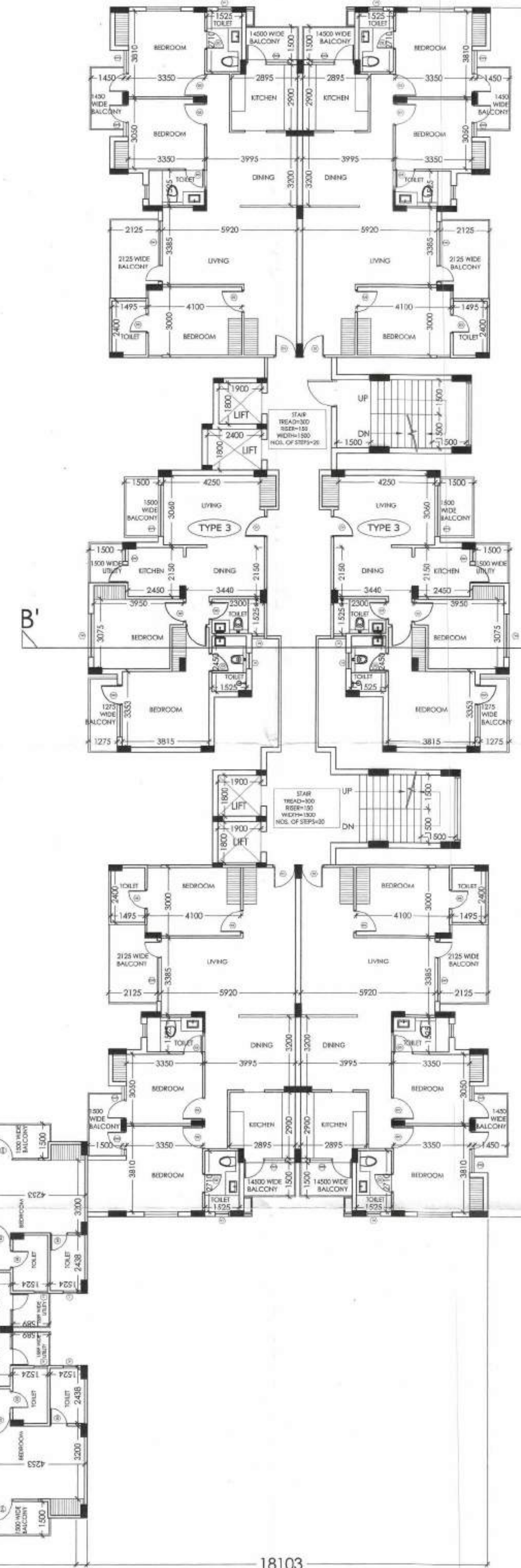


सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)



CAMPBOR
TYPICAL FLOOR PLAN



DWELLING UNIT CALCULATION					
NO. TOWER	NO. OF DU./FLOOR			TOTAL NO. OF DU./FLOOR	NO. OF FLOOR
	1BHK	2BHK	3BHK		
CAMPBOR	0	10	4	14	12
					168

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार बर्जिस संयोजन का प्रस्तावित भवन में विशेषज्ञों के द्वारा नगर विकास न्यास द्वारा भवन निर्माण के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी।

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के निर्वहण प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे। अन्वय नो कि न्यास द्वारा भवन निर्माण के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी।

हल मानचित्र का अनुमोदन किली भाति प्रशानत भूमि/भूखण्ड के प्राति स्वाभित्वा का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किली के स्वाभित्वा समन्वयी अधिकारी ही प्रमाणित होंगे।

विद्युत सेवा में गलकारी एवं, जल, मल, निकास और शान आदि सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिशिष्ट दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र अर्थात् द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

OPENING SCHEDULE

S.NO	TYPE	SIZE	SILL LVL.	LINTEL
1	D	1050	00	2100
2	D1	975	00	2100
3	D2	900	00	2100
4	D3	750	00	2100
5	DW	2020	1100	2400
6	DW1	2700	450	2400
7	DW2	2215	450	2400
8	DW3	1725	450	2400
9	DW4	1565	450	2100
10	DW5	1610	1100	2100
11	DW6	1805	450	2100
12	V1	450	1650	2100

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में द्वाारे गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्राची का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt. 04.02.2011 One Set of Building Plans Approved is Issued Along-With Letter No. 1114/DT/2011-13

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
मिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
मिवाडी (अलवर)

For Shilpkar Housing Private Limited
Signature of Owner

Sandeep Tandon
Architect
CA/97/21634
Signature of Architect

ADDRESS :

**PROPOSED GROUP HOUSING FOR
M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD
AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217,
218, 225 AT VILLAGE - THADA
TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)**

SHEET TITLE :

**TOWERS CAMPBOR
TYPICAL FLOOR PLAN**

ARCHITECTS AND CONSULTANTS

AE STUDIO

an architectural design studio

B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,
NEW DELHI-110029, Ph.- 011 26161136
E-Mail : info@aestudio.in, Web.: www.aestudio.in

SHEET NO :

11
OF
34

DATE :

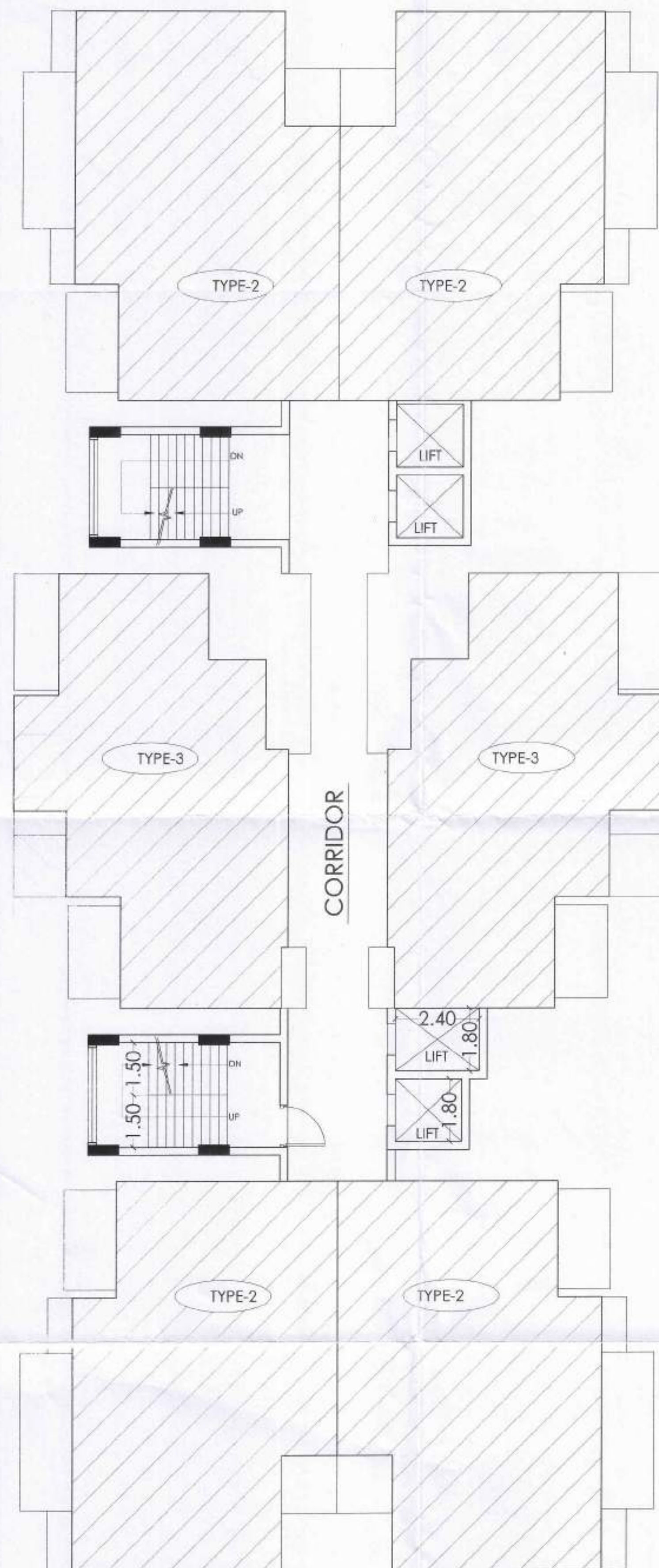
15-07-2017

PROJECT NO.:

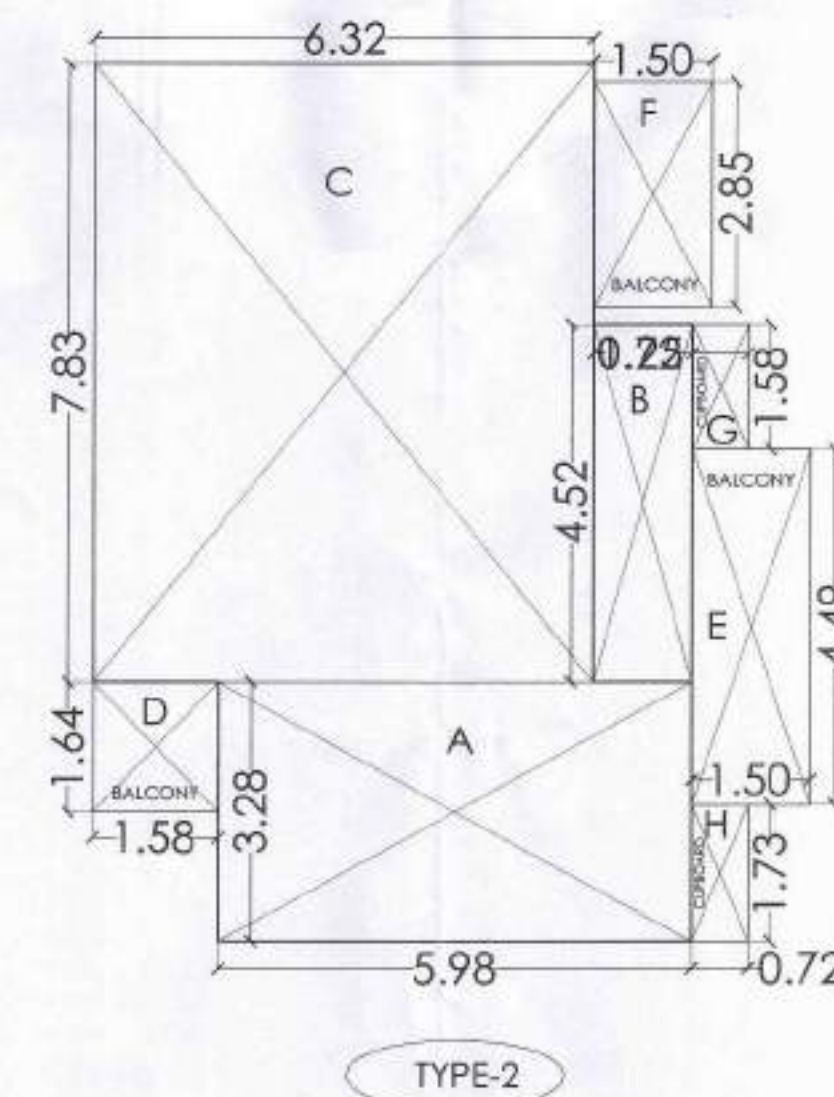
231

NORTH :





TYPICAL FLOOR PLAN



AREA OF UNIT TYPE- 2 (2BHK)

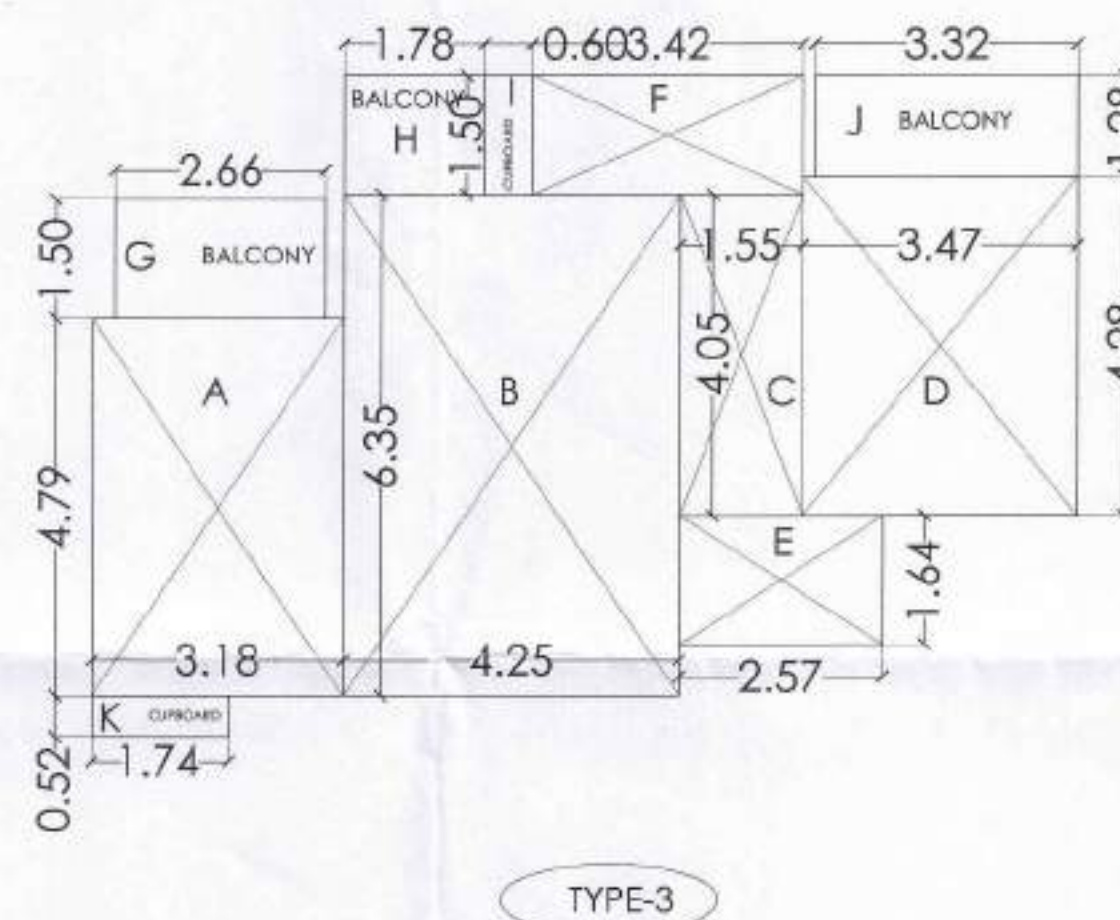
A	5.98 X 3.28	19.61
B	1.25 X 4.52	5.65
C	6.32 X 7.83	49.49
TOTAL		74.75

AREA FOR BALCONY-2 (2BHK)

D	1.58 X 1.64	2.59
E	1.50 X 4.49	6.74
F	1.50 X 2.85	4.28
TOTAL		13.61

AREA FOR CUPBOARD-2 (2BHK)

G	0.72 X 1.58	1.14
H	0.72 X 1.73	1.25
TOTAL		2.39



AREA OF UNIT TYPE-3, 2BHK

A	3.18 X 4.79	15.23
B	4.25 X 6.35	26.99
C	1.55 X 4.05	6.28
D	3.47 X 4.28	14.85
E	2.57 X 1.64	4.21
F	3.42 X 1.50	5.13
TOTAL		72.69

AREA FOR BALCONY TYPE-3, 2BHK

G	2.66 X 1.50	3.99
H	1.78 X 1.50	2.67
J	3.32 X 1.28	4.25
TOTAL		10.91

AREA FOR CUPBOARD TYPE-3, 2BHK

I	0.60 X 1.50	0.90
K	1.74 X 0.52	0.90
TOTAL		1.80

AREA PER FLOOR OF TOWER- G (UG Floor - 11th Floor)

1.	AREA PER FLOOR (P) = 4 X AREA OF UNIT TYPE 2(2BHK) + 2 X AREA OF UNIT TYPE- 3 (2BHK) AREA PER FLOOR (P) = 4 X 74.75 + 2 X 72.69 = 444.38 SQ M. FAR. AREA OF TOWER = 444.38 X 12 FLOOR = 5332.56 SQ M. TOTAL FAR. AREA = F.A.R. AREA OF TOWER + EXCESS CORRIDOR AREA = 5332.56 + 0.00 = 5332.56 SQ M.
2.	AREA OF CORRIDOR PER FLOOR (P) = 55.29 SQ M. TOTAL CORRIDOR AREA = 663.48 SQ M. RESIDENTIAL CORRIDOR AREA ALLOWED FREE FROM FAR = 15% OF RESIDENTIAL FAR.(5332.56X0.15) = 799.88 SQ M. EXCESS CORRIDOR AREA TO BE COUNTED IN F.A.R. = 663.48 - 799.88 = -136.40 SQ M. = 0.00 -SAY
3.	AREA OF BALCONY PER FLOOR (R) = 76.26 SQ M.
4.	AREA OF CUPBOARD PER FLOOR (S) = 13.16 SQ M.
5.	TOTAL BUA. PER FLOOR = 444.38 + 55.29 + 76.26 + 13.16 = 589.09 SQ M.
6.	TOTAL BUA. AREA = 589.09 X 12 FLOOR = 7069.08 SQ M.

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
मिवाडी

वरिष्ठ नगर निवाजक
नगर विकास न्यास
मिवाडी (अलवर)

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों से अनुसूचित वर्गजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्वया नो विरोध न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध निवमानुर कार्यवाही की जायेगी।

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्वया नो विरोध न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध निवमानुर कार्यवाही की जायेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति प्रमाणित भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा। और न ही इसका किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होगा।

विपुल सेवा में नलकारी एवं,जल,मल,निकास ऑफिशियल आदि सेवाये नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित भागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जायेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रभाव पत्र" अन्तर्गत प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाता अनिवार्य होगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

AREA OF CORRIDOR PER FLOOR

पेड़ लगाओ-हरियाली फ़ड़ेओ

A	2.84 X 4.96	14.09
B	1.59 X 5.13	8.157
C	2.84 X 5.57	15.82
D	1.80 X 1.74	3.13
E	2.84 X 4.96	14.09
TOTAL		55.29

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का निवमानुर प्रावधान किया जावे।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

Rain Water Harvesting Unit Shall be Provided as per Rules,

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. , Norms.

Parking Area Will Be UTR's Property

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में द्वावे गये भवन निर्माण को संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्राप्ति का है होगा।"

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 11-11-17
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. 5410-11/17-01-4-17

For Shilpkar Housing Private Limited

Signature of Owner

Signature of Architect

Sandeep Tandon
Architect
CA/97/21634

ADDRESS :

**PROPOSED GROUP HOUSING FOR
M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD**
AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217,
218, 225 AT VILLAGE - THADA
TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

SHEET TITLE :

TOWER GENISTA AREA CALCULATION

ARCHITECTS AND CONSULTANTS

AE STUDIO

an architectural design studio

B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,
NEW DELHI-110029 , Ph.- 011 26161136
E-Mail : info@aestudio.in , Web.: www.aestudio.in

SHEET NO :

DATE :

NORTH :

14
OF
34

15-07-2017

PROJECT NO.:

231



अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन पेड़ लगाओ-हरियाली बसोओ दिनांक 2000 की धारा 8.15 के तहत निर्देशों के अनुसार वर्षाई संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्राधान्य देया जाये अन्तर्गत नो हिड नियमानुसार प्राथमिक किया जाये। निमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन दिनांक 2009 की धारा 12 के तहत निर्देशों के अनुसार प्राथमिक रूप से विकासम अभिलेखा के फिरे प्रमाणों भवन में विशेष प्राधान्य देया जाये अन्तर्गत नो हिड नियम के तहत प्राथमिक किया जाये। निमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

पारकिंग क्षेत्र का उपयोग केवल पारकिंग हेतु किया जायेगा। Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules, Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

इस भवनपत्र का उपयोग किसी भी भक्ति धन्यता भूमिभूखंड के पारि स्थापित का प्राधान्य नहीं मारा जायेगा। श्रेय न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रमाणित होगा।

विद्युत सेवा में सकाराती एवं जल, निकास और ध्वनि आदि सेवाई नगरपाल विद्युत कोड ऑफ इंडिया के प्राधान्य/भवन विनियमों के प्राधान्य/स्वामित्व भूभाग के प्राधान्यों को सुनिश्चित किया जायेगा।

भवन सकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की धारा में राज्य सरकार के पारि दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 2000 वर्ग मीटर से अधिक का भवन प्राथम करने से पूर्व "पारिवर्तन प्राधान्य पत्र" अन्तर्गत प्राधान्य पर अपेक्षित प्राधान्य प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction. THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan Building Plan Committee Dt. 14.09.2006 One Set of Building Plans Approved is Issued Along-With Letter No. 3118/11/14-09-2006-17

सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास, भिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक नगर विकास न्यास, भिवाडी (अवर)

OPENING SCHEDULE			
S.NO	TYPE	SIZE	SILL LVL. LINTEL
1	D	1050	00 2100
2	D1	975	00 2100
3	D2	900	00 2100
4	D3	750	00 2100
5	DW	2020	1100 2400
6	DW1	2700	450 2400
7	DW2	2215	450 2400
8	DW3	1725	450 2400
9	DW4	1565	450 2100
10	DW5	1610	1100 2100
11	DW6	1805	450 2100
12	V1	450	1650 2100

For Shilpkar Housing Private Limited

Sandeep Tandon Architect CA/97/21634

Signature of Architect

Signature of Owner

ADDRESS :

PROPOSED GROUP HOUSING FOR M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217, 218, 225 AT VILLAGE - THADA TEHSIL - TJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

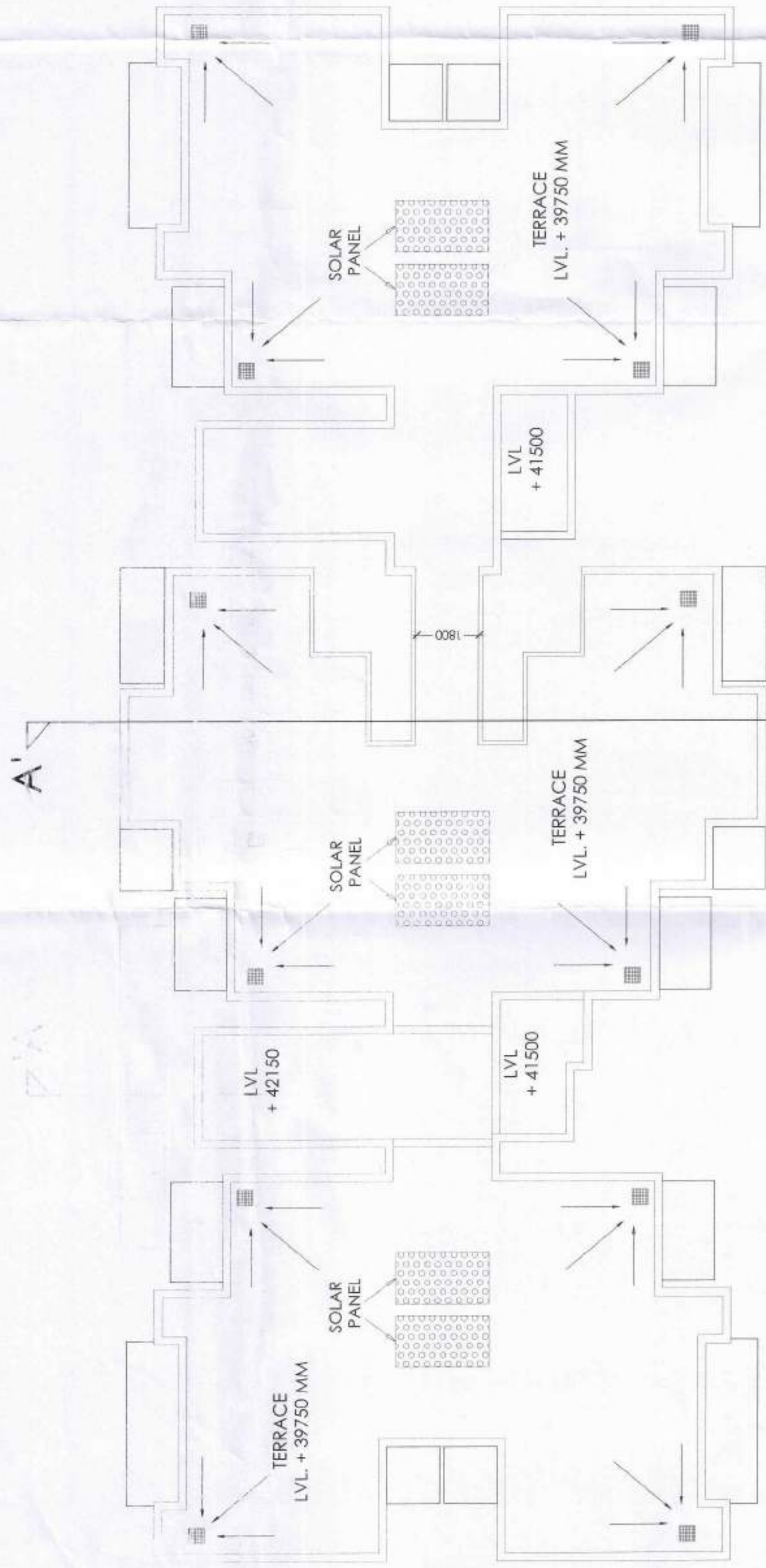
SHEET TITLE :

TOWER GENISTA FLOOR PLANS

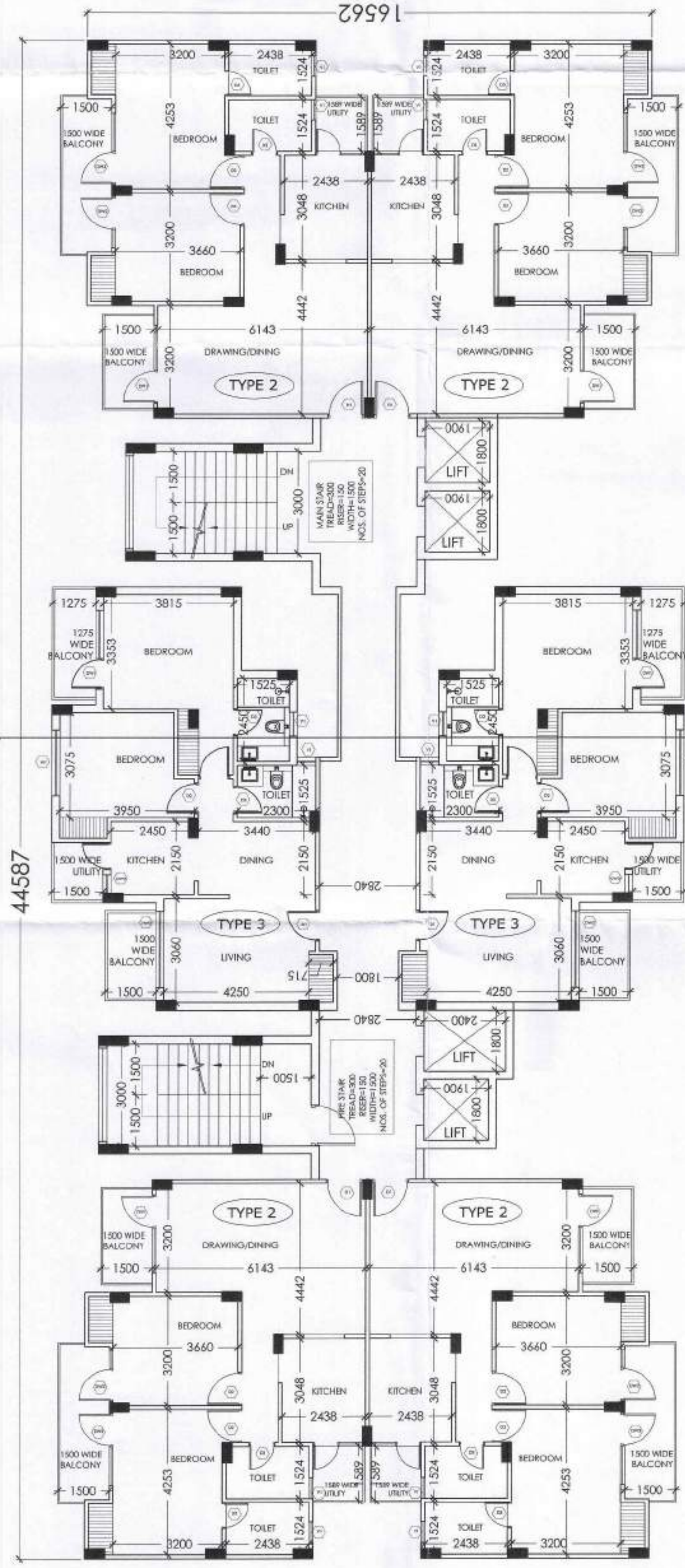
ARCHITECTS AND CONSULTANTS AE STUDIO an architectural design studio B4/25, SAFDURJUNG ENCLAVE, NEW DELHI-110029, Ph- 011 26161136 E-Mail : info@aestudio.in, Web : www.aestudio.in

DATE: 15-07-2017
PROJECT NO: 231
SHEET NO: 15 of 34
NORTH:

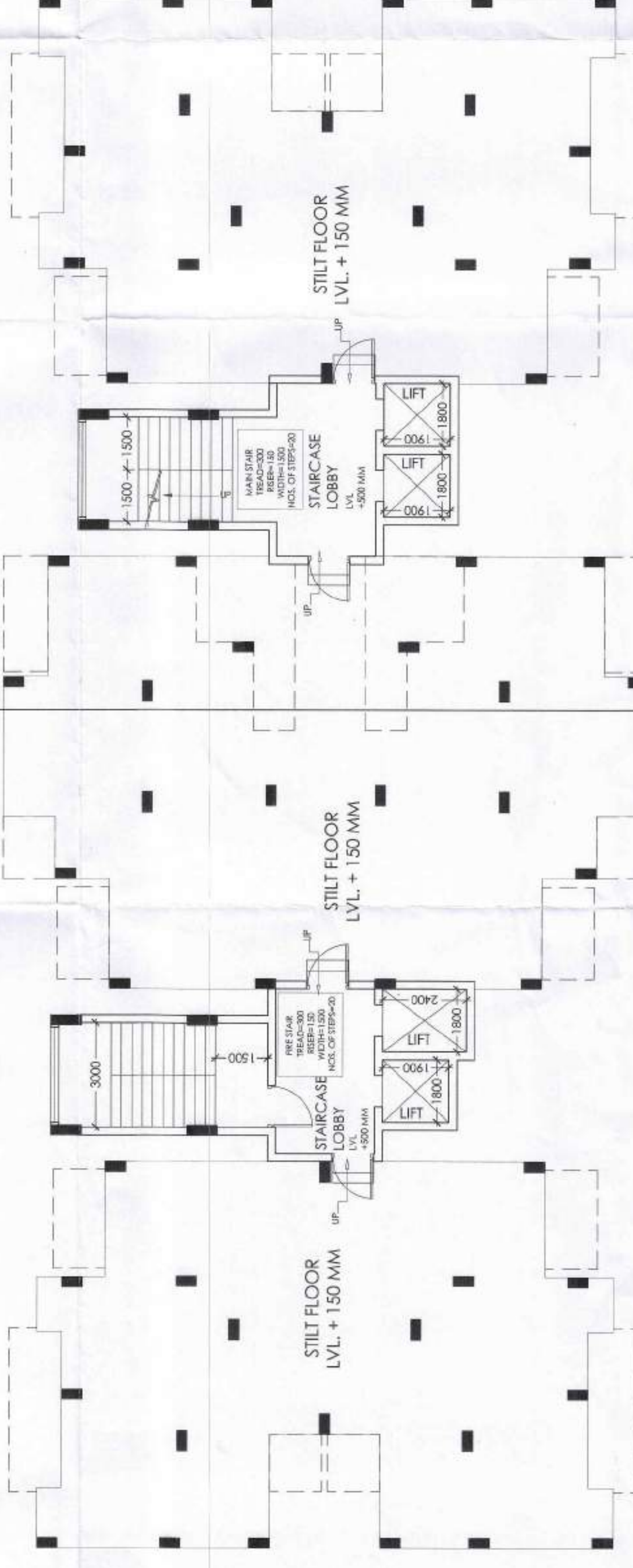
DWELLING UNIT CALCULATION				
NO. TOWER	NO. OF DU/FLOOR	TOTAL NO. OF DU/FLOOR	NO. OF FLOOR	TOTAL DU. IN TOWER
GENISTA	0 6 0	6	12	72



TERRACE FLOOR PLAN



TYPICAL FLOOR PLAN



STILT FLOOR PLAN

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, गिलाडी मकन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार सफाई संग्रहण का पर्याप्त भवन में विनियमन द्वारा जारी अपवाह को कि- न्यास द्वारा भवन निर्माण के विरुद्ध नियन्त्रित करवाही की जायेगी।

नगर विकास न्यास, गिलाडी मकन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के कि- स्थापित भवन में विशेष व्यवधान द्वारा जारी अपवाह को कि- न्यास द्वारा भवन निर्माण के विरुद्ध नियन्त्रित करवाही की जायेगी।

इस भवन का अनुमोदित कि- नी- भवन प्रमाण-पत्र जारी नगर विकास न्यास, गिलाडी मकन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के कि- स्थापित भवन में विशेष व्यवधान द्वारा जारी अपवाह को कि- न्यास द्वारा भवन निर्माण के विरुद्ध नियन्त्रित करवाही की जायेगी।

नगर विकास न्यास, गिलाडी मकन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के कि- स्थापित भवन में विशेष व्यवधान द्वारा जारी अपवाह को कि- न्यास द्वारा भवन निर्माण के विरुद्ध नियन्त्रित करवाही की जायेगी।

नगर विकास न्यास, गिलाडी मकन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के कि- स्थापित भवन में विशेष व्यवधान द्वारा जारी अपवाह को कि- न्यास द्वारा भवन निर्माण के विरुद्ध नियन्त्रित करवाही की जायेगी।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियन्त्रित प्रमाण किया जाये।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C.

Parking Area Will Be UT's Property

FRONT ELEVATION

नगर विकास न्यास, गिलाडी मकन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के कि- स्थापित भवन में विशेष व्यवधान द्वारा जारी अपवाह को कि- न्यास द्वारा भवन निर्माण के विरुद्ध नियन्त्रित करवाही की जायेगी।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan, Building Plan Committee D.No. 11-17, One Set of Building Plans Approved is Issued Along With Letter No. 5418/11/17-19-13

सहायक नगर आयुक्त, नगर विकास न्यास, गिलाडी

वरिष्ठ नगर निवेशक, नगर विकास न्यास, गिलाडी (अवर)

For Shilpkar Housing Private Limited

Sandeep Tandon Architect CA9721634

Signature of Architect

Signature of Owner

ADDRESS :

PROPOSED GROUP HOUSING FOR M/S SHILPKAR HOUSING PVT. LTD AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217, 218, 225 AT VILLAGE - THADA TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

SHEET TITLE :

TOWER GENISTA SECTION & ELEVATION

ARCHITECTS AND CONSULTANTS
AE STUDIO
an architectural design studio
B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,
NEW DELHI-110029, Ph- 011 26161136
E-Mail : info@aestudio.in , Web : www.aestudio.in

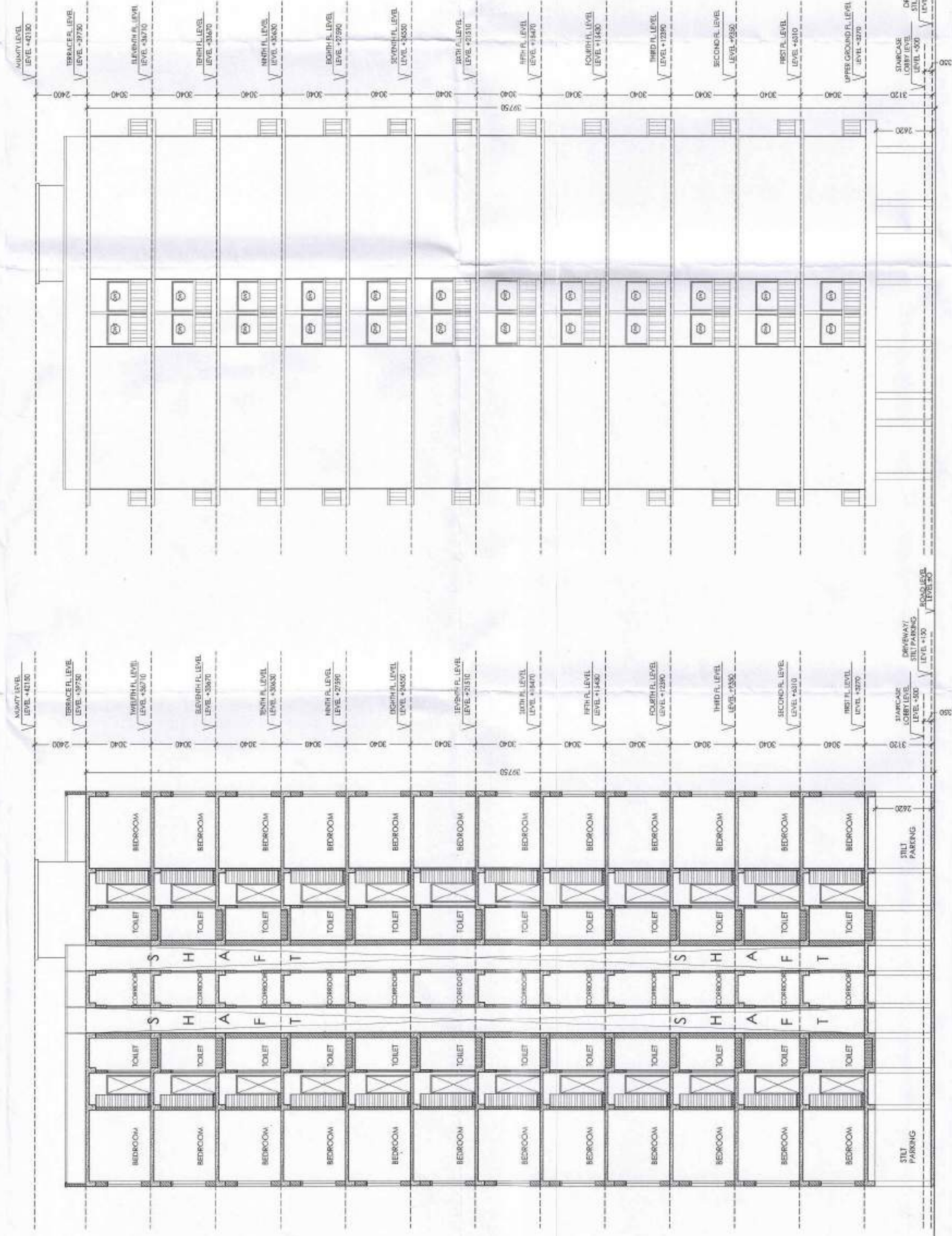
DATE : 15-07-2017
PROJECT NO. : 231

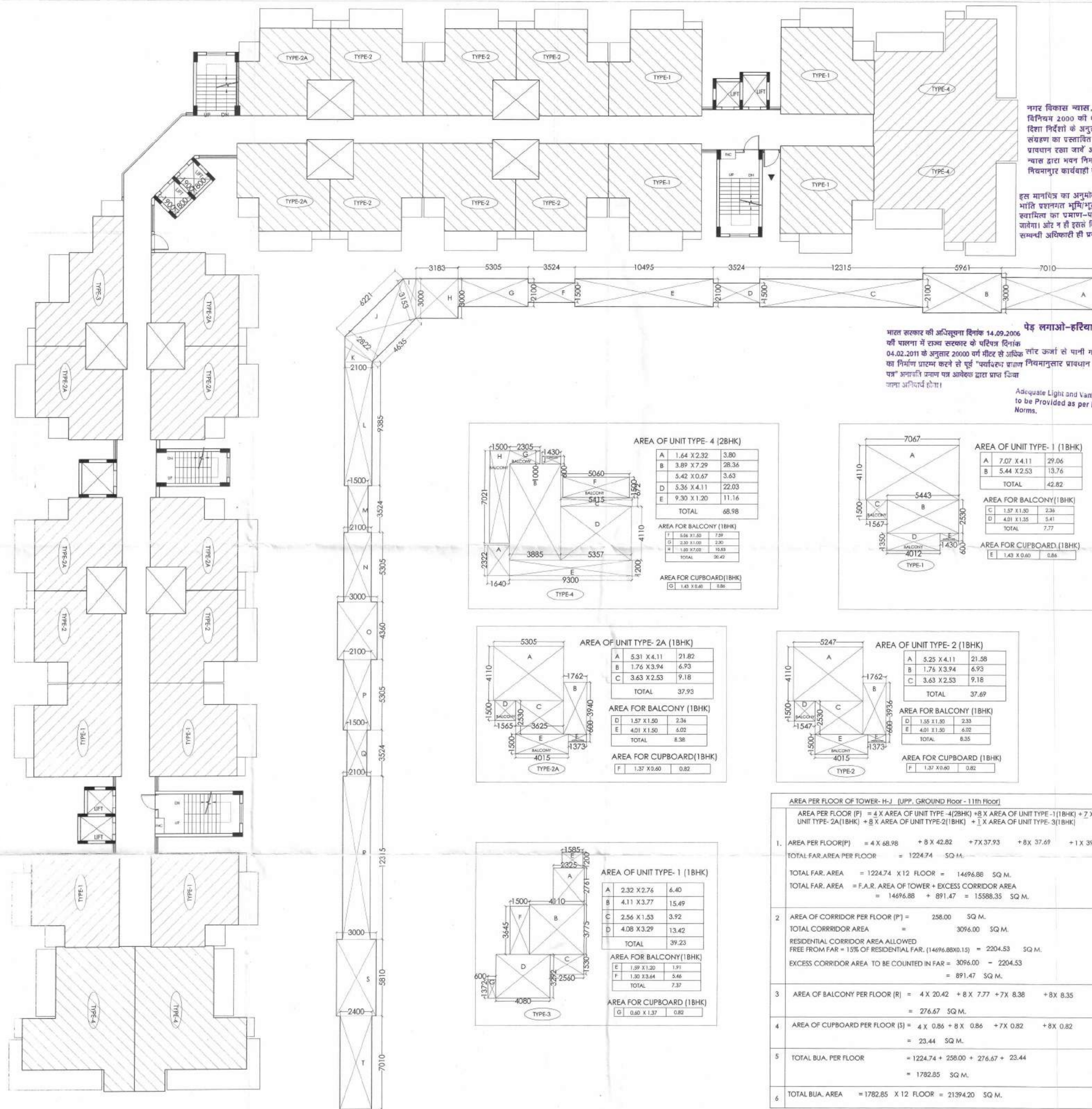
SHEET NO : 16 OF 34



RIGHT ELEVATION

SECTION AA'





TYPICAL FLOOR PLAN

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्णित संरचना का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान देखा जाये अन्यथा न० दि० न्यास द्वारा भवन निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को निचे प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान देखा जाये अन्यथा न० दि० न्यास द्वारा भवन निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति प्रशस्तित भूमि/भूखण्ड के प्राति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

निर्भर सेवा में नलकादी एवं, जल, मल, नििकास और शक्ति आदि सेवाएं भवनल बिस्डिंग कोड और इन्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जायेगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

Rain Water Harvesting Unit Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Parking Area Will Be UTI's Property

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दाखिल गये भवन निर्माण को संरचना (STRUCTURE) का दाखिल प्रार्थी का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

AREA OF CORRIDOR

A	7.01 X 2.40	16.82
B	5.96 X 3.00	17.88
C	12.31 X 2.10	25.85
D	3.52 X 1.50	5.28
E	10.50 X 2.10	22.05
F	3.52 X 1.50	5.28
G	5.31 X 2.10	11.15
H	3.18 X 3.00	9.54
I	—	1.45
J	—	15.26
K	—	1.7
L	2.10 X 9.38	19.70
M	1.50 X 3.52	5.28
N	2.10 X 5.31	11.15
O	3.00 X 4.36	13.08
P	5.31 X 2.10	11.15
Q	1.50 X 3.52	5.28
R	2.10 X 12.31	25.85
S	3.00 X 5.81	17.43
T	2.40 X 7.01	16.82
TOTAL		258.00

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt. 14-12-17 One Set of Building Plans Approved is Issued Along-With Letter No. 31/17/17 Dt. 14-12-17

सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास, भिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक नगर विकास न्यास भिवाडी (अलवर)

For Shilpkar Housing Private Limited
Signature of Owner

Sandeep Tandon
Architect
CA/97/21634
Signature of Architect

ADDRESS :

PROPOSED GROUP HOUSING FOR
M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD
AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217,
218, 225 AT VILLAGE - THADA
TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

SHEET TITLE :

TOWER HENNA & JASMINE
AREA CALCULATION

ARCHITECTS AND CONSULTANTS

AE STUDIO

an architectural design studio

B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,
NEW DELHI-110029, Ph.- 011 26161136
E-Mail : info@aestudio.in , Web.: www.aestudio.in

SHEET NO :

DATE :

NORTH :

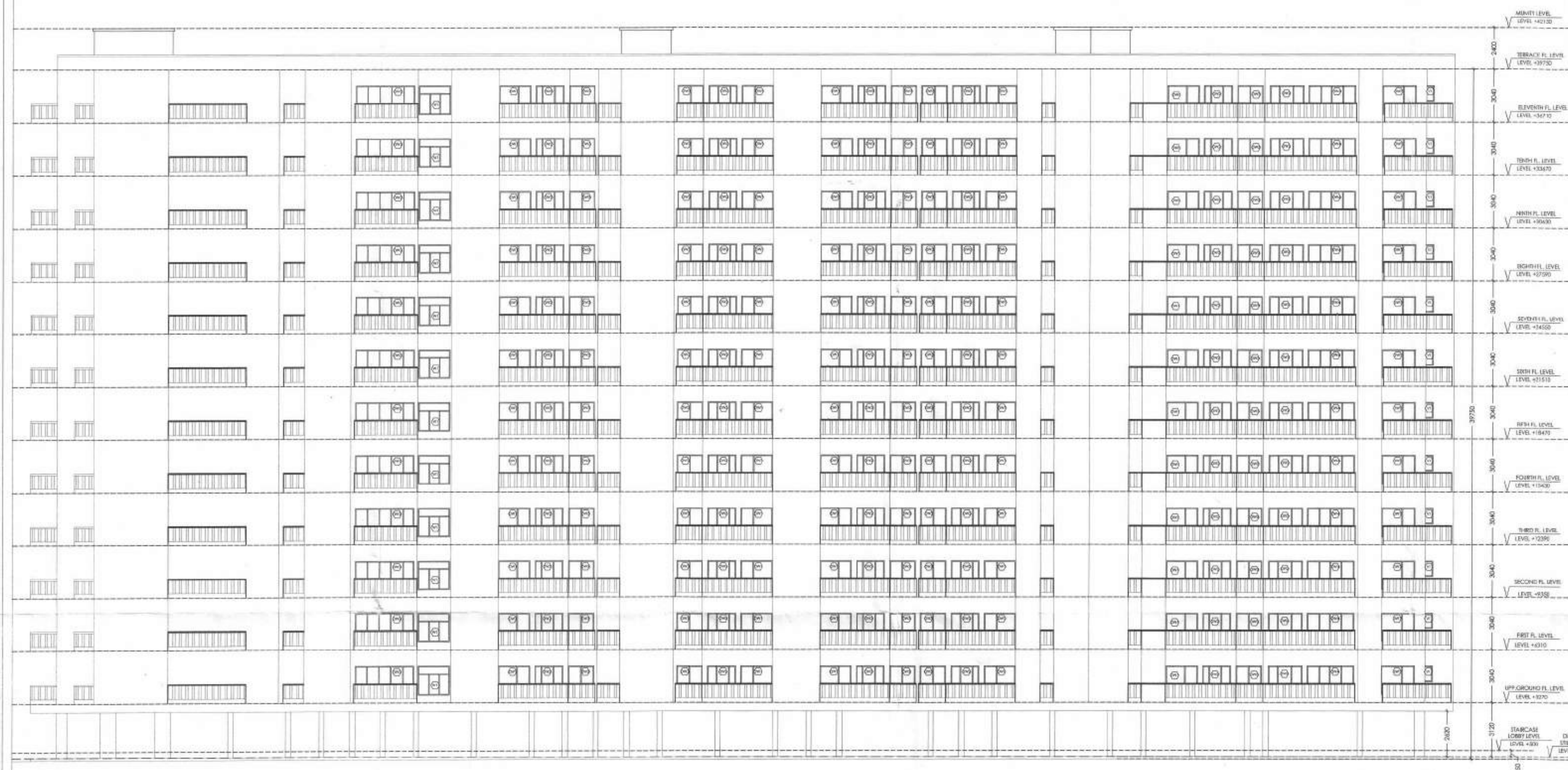
17
OF
34

PROJECT NO.:

231



AREA PER FLOOR OF TOWER- H-J (UPP. GROUND Floor - 11th Floor)	
AREA PER FLOOR (P) = 4 X AREA OF UNIT TYPE-4(2BHK) + 8 X AREA OF UNIT TYPE-1(1BHK) + 2 X AREA OF UNIT TYPE-2A(1BHK) + 8 X AREA OF UNIT TYPE-2(1BHK) + 1 X AREA OF UNIT TYPE-3(1BHK)	
1. AREA PER FLOOR(P) = 4 X 68.98 + 8 X 42.82 + 7 X 37.93 + 8 X 37.69 + 1 X 39.23	
TOTAL FAR AREA PER FLOOR = 1224.74	SQ M.
TOTAL FAR AREA = 1224.74 X 12 FLOOR = 14696.88	SQ M.
TOTAL FAR AREA = F.A.R. AREA OF TOWER + EXCESS CORRIDOR AREA = 14696.88 + 891.47 = 15588.35	SQ M.
2. AREA OF CORRIDOR PER FLOOR (P) = 258.00	
TOTAL CORRIDOR AREA = 3096.00	SQ M.
RESIDENTIAL CORRIDOR AREA ALLOWED FREE FROM FAR = 15% OF RESIDENTIAL FAR. (14696.88 X 0.15) = 2204.53	SQ M.
EXCESS CORRIDOR AREA TO BE COUNTED IN FAR = 3096.00 - 2204.53 = 891.47	SQ M.
3. AREA OF BALCONY PER FLOOR (R) = 4 X 20.42 + 8 X 7.77 + 7 X 8.38 + 8 X 8.35 + 1 X 7.37	
= 276.67	
4. AREA OF CUPBOARD PER FLOOR (S) = 4 X 0.86 + 8 X 0.86 + 7 X 0.82 + 8 X 0.82 + 1 X 0.82	
= 23.44	
5. TOTAL BUA. PER FLOOR = 1224.74 + 258.00 + 276.67 + 23.44 = 1782.85	
6. TOTAL BUA. AREA = 1782.85 X 12 FLOOR = 21394.20	



LEFT ELEVATION
अनुमोदित

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्गाजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा निर्माता के विरुद्ध निचमानुर कार्यवाही की जावेगी।

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध निचमानुर कार्यवाही की जावेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किल्ली भी भाति ब्रह्मनाथ भूमि/भूजण्ड के प्राप्ति स्वाधिन का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किल्ली के स्वाधिन सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, निकास अग्नि शक्ति आदि सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

भारत सरकार की अधिनियम दिनांक 14.09.2006 की धारा में राज्य सरकार के बरिचर दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण पत्र" अनिवार्य प्रमाण पत्र आवेक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

वेडू लगाओ-हॉटवाली बड़ोओ

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का निचमानुर प्रावधान किया जावे।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Parking Area Will Be UTI's Property

"जो कि बड़े अनुमोदित मान-चित्र में स्तंभ गवे भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व बायीं का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee D.L. 7-17
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. 3410/17-1-17

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
मिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
मिवाडी (अलवर)

SHEET NO :

21
OF
34

DATE :

15-07-2017

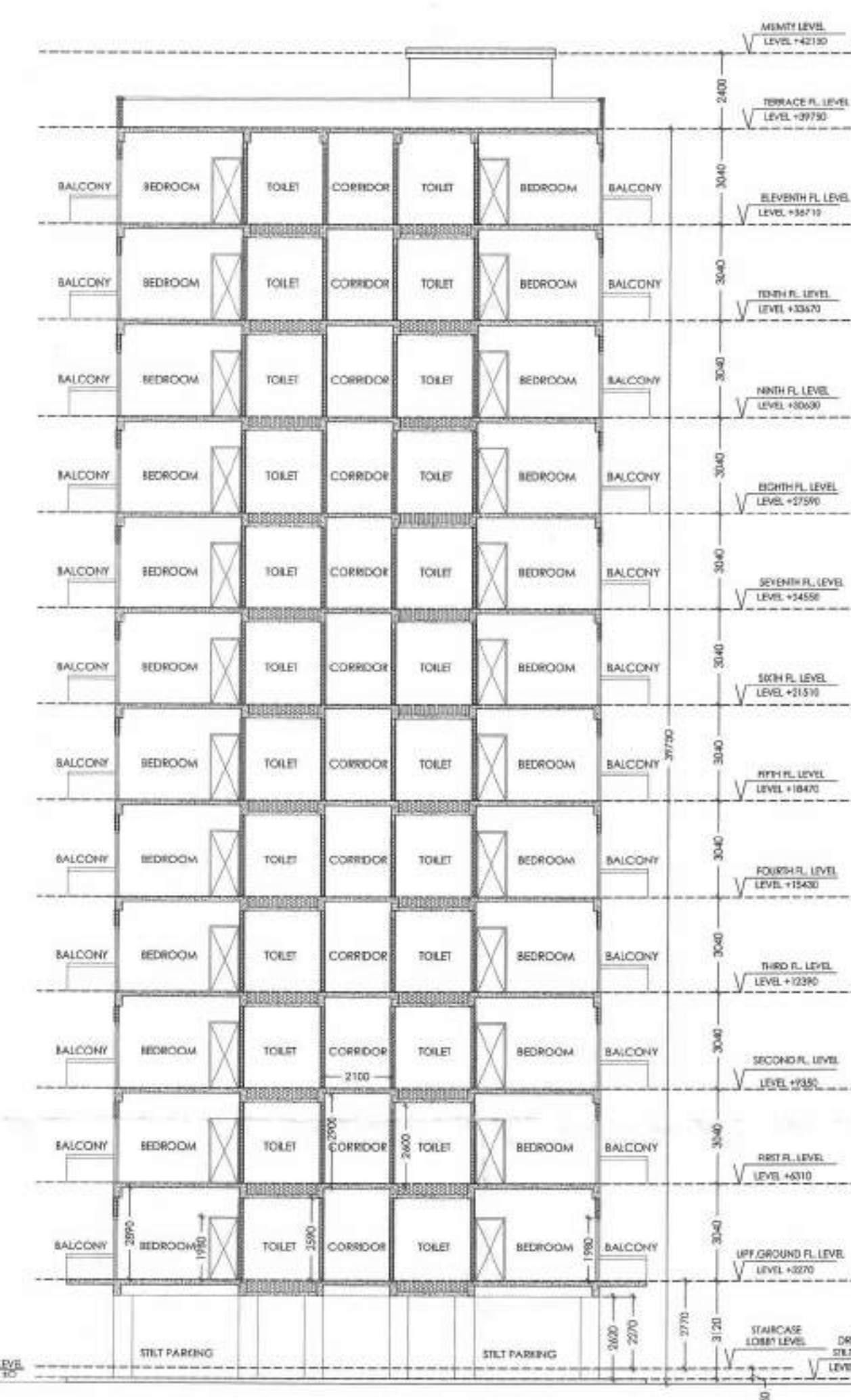
PROJECT NO.:

231

NORTH :



SECTION AA'



For Shilpkar Housing Private Limited

Director

Signature of Owner

Sandeep Tandon
Architect
CA/9721634

Signature of Architect

ADDRESS :

**PROPOSED GROUP HOUSING FOR
M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD**
AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217,
218, 225 AT VILLAGE - THADA
TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

SHEET TITLE :

**TOWER HENNA & JASMINE
SECTION & ELEVATION**

ARCHITECTS AND CONSULTANTS

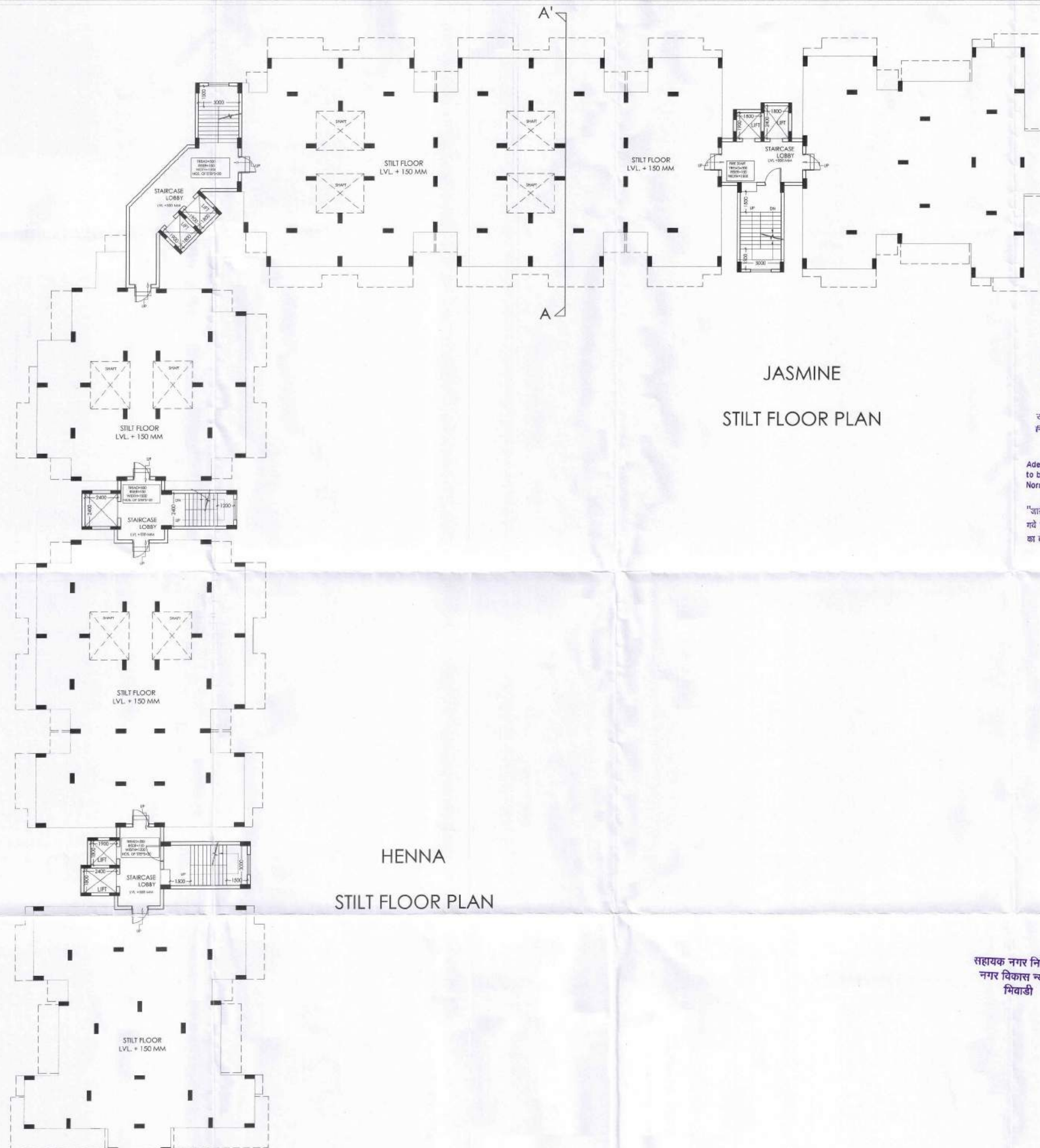
AE STUDIO

an architectural design studio

B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,

NEW DELHI-110029, Ph.- 011 26161136

E-Mail : info@aestudio.in, Web.: www.aestudio.in



अनुमोदित

नगर विकास न्यास, बिवाडी भवन विनियम 2009 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार पर्याप्त संरक्षण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जाये अथवा 70 वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नगर विकास न्यास, बिवाडी भवन विनियम 2009 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार आग्नेयिक रूप से विकलिंग पर्यवेक्षकों के विरुद्ध प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जाये अथवा 70 वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

"जारी किए गये अनुमोदित माप-विज्ञ में द्वाबे गढ़े भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्राप्ति का ही होगा।"

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 11-4-17
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along With
Letter No. 5410-11/3 dt. 28-4-17

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
बिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
बिवाडी (अलवर)

DWELLING UNIT CALCULATION

NO. TOWER	NO. OF DU./FLOOR			TOTAL NO. OF DU./FLOOR	NO. OF FLOOR	TOTAL DU. IN TOWER
	1BHK	2BHK	3BHK			
HENNA-JASMINE	24	4	0	28	12	336

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति प्रशमनगत भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति स्वाभित्त्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इसका किसी के स्वाभित्त्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होगे।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, निकास अग्नि शयन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित भागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के पंक्ति दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आदेश प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules.

Parking Area Will Be UTI's Property

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

OPENING SCHEDULE

S.NO	TYPE	SIZE	SILL LVL.	LINTEL
1	D	1050	00	2100
2	D1	975	00	2100
3	D2	900	00	2100
4	D3	750	00	2100
5	DW	2020	1100	2400
6	DW1	2700	450	2400
7	DW2	2215	450	2400
8	DW3	1725	450	2400
9	DW4	1565	450	2100
10	DW5	1610	1100	2100
11	DW6	1805	450	2100
12	V1	450	1650	2100

For Shilpkar Housing Private Limited

Signature of Owner

Signature of Architect

Sandeep Tandon
Architect
CA/97121634

Signature of Architect

ADDRESS :

PROPOSED GROUP HOUSING FOR
M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD
AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217,
218, 225 AT VILLAGE - THADA
TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

SHEET TITLE :

TOWER HENNA & JASMINE
STILT FLOOR PLAN

ARCHITECTS AND CONSULTANTS

AE STUDIO

an architectural design studio

B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,

NEW DELHI-110029, Ph.- 011 26161136

E-Mail : info@aestudio.in, Web.: www.aestudio.in

SHEET NO :

18
OF
34

DATE :

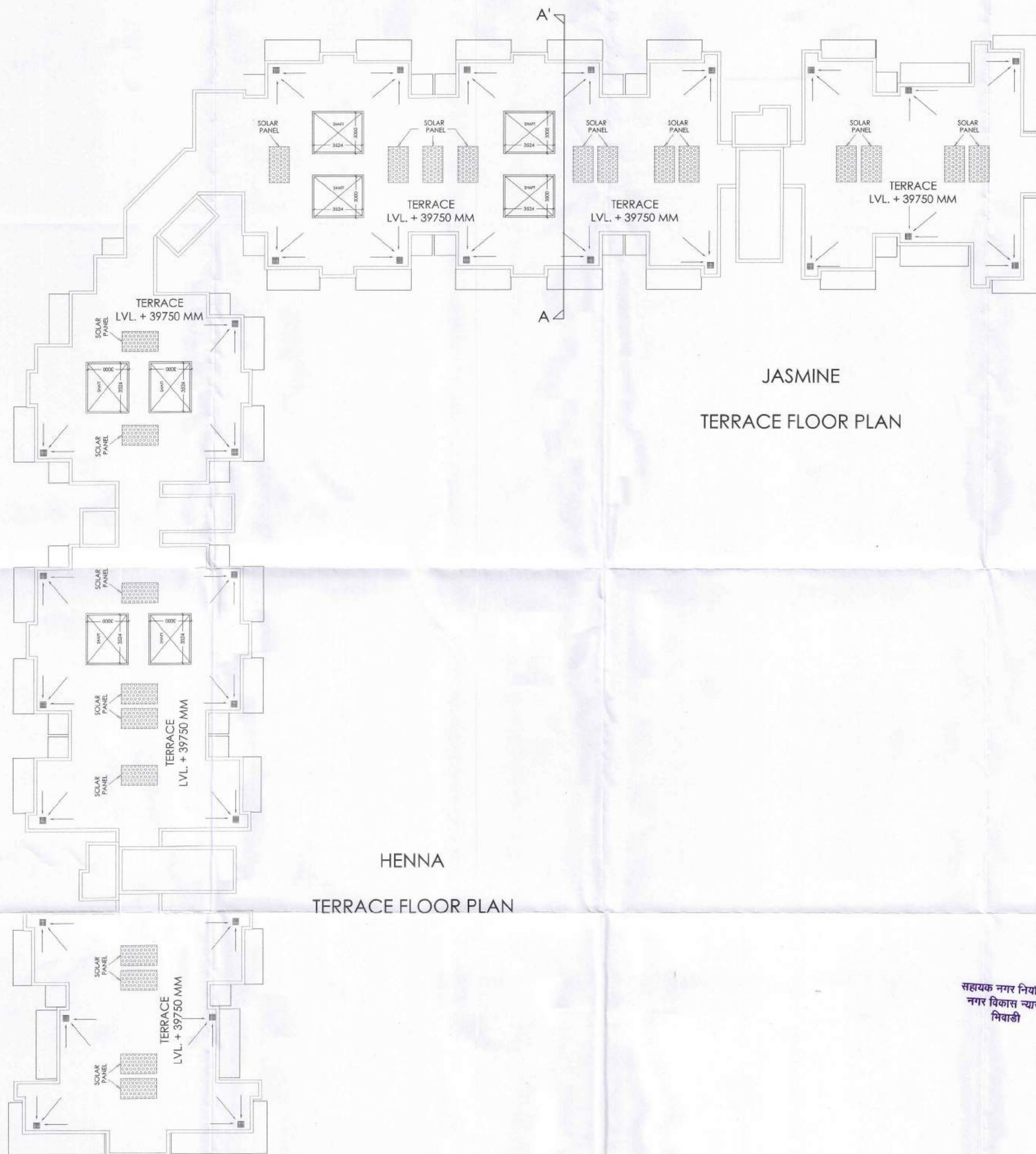
15-07-2017

PROJECT NO.:

231

NORTH :





JASMINE
TERRACE FLOOR PLAN

HENNA
TERRACE FLOOR PLAN

DWELLING UNIT CALCULATION						
NO. TOWER	NO. OF DU./FLOOR			TOTAL NO. OF DU./FLOOR	NO. OF FLOOR	TOTAL DU. IN TOWER
	1BHK	2BHK	3BHK			
HENNA-JASMINE	24	4	0	28	12	336

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्जित संरचना का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा न० सि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध निवेदानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार प्राथमिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को (लेवें) प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा न० सि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध निवेदानुसार कार्यवाही की जावेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रमाणगत भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इस किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारों की प्रमाणित होगी।

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

पादिक क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में स्थापित गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व धारण कर ही होगा।"

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 04-09-17
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. 34/10-11/17 Dt. 01-09-17

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, निष्का-
शक्ति समन आदि सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड
ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के
प्रावधानों/सम्बन्धित प्रावधानों के
सुनिश्चित किया जावेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2011
की धारा 11 में राज्य सरकार के अधिनियम
04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक
का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "प्लिथ स्लैब
वॉल" अपावधि प्रमाण पत्र आवेदन द्वारा प्राप्त किया
जाना अनिवार्य होगा।

Applicants Should get the
construction checked at plinth
level before proceeding for
further construction.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
निवेदानुसार प्रावधान किया जावे।

Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules.

Parking Area Will Be UTI's Property

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE

OPENING SCHEDULE

S.NO	TYPE	SIZE	SILL LVL.	LINTEL
1	D	1050	00	2100
2	D1	975	00	2100
3	D2	900	00	2100
4	D3	750	00	2100
5	DW	2020	1100	2400
6	DW1	2700	450	2400
7	DW2	2215	450	2400
8	DW3	1725	450	2400
9	DW4	1565	450	2100
10	DW5	1610	1100	2100
11	DW6	1805	450	2100
12	V1	450	1650	2100

For Shilpkar Housing Private Limited
Signature of Owner

Sandeep Tandon
Architect
CA/97/21634
Signature of Architect

ADDRESS :
**PROPOSED GROUP HOUSING FOR
M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD**
AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217,
218, 225 AT VILLAGE - THADA
TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

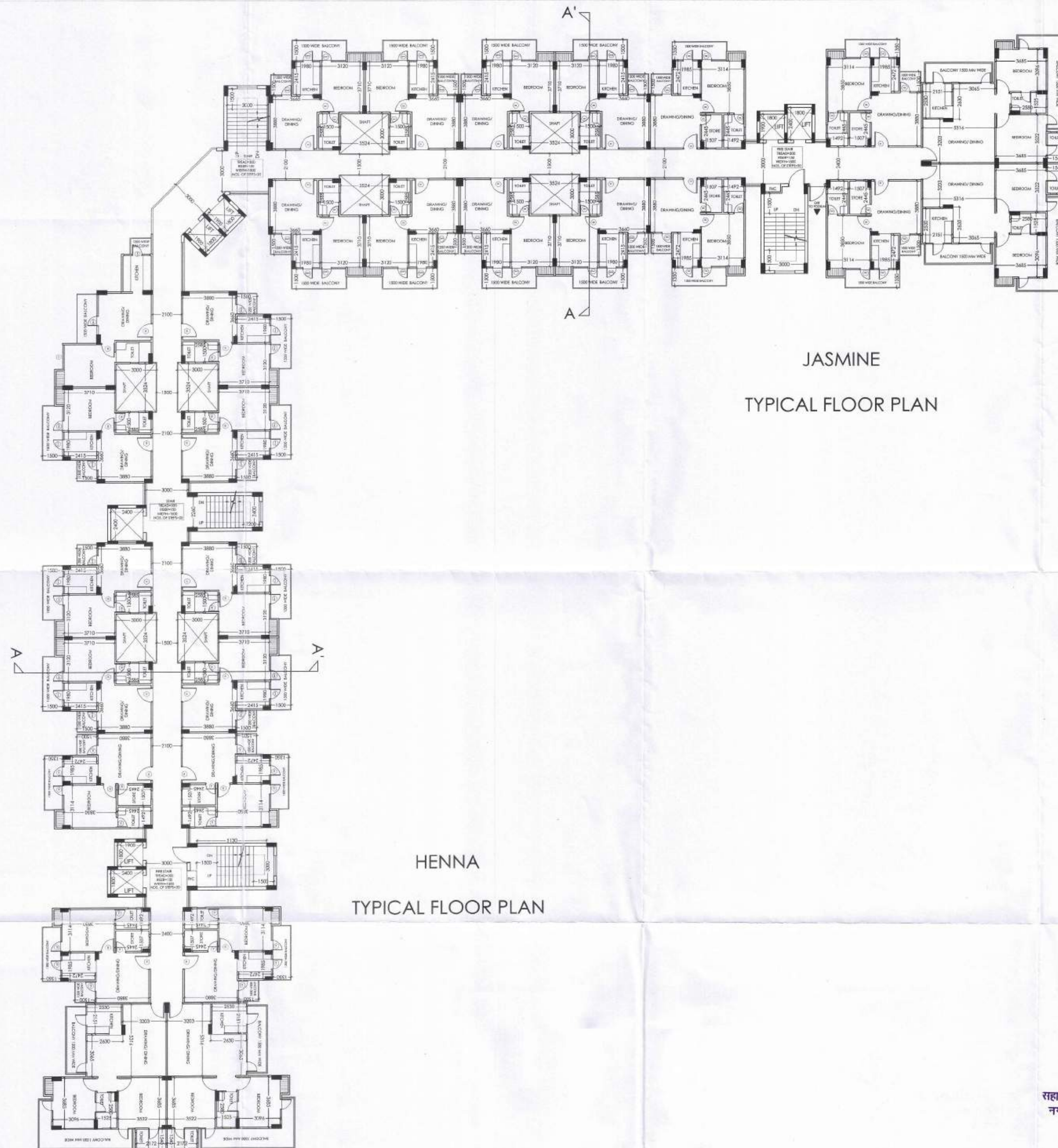
SHEET TITLE :
**TOWER HENNA & JASMINE
TERRACE FLOOR PLAN**

ARCHITECTS AND CONSULTANTS
AE STUDIO
an architectural design studio
B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,
NEW DELHI-110029, Ph.- 011 26161136
E-Mail : info@aestudio.in , Web.: www.aestudio.in

SHEET NO :
20
OF
34
DATE :
15-07-2017
PROJECT NO.:
231
NORTH :
N

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
मिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
मिवाडी (अलवर)



HENNA
TYPICAL FLOOR PLAN

JASMINE
TYPICAL FLOOR PLAN

DWELLING UNIT CALCULATION						
NO. TOWER	NO. OF DU./FLOOR			TOTAL NO. OF DU./FLOOR	NO. OF FLOOR	TOTAL DU. IN TOWER
	1BHK	2BHK	3BHK			
HENNA-JASMINE	24	4	0	28	12	336

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, निवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार बर्दाजल संयोजन का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जाये अन्यथा न० दि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

नगर विकास न्यास, निवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जाये अन्यथा न० दि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रशस्तित भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा। और न ही इससे किसी के स्वाक्षित सम्पत्ती अधिकारी ही प्रभावित होगे।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, निकास अस्मि शम्भन आदि सेवाये नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जायेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "खर्चद्वारा पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 17-4-17
One Set of Building Plans
Approved is issued Along-With
Letter No. 5410-11/19 1-4-17

सहायक नगर नियाजक
नगर विकास न्यास,
निवाडी

परिच नगर नियाजक
नगर विकास न्यास
निवाडी (अलवर)

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

Parking Area Will Be UTI's Property

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में स्थापित गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्राप्ति का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE

OPENING SCHEDULE

S.NO	TYPE	SIZE	SILL LVL.	LINTEL
1	D	1050	00	2100
2	D1	975	00	2100
3	D2	900	00	2100
4	D3	750	00	2100
5	DW	2020	1100	2400
6	DW1	2700	450	2400
7	DW2	2215	450	2400
8	DW3	1725	450	2400
9	DW4	1565	450	2100
10	DW5	1610	1100	2100
11	DW6	1805	450	2100
12	V1	450	1650	2100

For Shilpkar Housing Private Limited

Signature of Owner

Sandeep Tandon
Architect
CA/97/21634

Signature of Architect

ADDRESS :

**PROPOSED GROUP HOUSING FOR
M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD**
AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217,
218, 225 AT VILLAGE - THADA
TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

SHEET TITLE :

**TOWER HENNA & JASMINE
TYPICAL FLOOR PLAN**

ARCHITECTS AND CONSULTANTS

AE STUDIO

an architectural design studio

B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,

NEW DELHI-110029, Ph.- 011 26161136

E-Mail : info@aestudio.in , Web.: www.aestudio.in

SHEET NO :

19
OF
34

DATE :

15-07-2017

PROJECT NO.:

231

NORTH :



अनुमति

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्गजल संयोजन का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध निवमाना कार्यवाही की जावेगी।

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध निवमाना कार्यवाही की जावेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति प्रमाणित भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, कल, निकास और शम्पन आदि सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्राधानों/सबन विनियमों के प्राधानों/सम्बन्धित भागों के प्राधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Rain water Harvesting Unit Shall be Provided as per Rules.

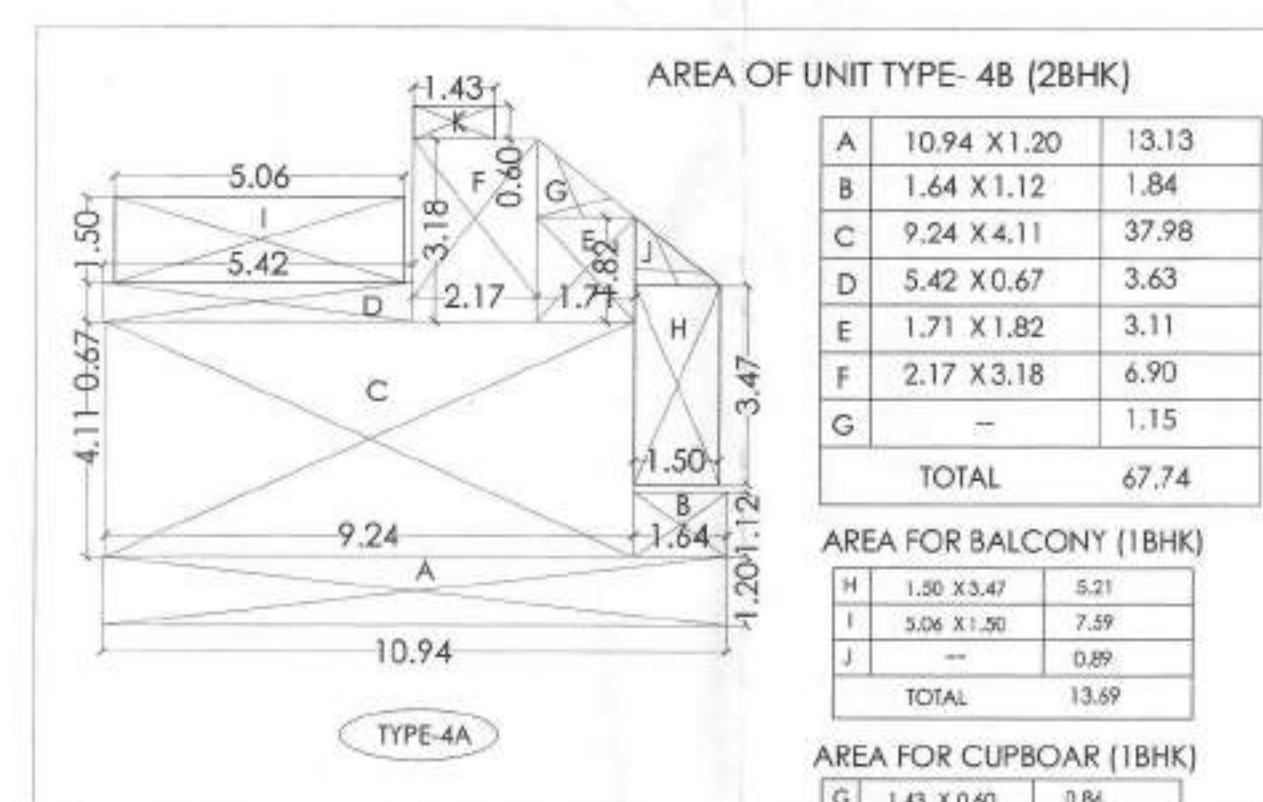
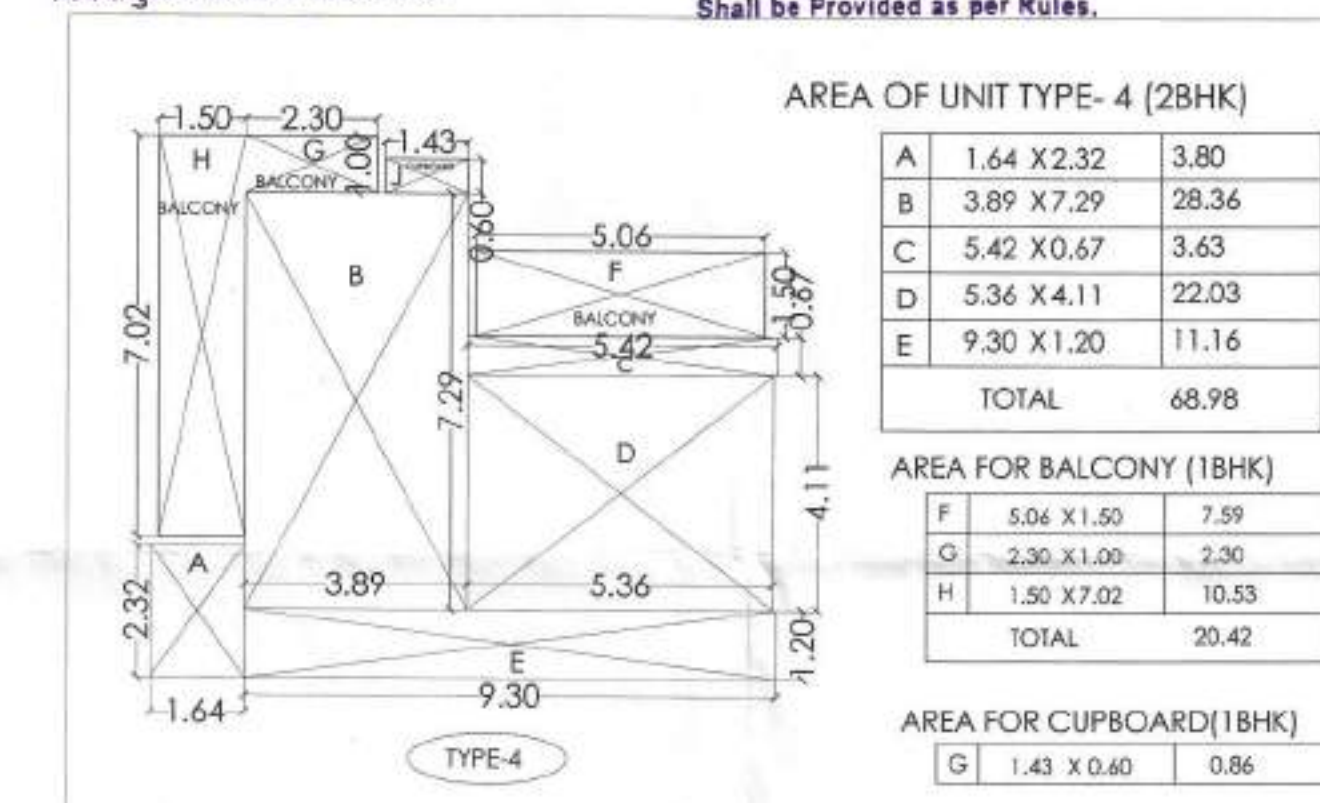
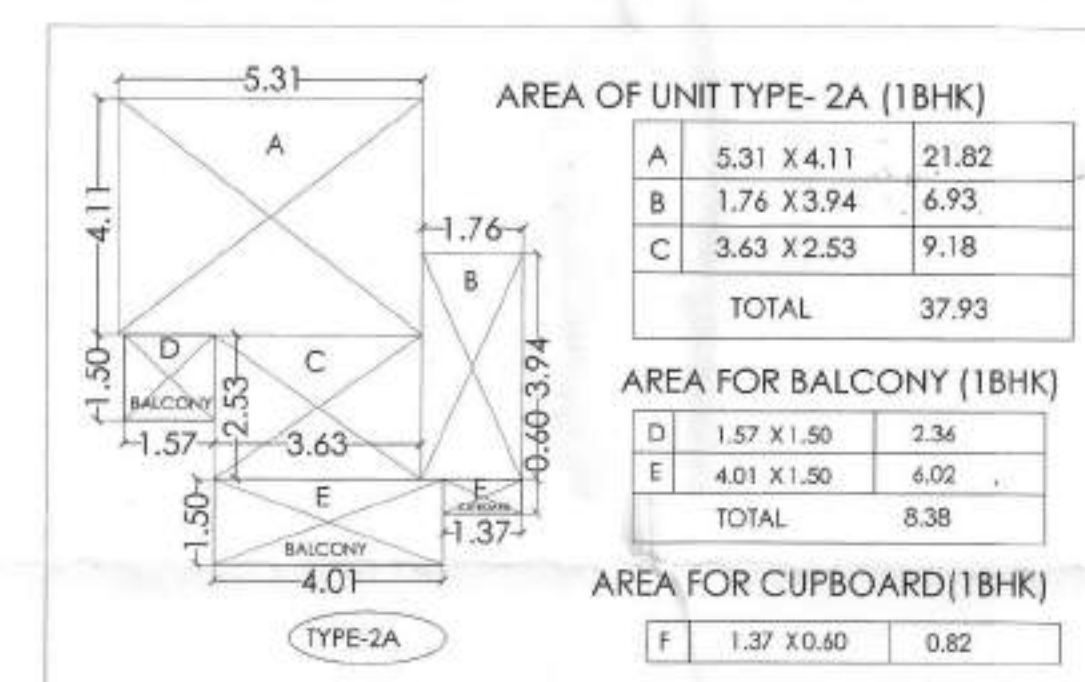
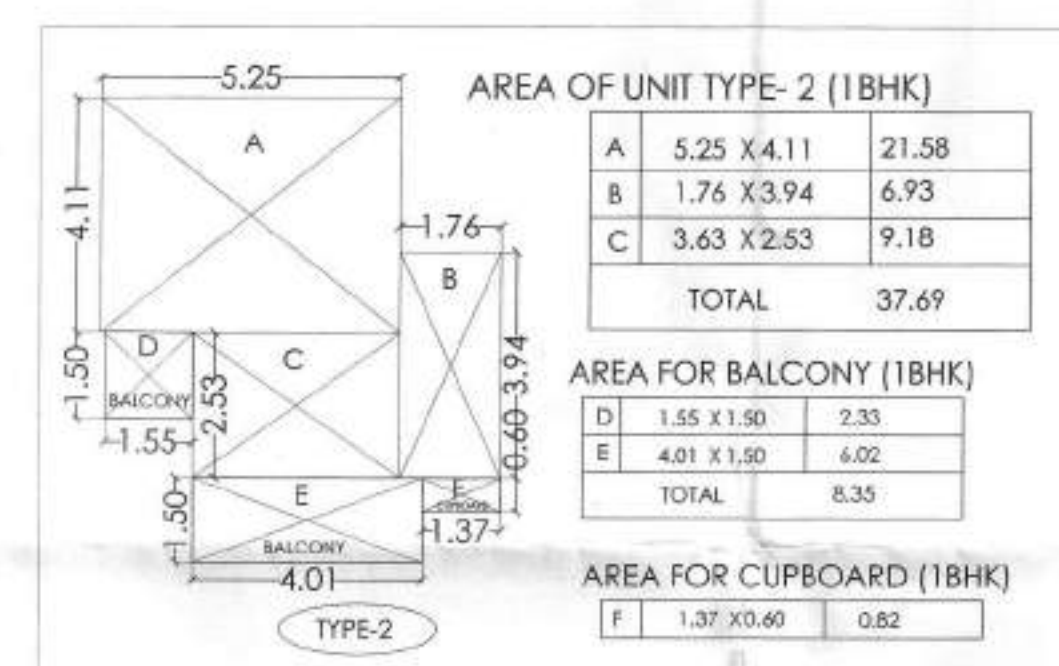
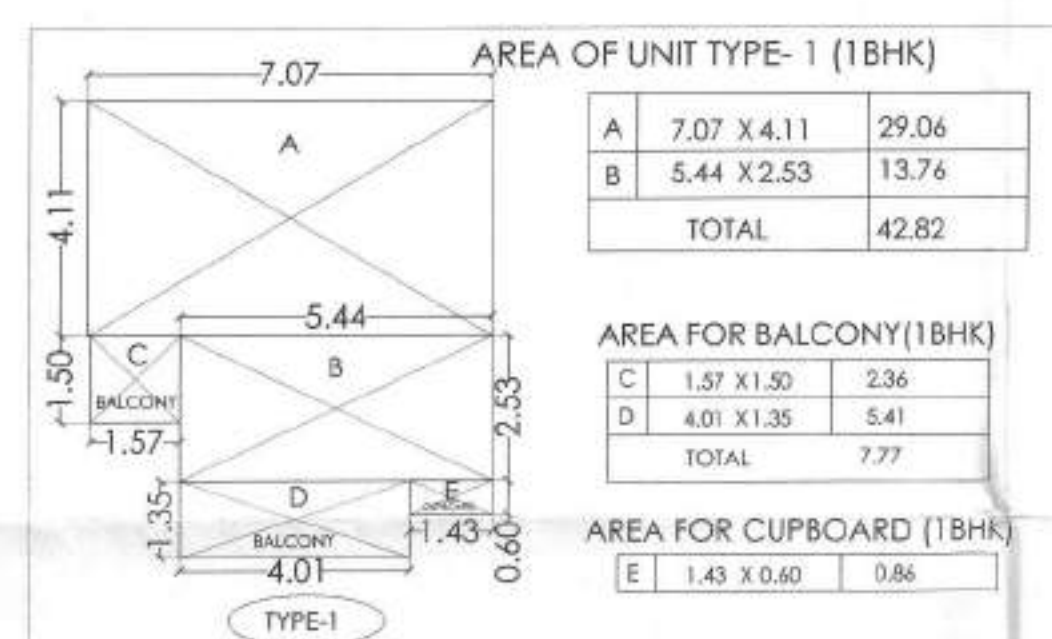
Applicants Should get the construction checked at 1/10th level before proceeding for further construction.

पेड़ लगाओ-हरिबाली गरीओ

लॉर ऊर्जा से पानी गरम करने का निवमाना प्रावधान किया जावे।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिचय दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण पत्र" अगपति प्रमाण पत्र आदेशक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

TYPICAL FLOOR PLAN



AREA OF CORRIDOR PER FLOOR

A	7.01 X 2.40	16.82
B	5.05 X 3.00	15.15
C	5.31 X 2.10	11.15
D	3.52 X 1.50	5.28
E	10.50 X 2.10	22.05
F	3.52 X 1.50	5.28
G	5.31 X 2.10	11.15
H	5.05 X 3.00	15.15
I	7.01 X 2.40	16.82
TOTAL		118.85

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per M.B.C. Norms.

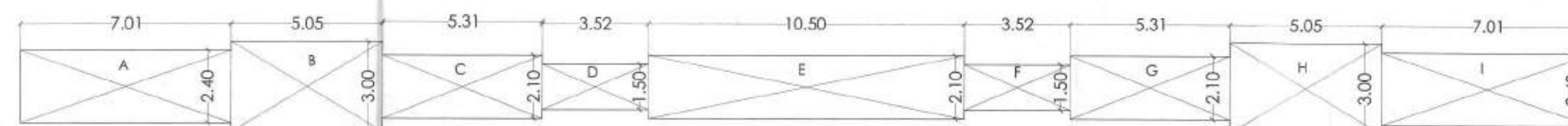
Parking Area Will Be UTI's Property

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में काले गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्राप्ति का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt. 04.07.17 One Set of Building Plans Approved is Issued Along-With Letter No. 54/10/17 Dt. 04.07.17

AREA PER FLOOR OF TOWER- J (UPP, GROUND Floor - 11th Floor)	
1.	AREA PER FLOOR (P) = 4 X AREA OF UNIT TYPE 1 (1BHK) + 4 X AREA OF UNIT TYPE 2 (1BHK) + 4 X AREA OF UNIT TYPE 2A (1BHK) + 3 X AREA OF UNIT TYPE 4 (2BHK) + AREA OF UNIT TYPE 4A (2BHK) AREA PER FLOOR (P) = 4 X 42.82 + 4 X 37.69 + 4 X 37.93 + 3 X 68.98 + 67.74 TOTAL FAR. AREA PER FLOOR = 748.44 SQ. M. TOTAL FAR. AREA = 748.44 X 12 FLOOR = 8981.28 SQ. M. TOTAL FAR. AREA = F.A.R. AREA OF TOWER + EXCESS CORRIDOR AREA = 8981.28 + 79.01 = 9060.29 SQ. M.
2.	AREA OF CORRIDOR PER FLOOR (P) = 118.85 SQ. M. TOTAL CORRIDOR AREA = 1426.20 SQ. M. RESIDENTIAL CORRIDOR AREA ALLOWED FREE FROM FAR = 15% OF RESIDENTIAL FAR. (8981.28 X 0.15) = 1347.19 SQ. M. EXCESS CORRIDOR AREA TO BE COUNTED IN FAR = 1426.20 - 1347.19 = 79.01 SQ. M.
3.	AREA OF BALCONY PER FLOOR (R) = 4 X 7.77 + 4 X 8.35 + 4 X 8.38 + 3 X 20.42 + 13.69 = 172.95 SQ. M.
4.	AREA OF CUPBOARD PER FLOOR (S) = 4 X 0.86 + 4 X 0.82 + 4 X 0.82 + 3 X 0.86 + 0.86 = 13.44 SQ. M.
5.	TOTAL BUA. PER FLOOR = 748.44 + 118.85 + 172.95 + 13.44 = 1053.68 SQ. M.
6.	TOTAL BUA. AREA = 1053.68 X 12 FLOOR = 12644.16 SQ. M.



सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
मिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
मिवाडी (अलवर)

ARCHITECTS AND CONSULTANTS

AE STUDIO

an architectural design studio

B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,
NEW DELHI-110029, Ph.- 011 26161136
E-Mail : info@aestudio.in , Web.: www.aestudio.in

SHEET NO :

22
OF
34

DATE :

15-07-2017

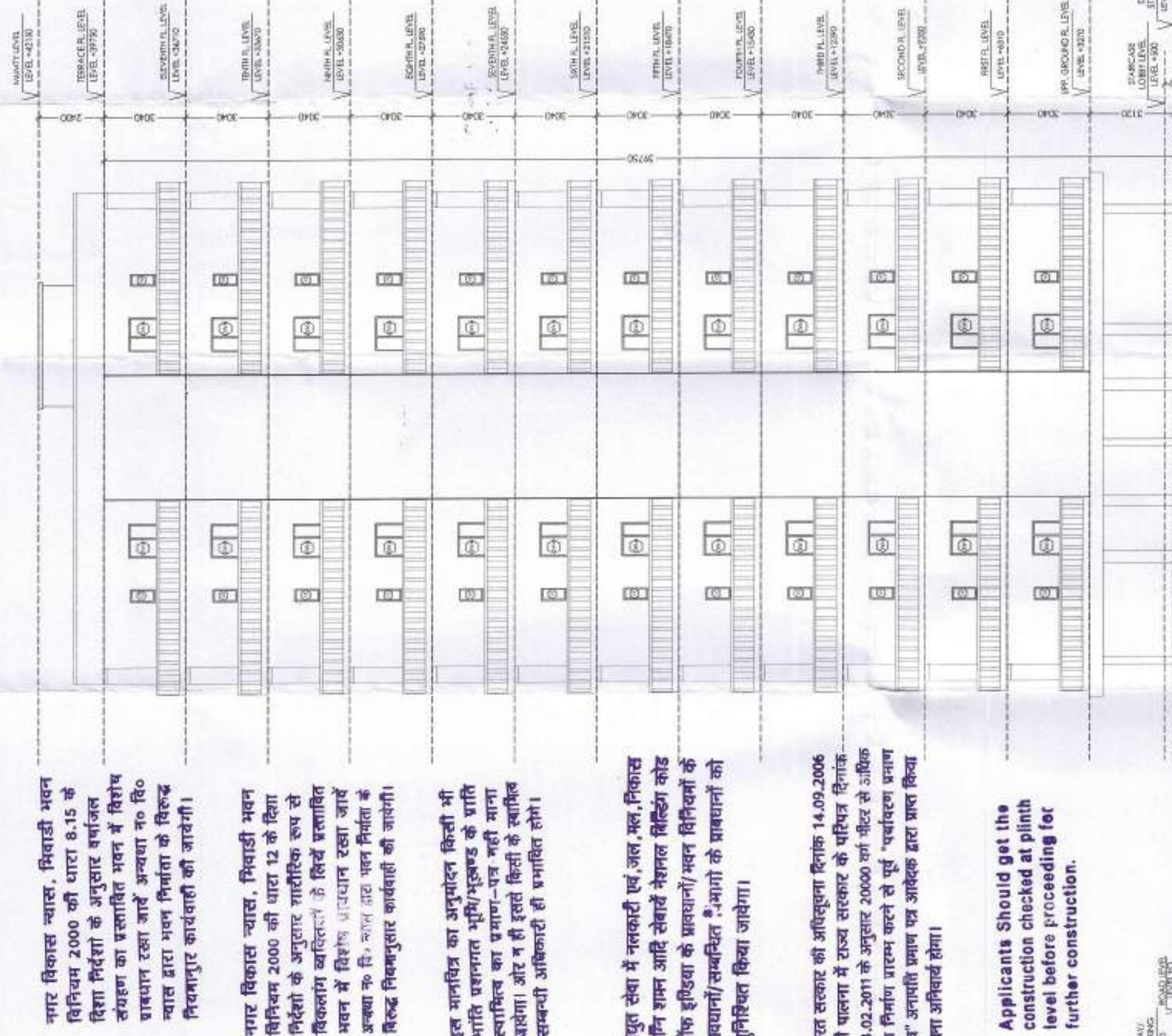
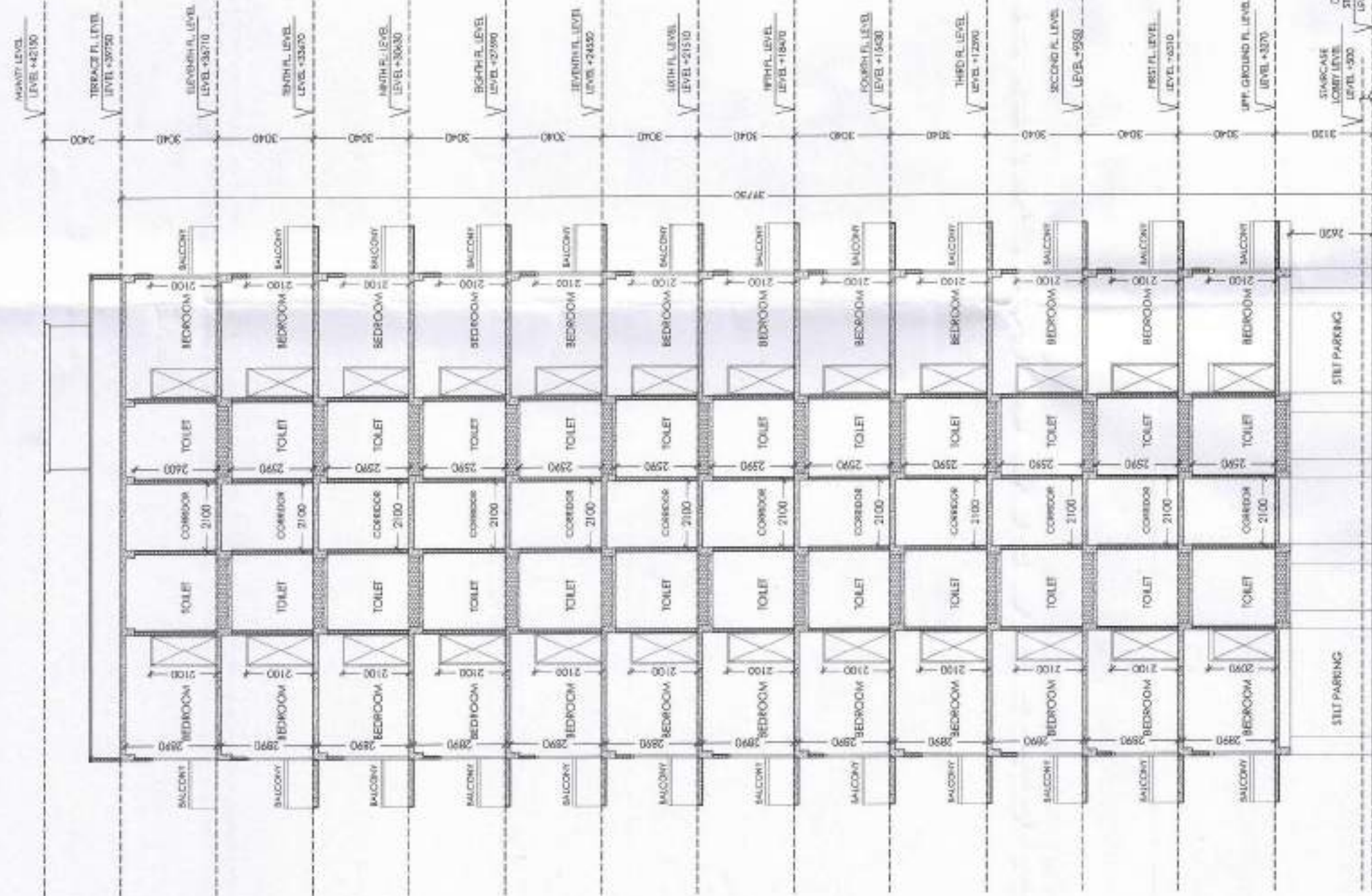
PROJECT NO.:

231

NORTH :



अनुमति



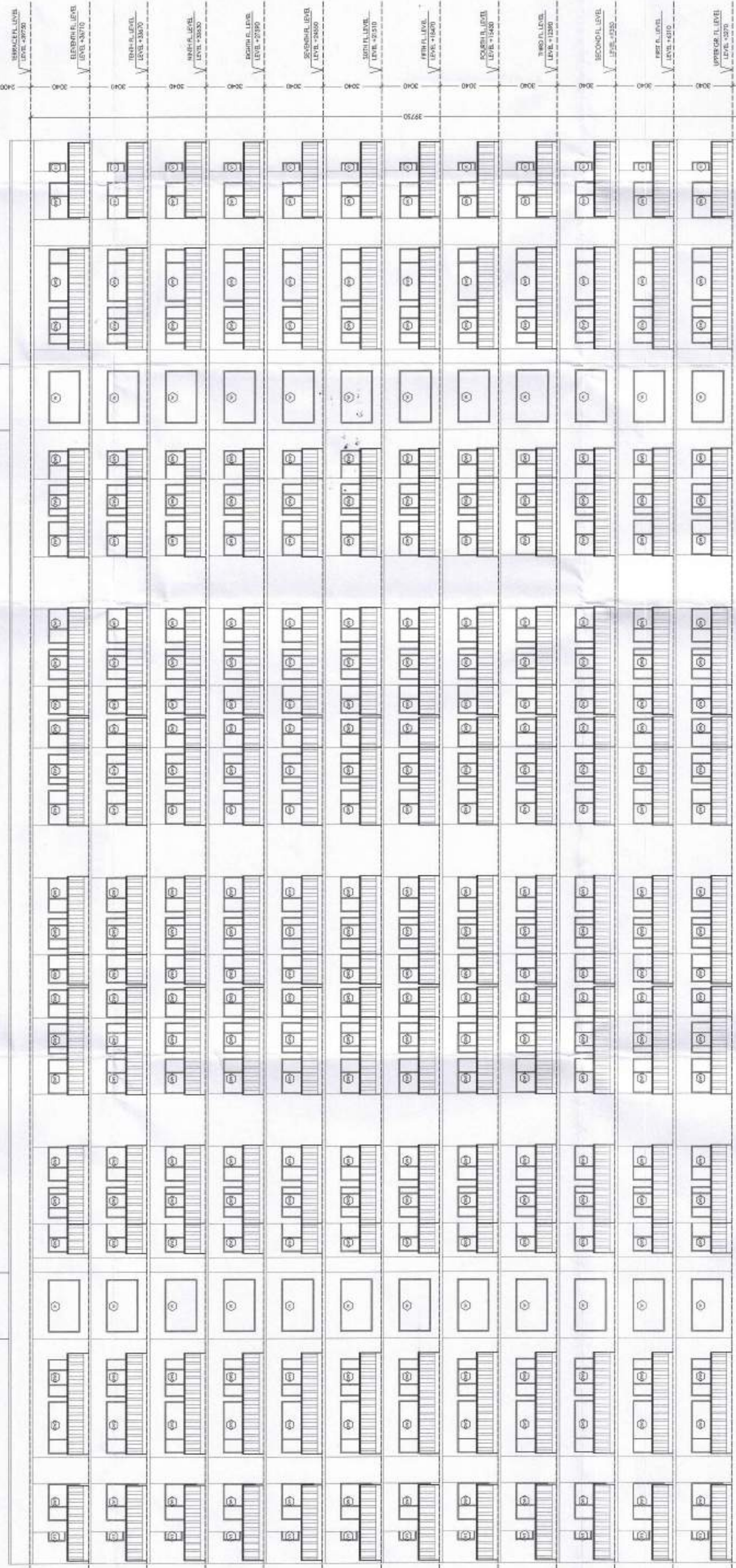
SECTION AA

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ
लोर ऊर्जा से पानी गरम करने का
निचमनार प्रवधान किया जावे।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग करना
होना होगा।
Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules.

RIGHT ELEVATION
"आदि बिंदु नव अनुमति मा-दिना में जारी
नव नव निर्माण की संस्था (STRUCTURE)
का अधिकार का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE



FRONT ELEVATION

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee D-1-17
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. 15-07-2017

For Shilpkar Housing Private Limited

Signature of Owner
Signature of Architect

Signature of Architect

PROPOSED GROUP HOUSING FOR
M/S SHILPKAR HOUSING PVT. LTD
AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217,
218, 225 AT VILLAGE - THADA
TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

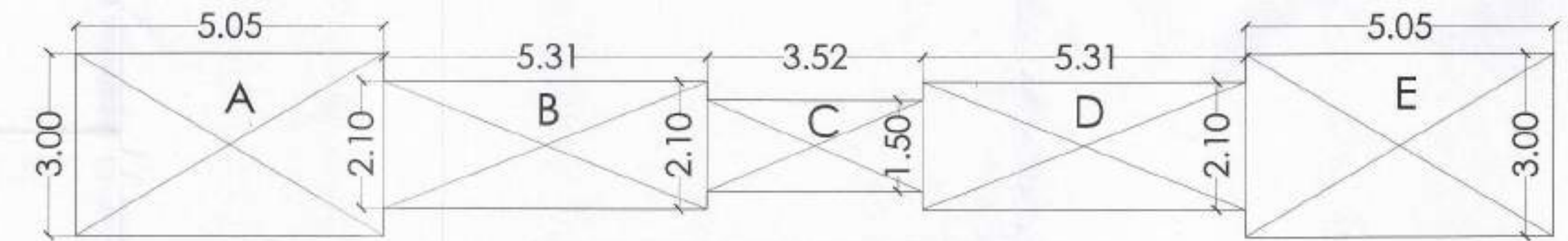
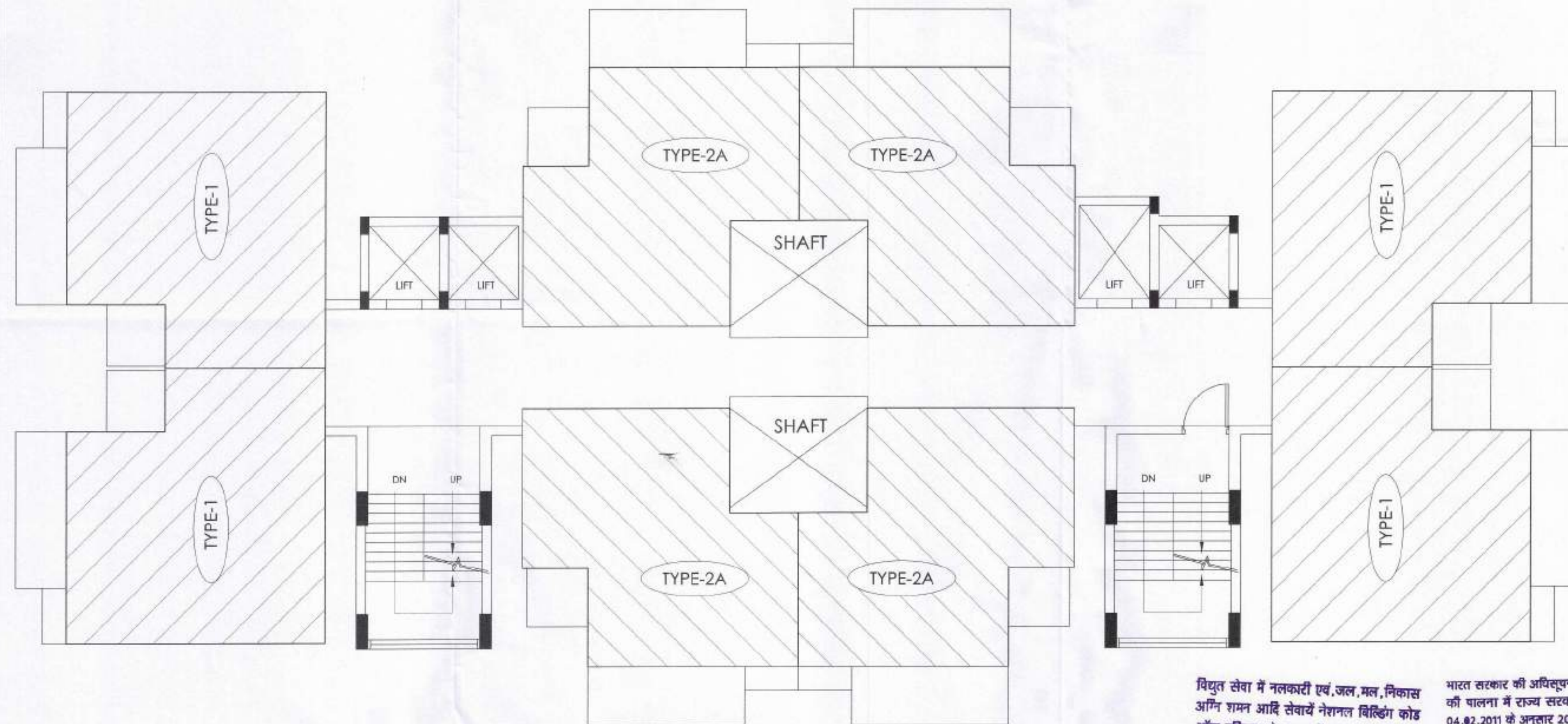
TOWER JUNIPER
SECTION & ELEVATION

ARCHITECTS AND CONSULTANTS
AE STUDIO
an architectural design studio
B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,
NEW DELHI-110029, Ph- 011 26161136
E-Mail : info@aestudio.in , Web : www.aestudio.in

SHEET NO : 24 OF 34
DATE : 15-07-2017
PROJECT NO : 231
NORTH :

सहायक नगर निवासी
नगर विकास च्यास
मिवाडी (अवर)

वरिष्ठ नगर निवासी
नगर विकास च्यास
मिवाडी (अवर)



अनुमोदित

AREA OF CORRIDOR PER FLOOR

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार पर्याप्त संयोजन का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जाये अन्वया न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध निवमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जाये अन्वया न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध निवमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रमाणित भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

AREA OF CORRIDOR PER FLOOR

A	5.05 X 3.00	15.15
B	5.31 X 2.10	11.15
C	3.52 X 1.50	5.28
D	5.31 X 2.10	11.15
E	5.05 X 3.00	15.15
TOTAL		57.88

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 11-1-17
One Set of Building Plans
Approved is issued Along-With
Letter No. 51107/17 Dt. 11-1-17

विद्युत सेवा में गलतफेरी एवं जल, मल, निकास अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिसर दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का निवमानुसार प्रावधान किया जावे।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Rain Water Harvesting Unit Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Parking Area Will Be UTI's Property

"जादी कितने गहरे अनुमोदित मान-चित्रों में खाते गहरे भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व धारण का ही होगा।"

TOWER PLAN

AREA PER FLOOR OF TOWER- K (UPP. GR. Floor - 11th Floor)

1. AREA PER FLOOR (P) = 4 X AREA OF UNIT TYPE -2A(1BHK) + 4 X AREA OF UNIT TYPE -1(1BHK)
AREA PER FLOOR (P) = 4 X 37.93 + 4 X 42.78
TOTAL FAR.AREA PER FLOOR = 322.84 SQ M.
TOTAL FAR. AREA = 322.84 X 12 FLOOR = 3874.08 SQ M.
TOTAL FAR. AREA = F.A.R. AREA OF TOWER + EXCESS CORRIDOR AREA
= 3874.08 + 113.45 = 3987.53 SQ M.

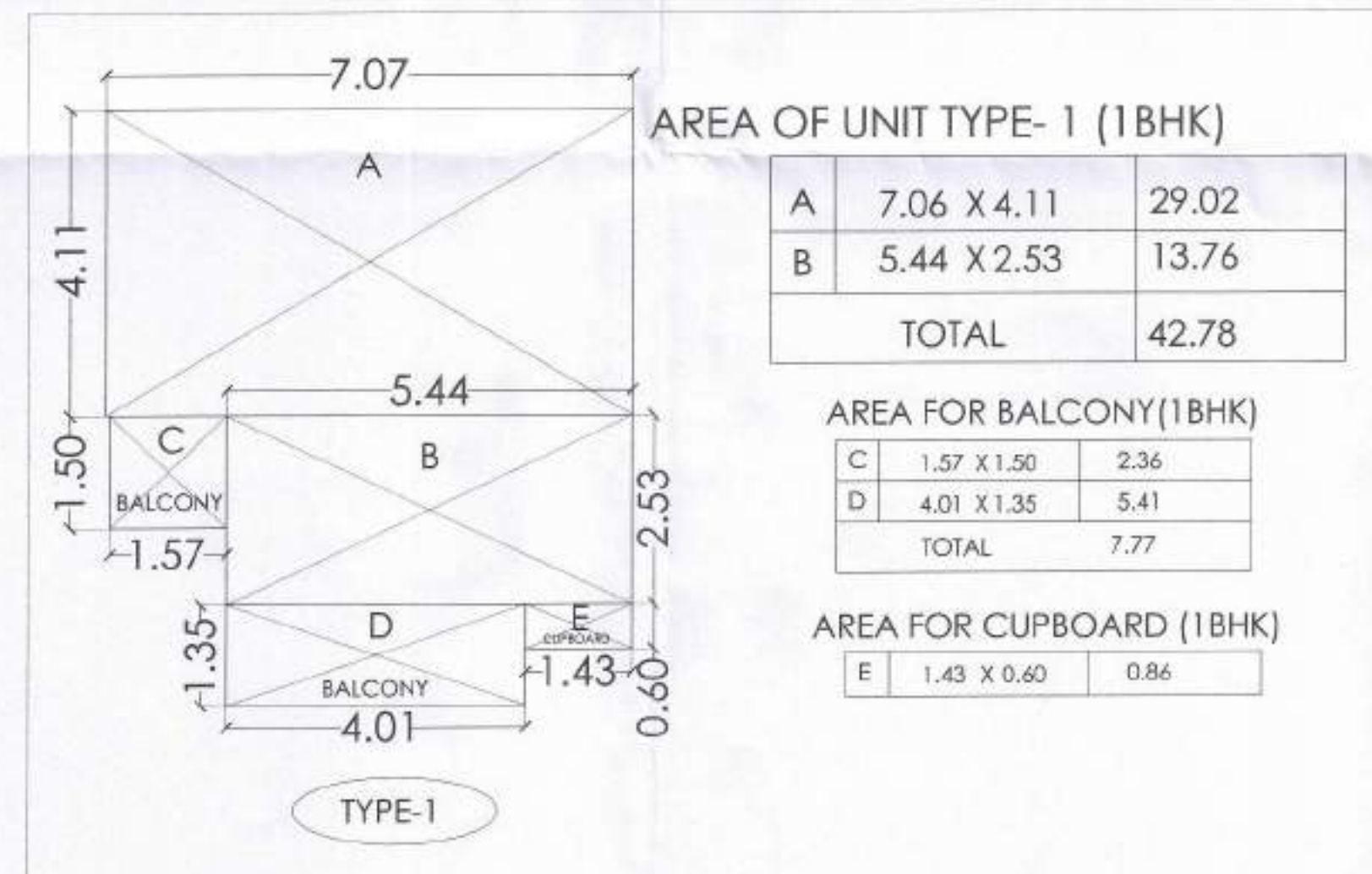
3 AREA OF CORRIDOR PER FLOOR (P) = 57.88 SQ M.
TOTAL CORRORIDOR AREA = 694.56 SQ M.
RESIDENTIAL CORRIDOR AREA ALLOWED FREE FROM FAR = 15% OF RESIDENTIAL FAR. (3874.08X0.15) = 581.11 SQ M.
EXCESS CORRIDOR AREA TO BE COUNTED IN FAR = 694.56 - 581.11 = 113.45 SQ M.

4 AREA OF BALCONY PER FLOOR (R) = 4 X 8.38 + 4 X 7.77 = 64.60 SQ M.

5 AREA OF CUPBOARD PER FLOOR (S) = 4 X 0.82 + 4 X 0.86 = 6.72 SQ M.

5 TOTAL BUA. PER FLOOR = 322.84 + 57.88 + 64.60 + 6.72 = 452.04 SQ M.

7 TOTAL B.U. AREA = 452.04 X 12 FLOOR = 5424.48 SQ M.



AREA OF UNIT TYPE- 1 (1BHK)

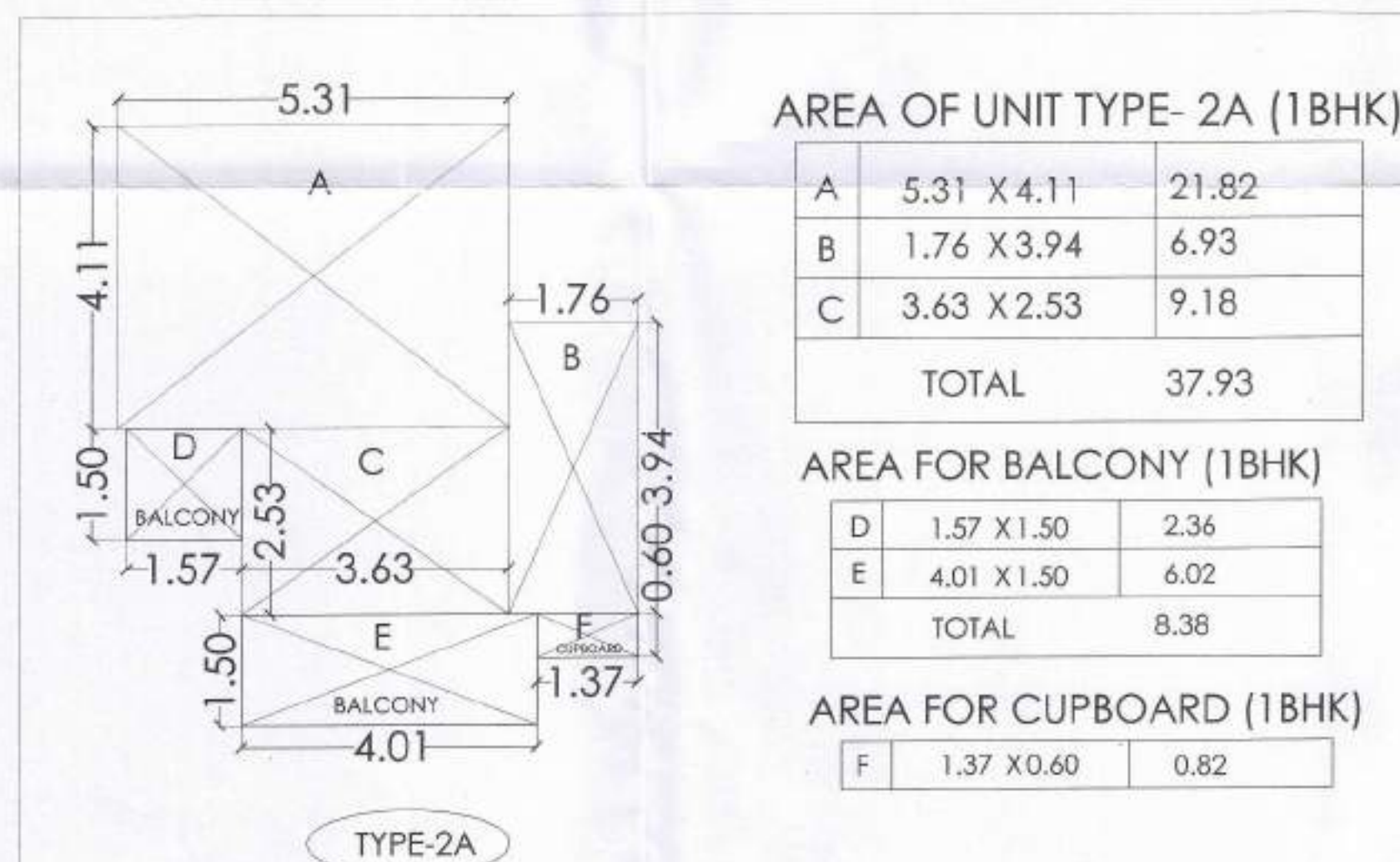
A	7.06 X 4.11	29.02
B	5.44 X 2.53	13.76
TOTAL		42.78

AREA FOR BALCONY(1BHK)

C	1.57 X 1.50	2.36
D	4.01 X 1.35	5.41
TOTAL		7.77

AREA FOR CUPBOARD (1BHK)

E	1.43 X 0.60	0.86
---	-------------	------



AREA OF UNIT TYPE- 2A (1BHK)

A	5.31 X 4.11	21.82
B	1.76 X 3.94	6.93
C	3.63 X 2.53	9.18
TOTAL		37.93

AREA FOR BALCONY (1BHK)

D	1.57 X 1.50	2.36
E	4.01 X 1.50	6.02
TOTAL		8.38

AREA FOR CUPBOARD (1BHK)

F	1.37 X 0.60	0.82
---	-------------	------

SERVICED APARTMENT

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
मिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
मिवाडी (अलवर)

For Shilpkar Housing Private Limited

Sandeep Tandon
Architect
CA/97/21634

Signature of Owner

Signature of Architect

ADDRESS :

**PROPOSED GROUP HOUSING FOR
M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD**
AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217,
218, 225 AT VILLAGE - THADA
TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

SHEET TITLE :

**TOWER KEY FLOOR
AREA CALCULATION**

ARCHITECTS AND CONSULTANTS

AE STUDIO

an architectural design studio

B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,
NEW DELHI-110029, Ph.- 011 26161136
E-Mail : info@aestudio.in, Web.: www.aestudio.in

SHEET NO :

DATE :

NORTH :

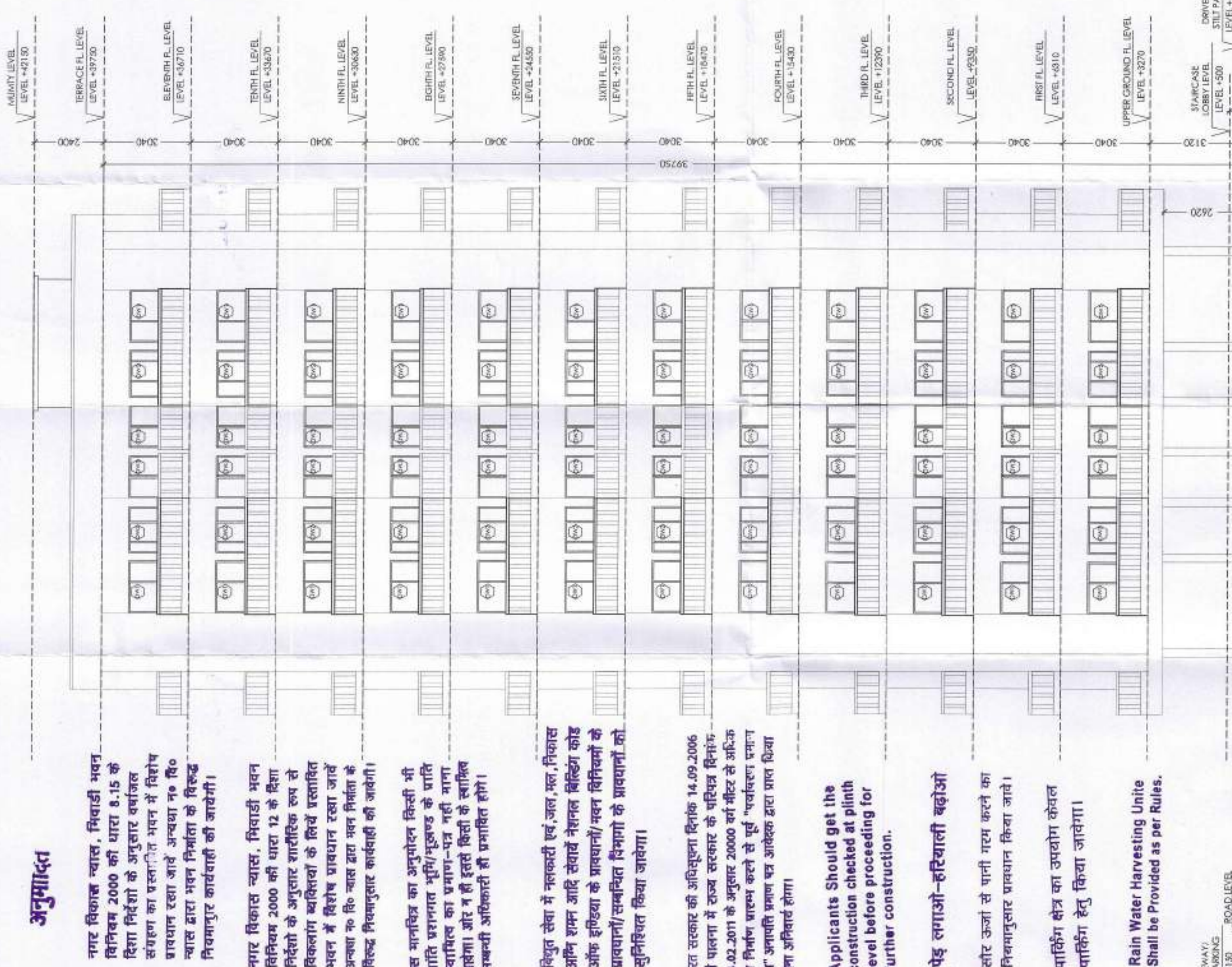
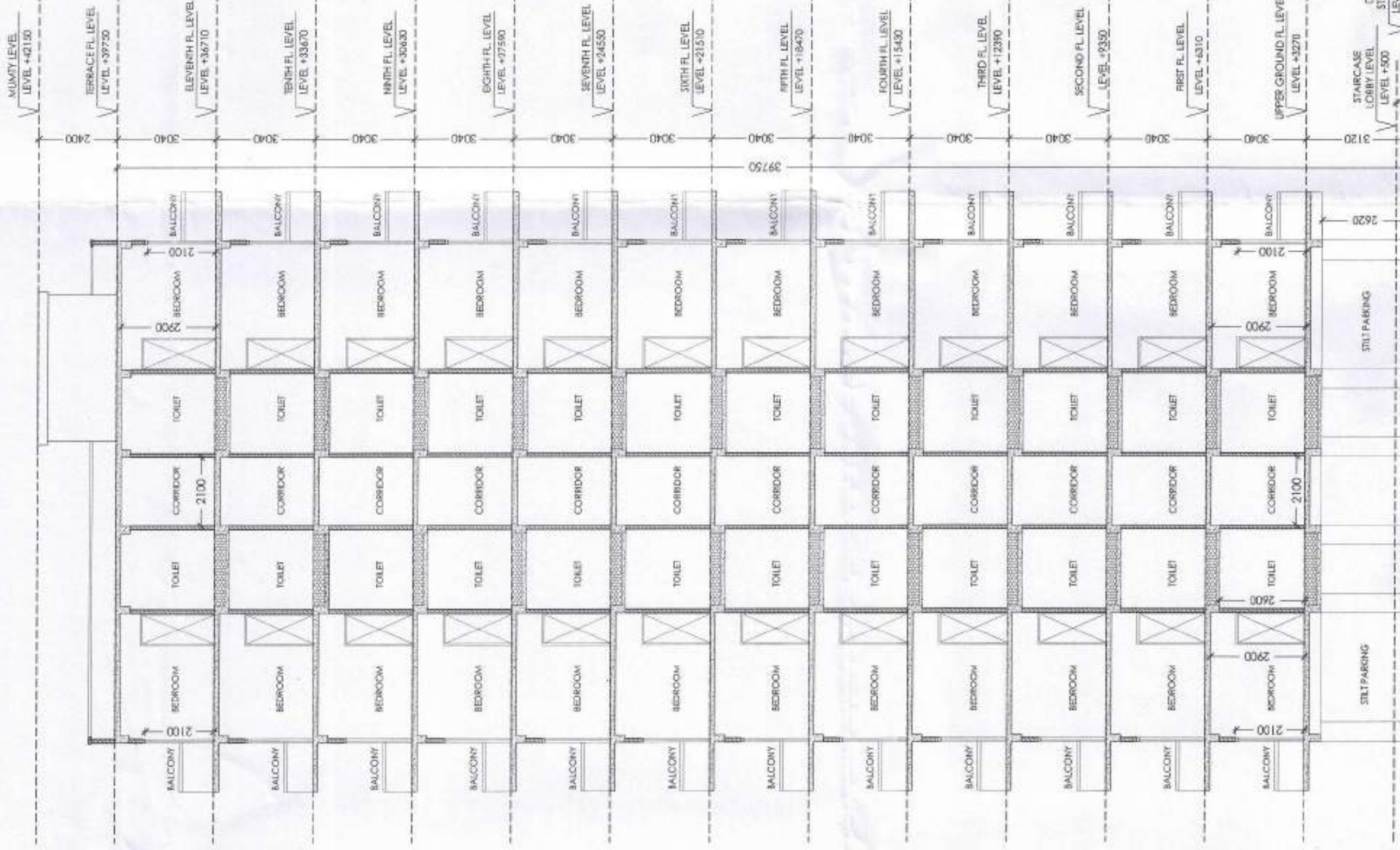
25
OF
34

15-07-2017

PROJECT NO.:

231





SECTION AA'

RIGHT ELEVATION

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan Building Plan Committee D... One Set of Building Plans Approved is Issued along With Letter No. 5412/113-1-9-13

"जारी किये गये अप्रोवेटियट वद-प्लान में दावे एवं मन निर्णय को संवत (श्रावण) के दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 'प्लानिंग एक्ट' अन्तर्गत प्रमाण पत्र अर्जित कर प्रारम्भ किया जाना अनिवार्य होगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

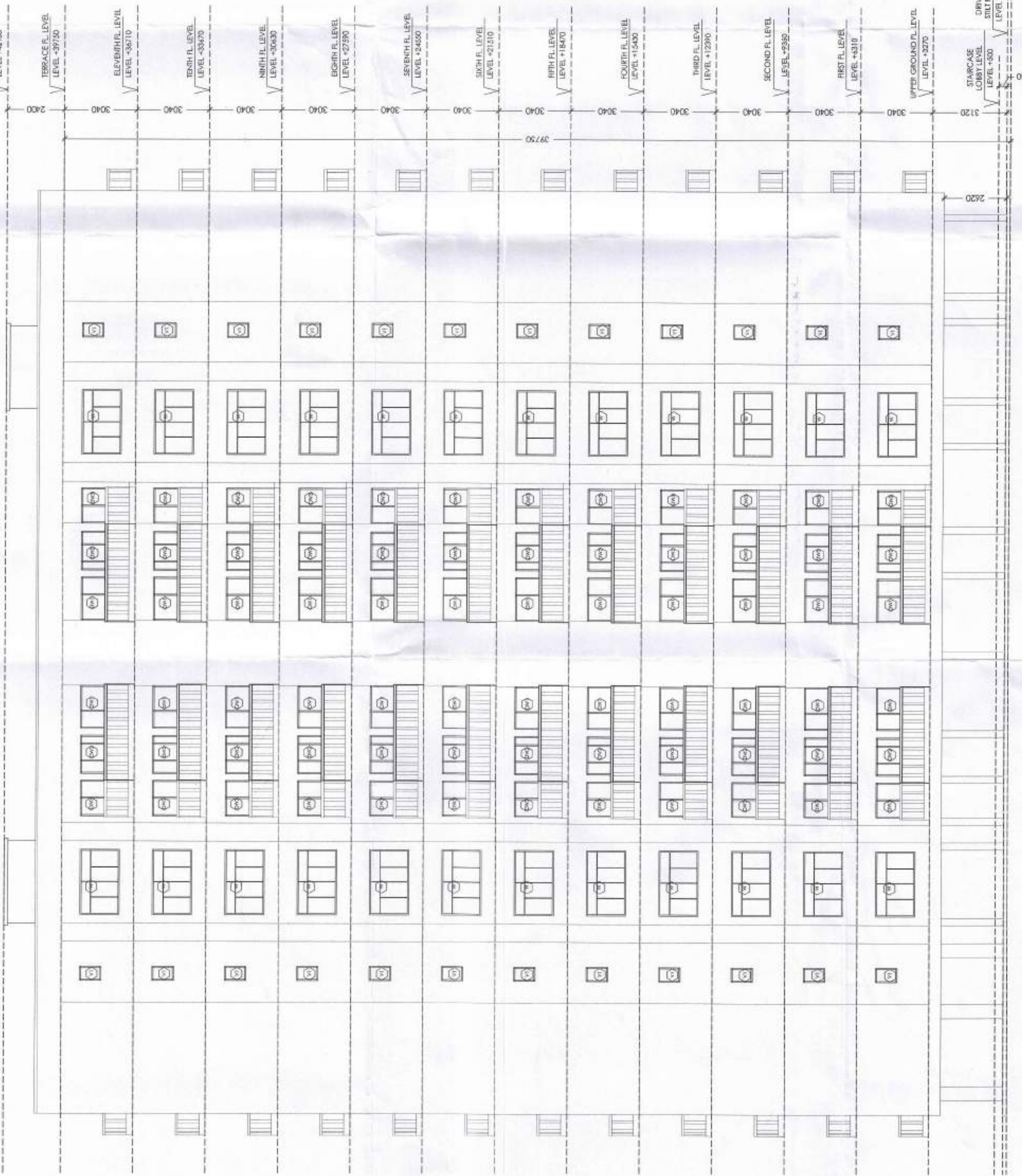
पेक्षे लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

सौर ऊर्जा से गर्मी गैस करने का निम्नानुसार प्रवधान किया जावे।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Rain Water Harvesting Unit Shall be Provided as per Rules.

Parking Area Will Be UTI's Property



FRONT ELEVATION

SERVICED APARTMENT

For Shilpkar Housing Private Limited

Sandeep Tandon
Architect
CA/9721634
Signature of Architect

Signature of Owner

ADDRESS :
PROPOSED GROUP HOUSING FOR
M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD
AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217,
218, 225 AT VILLAGE - THADA
TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

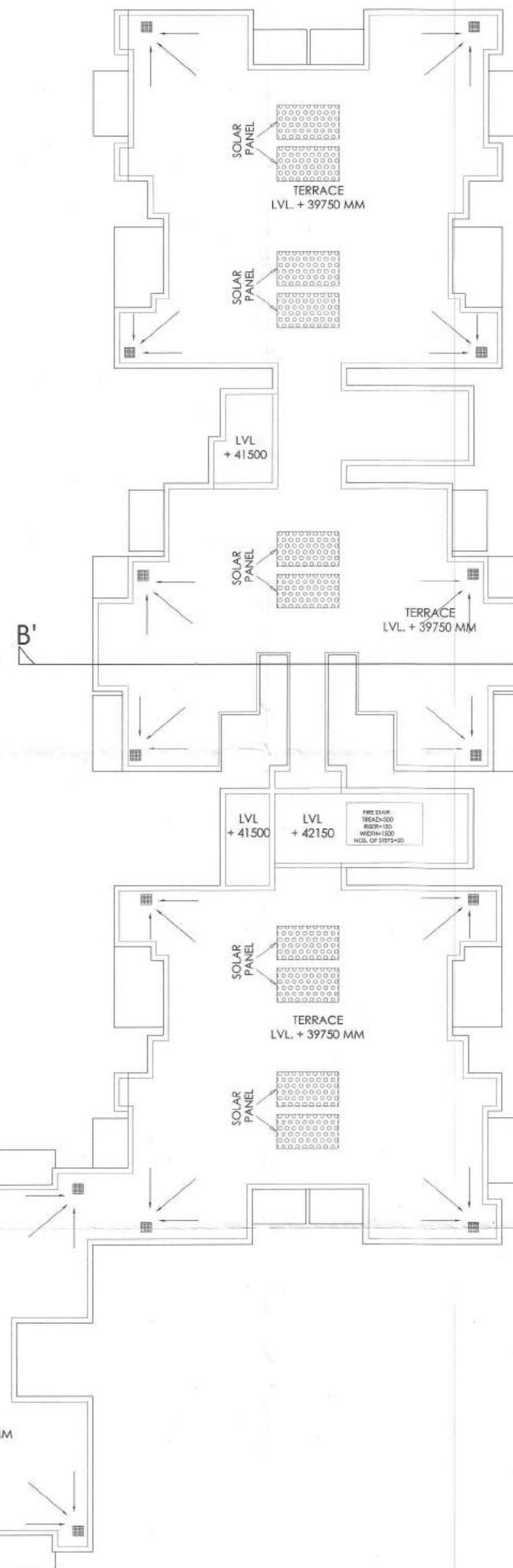
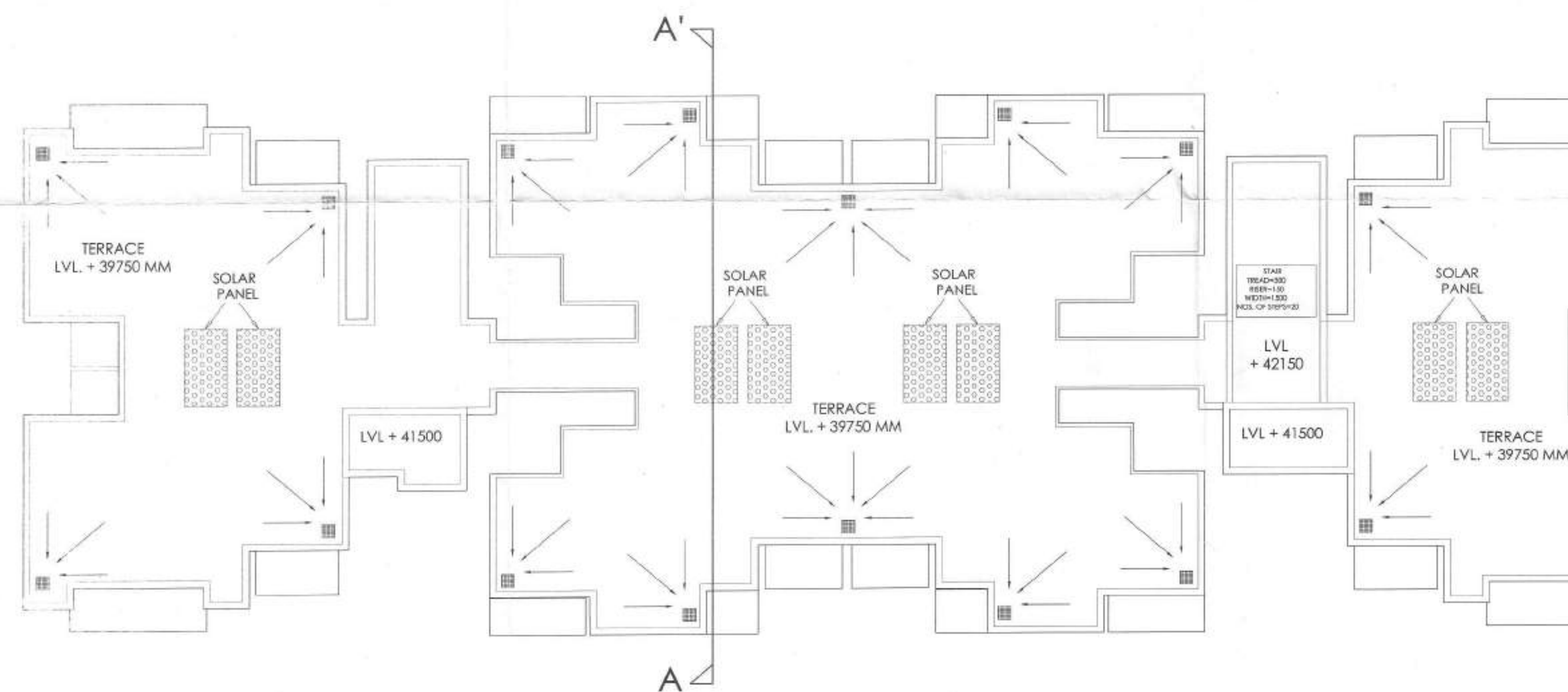
SHEET TITLE :
TOWER KEY FLOWER
SECTION & ELEVATION

ARCHITECTS AND CONSULTANTS
AE STUDIO
an architectural design studio
B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,
NEW DELHI-110029 , Ph.- 011 28161136
E-Mail : info@aestudio.in , Web : www.aestudio.in

SHEET NO :
DATE :
15/07/2017
PROJECT NO :
231

NORTH :

CAMPHOR ROOF PLAN



अनुमोदित

नगर विकास न्यास, गिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार बर्पाजल संयोजन का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जाये अन्वधा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

नगर विकास न्यास, गिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जाये अन्वधा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति प्रशानगत भूमि/भूखण्ड के प्राति स्वामिस्य का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा। और न ही इससे किसी के स्वामिस्य सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होगे।

विद्युत संवा में नलकारी एवं,जल,मल,निकास अग्नि शमन आदि सेवाये नेशनल सिविल कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों के सुनिश्चित किया जायेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के पत्रिच दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "फाईनल प्रमाण पत्र" अनापति प्रमाण पत्र अन्वेषक द्वारा प्राप्त किन्तु, जन्म अनिवार्य होगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

Rain Water Harvesting Unit Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Parking Area Will Be UTI's Property

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दिखाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्राप्ती का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt. 14-1-17 One Set of Building Plans Approved is Issued Along-With Letter No. 5410-11/17-1-42-17

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
गिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
गिवाडी (अलवर)

For Shilpkar Housing Private Limited

Signature of Owner

Sandeep Tandon
Architect
CA/97/21634
Signature of Architect

ADDRESS :

**PROPOSED GROUP HOUSING FOR
M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD**
AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217,
218, 225 AT VILLAGE - THADA
TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

SHEET TITLE :

**TOWERS CAMPHOR
TERRACE FLOOR PLAN**

ARCHITECTS AND CONSULTANTS

AE STUDIO

an architectural design studio

B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,
NEW DELHI-110029 , Ph.- 011 26161136
E-Mail : info@aestudio.in , Web.: www.aestudio.in

SHEET NO :

12
OF
34

DATE :

15-07-2017

PROJECT NO.:

231

NORTH :



